पंचम माला, खंड 42, अंक 15, शुक्रवार, 9 अगस्त, 1974/18 श्रावण, 1896 (शक)

Fifth Series, Vol. XLII, No. 15, Friday, August 9, 1974/Sravana 18, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र / Eleventh Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 42 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. XLII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

29LSS/74—1

विषय सूची/CONTENTS

अंक 15, शुक्रवार, 9 अगस्त, 1974/18 श्रावण, 1896 (शक)

No. 15, Friday, August 9, 1974/18 Sravana, 1896 (Saka)

ता० प्र० संख्या० S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
282	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता — D.A. Payable to Central Government Employees	1
284	भारतीय रूई निगम द्वारा रूई की खरीद — Purchase of Cotton by CCI	8
285	आयकर विवरणियां भरने के लिये नया फार्म — New Proforma for Filling Income Tax Returns	10
286	फारस की खाड़ी वाले देशों को किये जाने वाले निर्यात में वृद्धि — Increase in Exports to Persian Gulf Countries	12
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
287	निर्यात गृहों को आसान शर्तों पर ऋण दिया जाना — Grant of Loans on Soft Terms to Export Houses	13
288	ब्रिटेन में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखा खोलने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई अनुमति — Permission given by R.B.I. for Opening of Branch of a Nationalised Bank in U.K.	14
289	लिमिटेड कम्पनियों के सर्वोच्च अधिकारियों की बढ़ती हुई उपलब्धियों और परिलब्धियों पर रोक लगाना — Freezing of Increasing Emoluments and Perquisites payable to Top Executives of Limited Companies	14
290	कपड़ों के निर्यात के बारे में अमरीका के साथ समझौता — Agreement with USA regarding Export of Textiles	14
291	एकाधिकार गृहों को दिये जाने वाले ऋण संबंधी नीति का पुनरीक्षण — Revision in Loan Policy to Monopoly Houses	15

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign † marked above the n ame of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
292	माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन की स्थापना	Setting up of Mica Trading Corporation	16
293	रबड़ का निर्यात	Export of Rubber . . .	16
294	बैंकों के कर्मचारियों द्वारा किया गया मांग-पत्र	Charter of Demands submitted by Bank Employees	17
295	'सी-फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन आफ इंडिया' के समक्ष संकट	Facing of Crisis by "Sea Food Exporters Association of India" . .	18
296	सूत निर्माताओं को रेमन ग्रेड वुड पल्प (लकड़ी का गूदा) का वितरण	Distribution of Rayon Grade Wood Pulp among Yarn Manufacturers .	18
297	गाय के चमड़े और हड्डियों का निर्यात	Export of Hides and Bones of Cow	18
298	बम्बई हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के बोइंग विमान के टायरों का फटना	Bursting of Tyres of Air India Boeing Aircraft at Bombay Airport . .	19
299	वाणिज्यिक बैंकों की नकद रक्षित निधि का अनुपात	Cash Reserve Ratio of Commercial Banks	19
300	कुछ वस्तुओं के निर्यात में कमी	Decline in Export of certain items	20
301	कानपुर में हवाई अड्डे का निर्माण	Construction of Airport at Kanpur	20

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.			
2023	अखबारी कागज का उत्पादन और आयात	Production and Import of Newsprint .	21
2024	बिक्री करों और ईंधन मूल्यों में कमी के लिये इंडियन एयर लाइंस की ओर से अभ्यावेदन	Representations from Indian Airlines for Reduction to Sales Tax and Fuel Prices	21
2025	प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices of Natural Rubber	22
2026	मूल्य सूचक अंक	Price Index .	22
2027	रबड़ की खेती के लिये बीमा	Insurance for Rubber Cultivation	24
2028	अतिरिक्त अखबारी कागज की सप्लाई के लिये सोवियत संघ की पेशकश	Offer from Soviet Union for Supply of Additional Newsprint . .	24

तारांकित प्रश्न संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2029	रेल हड़ताल के कारण गुजरात में केन्द्रीय उद्योगों को हानि	Loss to Central Industries in Gujarat due to Railway Strike . . .	24
2030	तकुओं की संख्या में वृद्धि करना	Expansion of Spindles	25
2031	कुटीर उद्योग क्षेत्र में बेनामी स्वामित्व संबंधी गिरोह	Racket of Benami Ownership in Cottage Industry Sector . . .	25
2032	राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि की वृद्धि दर	Growth rate of Deposits in Nationalised Banks	25
2033	चाय बागानों की लागत में वृद्धि	Rise in Cost of Tea Plantation	26
2034	आयात-व्यापार के लिए ऋण	Credits to Finance Imports	27
2035	वर्ष 1974-75 के लिए कच्चे पटसन का न्यूनतम मूल्य	Floor Price of Raw Jute for 1974-75	27
2036	अविकसित एशियाई राष्ट्रों के बीच व्यापार करार	Trade Agreement among Under Development Asian Nations . . .	28
2037	कोचीन में निर्यात प्रोसेसिंग जोन की स्थापना	Setting up of Export Processing Zone in Cochin	28
2038	मूल्य राजसहायता का समाप्त किया जाना	Abolition of Price Subsidies	29
2039	निर्यात प्रोत्साहन नीति में असंगतियां	Anomalies in Export Promotion Policy	29
2040	पटसन से निर्मित वस्तु के बढ़े हुए मूल्य	High Prices of Jute Manufacturers	30
2041	पौलैंड को 1500 रेल माल डिब्बों की सप्लाई	Supply of Railway Wagons to Poland	31
2043	कपड़े के उत्पादन लागत में वृद्धि	Increase in production cost of Cloth	31
2044	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण	Loan from International Development Association	31
2045	चिट फंड और प्राइवेट लाटरीज के लिए अंशदान	Contributions of Chit Fund and Private Lotteries	32
2046	सरकारी निधियों के मूल्य में ह्रास के संबंध में आयोग की स्थापना	Setting up of Commission regarding Dwindling of Government Funds in their value	33

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2047	धन संबंधी मंजूरी लेने में कथित विलंब	Alleged Delay in Securing Financial Sanctions	34
2048	केन्द्रीय सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के भत्तों में की गई वृद्धि के परिणामस्वरूप होने वाला व्यय	Expenditure to be incurred as a result of Increase made in the Allowances of Class I Officers of Central Government	34
2049	सान्ताक्रुज हवाई अड्डे पर यात्री के पास विदेशी मुद्रा पाया जाना	Foreign Exchange Found in Possession of Passenger at Santa Cruz Airport	34
2050	सूती कपड़ा नीति में परिवर्तन	Changes in the Cotton Textile Policy	35
2051	निर्यात संवर्धन परिषद् का पुनर्गठन	Re-Structuring of Export Promotion Council	35
2052	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शुष्क पत्तनों की स्थापना	Setting up Dry Ports in States/Union Territories	36
2053	बिहार के जिलों में ब्याज की रियायती दरों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	Advances made by Nationalised banks on preferential rate of interest in Districts of Bihar	36
2054	थोक व्यापारियों को राष्ट्रीयकृत और गैर-सरकारी बैंकों द्वारा दिया जाने वाला ऋण	Credit advanced by Nationalised and Private Banks to Wholesale traders	36
2055	कांगड़ा चाय उद्योग को हो रही दिक्कत	Difficulties faced by Kangra Tea Industry	38
2056	वन्य जीव रक्षित स्थल	Wild Life Sanctuaries	38
2057	दिल्ली हवाई अड्डे पर वस्तुओं की तस्करी करने वाले व्यक्तियों पर लगाये गए जुर्माने से प्राप्त आय	Revenue from Fines imposed on persons for smuggling goods at Delhi Airport	39
2058	गोआ में पर्यटन सुविधाओं के बारे में समुद्र तट अनुसंधान विकास सर्वेक्षण दल का प्रतिवेदन	Report of Beach Research Development Survey Team on Tourist facilities at Goa	40
2059	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कार्यालयों को खोलना	Opening of Offices of Industrial Finance Corporation of India	41
2060	मेंढक की टांगों की निरीक्षण प्रक्रिया	The Procedure for Inspection of Frog Legs	42
2061	राज्य व्यापार निगम के द्वारा सूडान को प्राकृतिक रबड़ का निर्यात	Export of natural Rubber to Sudan through STC	43

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2062	हालैंड से ऋण	Loan from Holland .	43
2063	केरल में औद्योगिक एकक	Industrial Units in Kerala .	43
2064	केरल द्वारा विभिन्न 'काउंटों, के धागे की मांग	Demand by Kerala for different counts of Yarn	44
2065	केरल के क्विलोन जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का कार्यकरण	Functioning of Branches of Nationalised Banks in Quillon District of Kerala	46
2066	बिहार में काले धन का पता लगाया जाना	Black Money unearthed in Bihar	46
2067	भारत और पश्चिम जर्मनी के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग	Bilateral Economic Cooperation between India and West Germany .	47
2068	राज्य-एजेंसियों द्वारा रूई की खरीद	Purchase of Cotton by State Agencies	47
2069	गुजरात में तम्बाकू पर लगे उत्पादन शुल्क का अपवंचन	Evasion of Excise Duty on Tobacco in Gujarat	48
2070	विभिन्न कम्पनियों द्वारा पुराने ट्रेड मार्कों का नवीकरण	Renewal of Old Trade Marks by various Companies	48
2071	संयुक्त अरब एमीरेट्स को निर्यात	Export to the United Arab Emirates	49
2072	अपरिष्कृत पटसन के गैर सरकारी व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार का अनुरोध	Request from West Bengal Government to ban Private Trading in Raw Jute	49
2073	पर्यटन संस्था के लिये स्थान	Location of Institute of Tourism.	49
2074	विपणन विकास निधि द्वारा मैन मेड कपड़ा उद्योग को सहायता	Assistance to Man made Fabric Industry by Marketing Development Fund	50
2075	महाराष्ट्र के पूना और नागपुर में अपने कार्यालय खोलने की औद्योगिक वित्त निगम की योजना	Plan of IFC to open its Offices at Poona and Nagpur in Maharashtra . .	50
2076	चालू वर्ष के लिये संसाधन स्थिति का अनुमान लगाने के लिये नियुक्त किये गये दल द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना	Report of the Team Appointed to Assess the Resources Posi for Current Year . . .	50
2077	सी० डी० ए० पटना के कार्यालय के लिये इमारत का निर्माण	Construction of Building for Office of CDA Patna	51

अता० प्र० संख्या	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2078	कपड़ा उद्योग का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation of Textile Industry	51
2079	योजना और गैर-योजना व्यय के अंतर्गत मांगों के पुनर्विलोकन के लिये समितियों की स्थापना	Committees set up to review demands under Plan and non Plan expenditure	51
2080	टायर और कपड़ा उद्योगों में विस्कोस फिलामेंट यार्न की कमी	Shortage of Viscose Filament Yarn in Tyre and Textile Industries .	52
2081	उत्तर बंगाल में मिलावटी चाय	Adulterated Tea in North Bengal	52
2082	आसाम में अलाभप्रद चाय बागान	Uneconomic Tea Estates in Assam	53
2083	चीनी के निर्यात से अर्जित धनराशि	Amount Earned on Export of Sugar	53
2085	वर्ष 1974 में भारत और सोवियत संघ के बीच हुआ कुल व्यापार	India Soviet Trade Turn over for 1974	53
2086	भारतीय पटसन निगम द्वारा अपरिष्कृत जूट व्यापार किया जाना	Handling of Raw Jute Trade by JCI	53
2087	भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय संयुक्त आयोग	Indo-EEC Joint Commission	54
2088	पर्यटक रुचि के महत्वपूर्ण नगरों को आकर्षक बनाने संबंधी योजना	Beautification Plan of Important Cities of Tourist Interest	54
2089	अनाज व्यापार में काले धन की भूमिका	Role of Black Money in Grain Trade	55
2090	पटसन उत्पादकों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु उठाये जाने वाले कदम	Steps to Ensure Fair Price to Jute Cultivators	55
2091	भारत और स्विटजरलैंड के बीच ऋण समझौता	Loan Agreement between India and Switzerland	55
2092	ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार	Expansion of Banking System in Rural Areas	56
2093	कम्पनियों द्वारा लाभों का वितरण	Distribution of Profits by Companies	57
2095	पुराने एव गंदे करेन्सी नोट	Soiled Currency Notes	58
2096	तस्करी को रोकने के लिये कार्यवाही	Steps to check smuggling .	59
2097	जमा राशि में कमी होने के कारण बैंकों में धन का उपलब्ध न होना	Non-availability of Funds with Banks as a result of decline in Deposits	59

अ ता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2098	बम्बई में रिजर्व बैंक आफ इंडिया के भवन का निर्माण	Construction of Building for Reserve Bank of India at Bombay . .	60
2099	वायदा बाजार में रुई की खरीद पर रोक	Control of Speculative Purchases of Cotton	60
2100	पांचवीं योजनावधि के दौरान ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार	Bank expansion in Rural/Backward areas drawing Fifth Plan . .	61
2101	बैंकों के लिये धन संसाधनों पर प्रतिबंध	Banks caught up in Resources Squeeze	62
2102	एण्ड्रयूल एंड कम्पनी	Andrew Yule and Company	62
2103	स्वनियोजित व्यक्तियों द्वारा आयकर अपवंचन को रोकने के लिये कार्यवाही	Steps to check evasion of Income Tax by self-employed individuals . .	62
2104	काफी के बीजों के निर्गम मूल्य में वृद्धि	Increase in Release price of Coffee Seeds	63
2105	राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि पर ब्याज की दर में वृद्धि	Increase in rate of interest of deposits in Nationalised Banks . . .	63
2106	दिल्ली में शुष्क पत्तन की स्थापना	Setting up of Dry Port in Delhi .	64
2107	होटलों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earned by Hotels .	64
2108	शत प्रतिशत निर्यात करने वाली फर्मों में अधिकांश विदेशी इक्विटी पूंजी लगाई जाना	Majority Foreign Equity participation for 100 per cent Exporting Firms	65
2109	ग्रामीण क्षेत्रों में कपड़े का वितरण	Distribution of cloth in Rural areas	65
2110	व्यवसायियों को आय-कर के घेरे में लाने के लिये पश्चिम बंगाल के आय-कर अधिकारियों द्वारा चलाया गया अभियान	Drive launched by Income Tax Authorities, West Bengal to bring Professionals with purview of Income Tax	66
2111	राज्यों को वित्तीय सहायता .	Financial Assistance to States .	66
2112	सरकारी क्षेत्र में स्थित संयंत्रों की क्षमता	Capacity of Public Sector Plants	66
2113	इंडियन एयरलाइंस में रोजगार संबंधी जालसाजी	Employment Racket in Indian Airlines	67
2114	बैंक आफ बड़ौदा एम्पलाइज फेडरेशन के प्रतिनिधियों और बैंक आफ बड़ौदा के प्रबंधकों के बीच हुए समझौते का क्रियान्वित किया जाना	Implementation of Agreements arrived at between the Representatives of Bank of Baroda Employees Federation and the Management of Bank of Baroda	68

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2115	ओवरड्राफ्ट को दीर्घावधि ऋण में बदलने के लिए केरल सरकार से अनुरोध	Request from Kerala Government for Conversion of Overdraft into long term loan	68
2116	चीनी के निर्यात के बारे में निर्णय लाने में विलम्ब	Delay in taking decision on Export of Sugar	68
2117	निदेशक बोर्ड के कर्मचारियों के प्रतिनिधि को पुनः नामजद करने के बारे में यूनियन बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों और प्रबंधकों के बीच विवाद	Dispute between the Employees and Management of Union Bank of India regarding Re-nomination of Workers Representative on Board of Director	69
2118	सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में अनुत्पादक व्यय	Unproductive Expenditure in the Public and Private Sectors . . .	69
2119	पंजाब में ऊनी उद्योग में संकट	Strain on Woollen Industry in Punjab	70
2120	राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित तांबे, मेंगनीज और अभ्रक के मूल्य	Prices of Copper Manganese and Mica imported by STC	70
2121	अयस्कों का निर्यात	Export of Ores . .	71
2122	सरकारी उपक्रमों पर व्यय को कम करने के उपाय	Steps to reduce Expenditure in Public Sector Undertaking . . .	71
2123	स्टेनलैस स्टील के आयात की अनुमति	Grants of Import entitlement on Stainless Steel	72
2124	खाड़ी के शेखराज्यों को चावल की तस्करी रोकने के लिये कार्यवाही	Steps to check smuggling of Rice to Gulf Sheikhdoms	73
2125	कोचीन सीमा शुल्क विभाग द्वारा पुरानी मशीनों के आयात के मामलों का पता लगाना	Cases regarding Import of Second Hand Machinery detected by Cochin Customs	74
2126	बेगमपेट हवाई अड्डे पर विमान-चालक द्वारा बोईंग 737 विमान का लापरवाही से उतारा जाना	Reckless Flying by Pilot of Boeing 737 Aircraft while Landing at Begumpet Airport.	74
2127	विदेशों द्वारा सहायता रोका जाना	Stoppage of Aid from Foreign Countries	75
2128	पड़ौसी देशों से भारत में मादक पदार्थों का चोरी छिपे लाया जाना	Smuggling of Narcotics into India from Neighbouring Countries . .	75
2129	आयकर विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना	Submission of Income Tax Returns	76
स्थगन प्रस्ताव— (अनुमति का न दिया जाना)		Motion for Adjournment— (Consent withheld) .	77

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
कांग्रेस पार्टी के युवा विंग द्वारा आयोजित रैली में सरकारी तंत्र का कथित दुरुपयोग	Alleged Misuse of Government machinery to help rally organised by Youth Wing of Congress Party . .	77
सदस्य की गिरफ्तारी (श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी)	Arrest of Member (Shrimati Vibha Ghosh Goswami)	84
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	Papers Laid on the Table—	86
विधेयक पर अनुमति	Assent to Bill .	87
सभा के कार्य के बारे में	Re. Business of the House . . .	87
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
देश में कागज की भारी कमी, तथा पाठ्य पुस्तकों और कापियों का उपलब्ध न होना	Acute shortage of paper and non-availability of Text Books and Exercise Books in the country . .	88
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Inderjit Gupta	88
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subrahamaniam	88
याचिका समिति	Committee on Petitions	94
18वां प्रतिवेदन	Eighteenth Report .	94
सभा का कार्य	Business of the House	94
विधेयक पुरःस्थापित—	Bills Introduced— . .	
(1) ग्राम सभाओं के माध्यम से विकास कार्यक्रमों का आयोजन और क्रियान्विति विधेयक (श्री रणबहादुर सिंह द्वारा)	Planning and Implementation of Developmental Programmes through Gram Sabhas Bill . . . (By Shri Ranabahadur Singh) . .	100
(2) पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से विकास कार्यक्रमों का आयोजन और क्रियान्विति विधेयक (श्री रणबहादुर सिंह द्वारा)	Planning and Implementation of Developmental Programmes through Panchayat Raj Institutions Bill . (By Shri Ranabahadur Singh) .	100
(3) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 324 का संशोधन) (श्री मुरासोली मारन द्वारा)	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Article 324) . . (By Shri Murasoli Maran) . .	101
(4) राज्यपालों की नियुक्ति विधेयक (श्री समर गुह द्वारा)	Appointment of Governors Bill . (By Shri Samar Guha) . .	101
(5) भारत में विदेशी मिशनों द्वारा राजनीतिक साहित्य का प्रकाशन तथा आयात (विनियमन) विधेयक (श्री समर गुह द्वारा)	Publication and Import of Political Literature by Foreign Missions in India (Regulation) Bill . . . (By Shri Samar Guha) . . .	101

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
(6) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 24, 84 आदि का संशोधन) (श्री मधु लिमये द्वारा)	Constitution (Amendment) Bill Amendment of articles 24, 84 etc. (By Shri Madhu Limaye)	102
(7) एकाधिकारी तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक (धारा 2, 20 आदि का संशोधन) (श्री मधु लिमये द्वारा)	Monopolies and Restrictive Trade Practices (Amendment) Bill (Amendment of Sections 2, 20 etc.) (By Shri Madhu Limaye)	102
(8) बेरोजगारी भत्ता विधेयक (श्री विक्रम महाजन द्वारा)	Unemployed Allowance Bill (By Shri Vikram Mahajan) . .	102
(9) छात्रों को अनिवार्य तकनीकी प्रशिक्षण विधेयक (श्री विक्रम महाजन द्वारा)	Compulsory Technical Training to Students Bill (By Shri Vikram Mahajan)	103
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 19 और 326 का संशोधन (डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय द्वारा)	Constitution (Amendment) Bill . . (Amendment of Articles 19 and 326) (By Dr. Laxminarayan Pandeya)	103
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider .	
श्री के० एम० मधुकर	Shri K. M. Madhukar .	103
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion . .	105
विदेशों में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों, टेक्नालाजिस्टों और इंजीनियरों को आकर्षित करने की पैकेज योजना	Package Schemes to Attract Scientists, Technologists and Engineers working abroad	105
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	Shri Vishwanath Pratap Singh	105
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subrahamanian .	107

लोक सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 9 अगस्त, 1974/18 श्रावण, 1896 (शक)
Friday, August 9, 1974/Sravana 18, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair.]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पेय महंगाई भत्ता

*282. **श्री पी० वेंकटासुब्बया**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का, जो लम्बी अवधि से देय है, भुगतान करने के अपने वचन का पालन करे; और

(ख) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को, 1 अप्रैल, 1974 से अतिरिक्त महंगाई भत्ते की एक और किश्त की मंजूरी देने के संबंध में पहले ही आदेश जारी किये जा चुके हैं। इस अतिरिक्त महंगाई भत्ते को अदायगी का विनियमन, अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अध्यादेश, 1974 के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा। कर्मचारियों को 1 जून, 1974 से अतिरिक्त महंगाई भत्ते की एक और किश्त की मजूरी देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया: यह वृद्धि अप्रैल में ही देय थी। औसत मूल्य सूचकांक के 256 पर पहुंच जाने से दूसरी किश्त जून में देय हो गई थी जैसा कि मंत्री महोदय ने माना है और एक अन्य वृद्धि जुलाई में आवश्यक हो गई है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए तीन किश्तें देय हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अप्रैल में देय हुई किश्त पर अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अध्यादेश भूतलक्षी प्रभाव से लागू क्यों किया जा रहा है और महंगाई भत्ते की उस राशि का भुगतान कर्मचारियों को उक्त अध्यादेश लागू किये बिना ही क्यों नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि मूल्य वृद्धि की तुलना में हमारे यहां मंजूरी में वृद्धि विश्व में सबसे कम हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए

और अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि के संदर्भ में क्या सरकार का विचार एक अन्य नया वेतन आयोग नियुक्त करने और पूरे मामले पर नये सिरे से विचार करने का है ताकि मूल्य वृद्धि और वेतन-वृद्धि संतुलित हो जायें ?

श्री के० आर० गणेश : औसत मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो से लगभग दो महीने बाद प्राप्त होता है। फिर विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए इसे कुछ और समय लगता है।

श्री मधु लिमये : प्रक्रियाएं कौन-कौन सी हैं ?

श्री के० आर० गणेश : पहले इस पर वित्त मंत्रालय विचार करता है और फिर सरकार उस पर विचार करती है आप यह सब जानते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : सरकार केवल अध्यादेश की प्रतीक्षा में थी।

श्री के० आर० गणेश : मैंने अभी बताया है कि औसत आंकड़े हमें दो महीने बाद मिलते हैं और फिर निर्णय लेने में सरकार को भी समय लगता है। स्वयं अध्यादेश में यह उल्लेख है कि 6 जुलाई से बाद में देय होने वाले महंगाई भत्ते या वेतन वृद्धि पर अध्यादेश के उपबन्ध लागू होंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 'देय' होने का क्या अर्थ है ? 'देय' तो यह अप्रैल में ही हो गया था हां, आपने इसके भुगतान को स्थगित रखा है।

श्री के० आर० गणेश : जहां तक नए वेतन आयोग की नियुक्ति और हमारे देश में महंगाई भत्ते में विश्व में सबसे कम वृद्धि होने का प्रश्न है, वेतन आयोग ने महंगाई भत्ते का एक सूत्र सुझाया हुआ है। अन्य देशों में तत्सम्बन्धी सूत्र के बारे में मुझे पता नहीं है। परन्तु मैं यह अवश्य बताना चाहता हूं कि विश्व में ऐसे देश बहुत कम हैं जहां जीवन-निर्वाह खर्च में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ता स्वतः बढ़ जाता है और भारत उनमें से एक है। मेरा कहने का यह मतलब नहीं है कि हमारे यहां महंगाई में हुई वृद्धि के लिए शत प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाता है। जहां तक नये वेतन आयोग की बात है तीसरे वेतन आयोग ने 1973 में रिपोर्ट दी थी और उसकी सिफारिशें 1-1-1973 से लागू की गई हैं। जहां तक अध्यादेश का प्रश्न है, मुद्रास्फीति की सचाई के कारण ही अध्यादेश लाया गया है।

श्री एस० एम० बनर्जी : कर्मचारी नया आयोग नहीं चाहते । अब निर्णय लेने का काम वित्त मंत्रालय का है।

श्री के० आर० गणेश : अब महंगाई भत्ते की संचयी दर 24 प्रतिशत है और यह विभिन्न स्तरों पर 18 प्रतिशत से 24 प्रतिशत के बीच है। निम्नतम स्तर पर यह 24 प्रतिशत है। अब 1-5-1973 से 1-4-1974 तक महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश दिये जा चुके हैं। और इसके लिए सरकार को लगभग 306 करोड़ रुपये व्यय करने होंगे और भावी वृद्धियों के साथ इस राशि में और भी वृद्धि होगी।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या महंगाई भत्ते में प्रत्येक वृद्धि के लिए सरकार का वित्तीय भार 52 करोड़ रुपये बढ़ेगा ? मुद्रास्फीति के इस वातावरण में, जो आज देश में व्याप्त है क्या सरकार इसे रोकने के लिए सरकारी कर्मचारियों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में राजसहायता देने की किसी योजना पर विचार कर रही है ताकि ये दिक्कतें दूर हो जायें ?

श्री के० आर० गणेश : यह सच है कि महंगाई भत्ते में प्रत्येक वृद्धि से सरकार का वार्षिक खर्च 50 से 52 करोड़ रुपये बढ़ेगा। इस स्थिति पर सरकार और सभा दोनों को ही अपने-अपने दृष्टिकोण से विचार करना होगा। इस समय औसत मूल्य सूचकांक में जो वृद्धि हो रही है, उसके आधार पर

जनवरी 1975 तक महंगाई भत्ते की कई किश्तें देय हो जायेंगी। सभा को पता है कि इस पर चर्चा हो चुकी है। धारिया समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। वर्तमान मुद्रास्फीति के समय में यह स्पष्ट ही है कि यदि आवश्यक वस्तुएं राजसहायता-प्राप्त मूल्य पर न भी दी जा सकें तो उन्हें स्थिर मूल्य पर ही देकर अधिकांश समस्याएं हल की जा सकती हैं। इस ओर सरकार लगातार ध्यान दे रही है।

Shri Madhu Limaye: At present rate of rise in the price index, D.A. instalment will become due every month and for this inflationary trend, Government are responsible. To compensate this price rise, government enhances D.A. of its employees. So, how far is it justified to freeze the emoluments of employees and to issue an ordinance like the one recently issued?

श्री के० आर० गणेश: मैं यह तो नहीं कहता कि महंगाई में वृद्धि प्रति मास देय हो जायेगी। परन्तु यह तथ्य है कि वर्तमान बढ़ती हुई महंगाई में महंगाई-भत्ते में वृद्धि की और कई किश्तें देनी होंगी।

Shri Nathu Ram Ahirwar: The increase in D.A. is followed by further increase in the cost of living. But D.A. is increased for only organised sector. What's about the labour in lakhs, who work in rural areas, in agriculture, on roads and in dairies ? I would like to know whether steps will be taken to ensure benefits of increased D.A. to this unorganised sector also ?

Mr. Speaker: It is not relevant to the main question which is about government employees. You should give a separate notice for it.

Shri Nathu Ram Ahirwar: But it affects the whole country.

श्री इन्द्रजीत गुप्त: श्रीमान, मंत्री महोदय ने बताया है कि 6 जुलाई का अध्यादेश इस तारीख से बाद देय होने वाले महंगाई भत्ते पर लागू होगा। तो फिर यह अध्यादेश महंगाई भत्ते की उस किश्त पर, जो पहली अप्रैल को देय हो गयी थी और जिसकी अब घोषणा कर दी गई है, लागू क्यों किया जा रहा है ? क्या अध्यादेश जारी किये जाने से पूर्व ही यह किश्त पहली अप्रैल को देय हो गई थी; यदि हां, तो इस पर अध्यादेश बिल्कुल भी लागू नहीं होना चाहिए। क्या अध्यादेश में कोई ऐसा उपबन्ध है कि इसका भूतलक्षी प्रभाव होगा ? उसमें कोई ऐसा उपबंध नहीं है। सरकार अपनी गलती के लिए कर्मचारियों को दंडित क्यों कर रही है ?

श्री के० आर० गणेश: जैसे मैंने पहले बताया है कि मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आंकड़े लगभग डेढ़ महीने पश्चात् सरकार को उपलब्ध होते हैं और उसके लिए महंगाई भत्ते के भुगतान में दो महीने का समय उक्त आंकड़े प्राप्त होने के बाद, लगता है। जहां तक 6 जुलाई को जारी किये गये अध्यादेश का सवाल है, जुलाई से बाद के सभी महंगाई भत्ते इसकी परिधि में आते हैं।

श्री अटल विहारी बाजपेयी: यह अध्यादेश कैसे लागू हो सकता है ?

श्री एस० एम० बनर्जी: चूंकि कर्मचारियों को भुगतान करना है इसलिए अध्यादेश को भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: कुछ कम्पनियों में ऐसे करार किये जा रहे हैं जिनके अनुसार अध्यादेश के लागू होने के बाद भी भुगतान किया जायेगा। यह किश्त अध्यादेश के क्रियान्विति क्षेत्र से परे है।

श्री बी० वी० नायक : केन्द्रीय सरकार द्वारा महंगाई भत्ता दिये जाने के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों, विशेषकर कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने के निर्णय का विरोध किया है, क्योंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा वृद्धि की जाने पर राज्य सरकारों के कर्मचारी भी इसकी मांग करते हैं जब कि राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने की स्थिति में नहीं हैं। यदि राज्य सरकारों से ऐसी शिकायतें केन्द्र को मिली हैं, तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री के० आर० गणेश : यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को लिखा है और यह भी सच है कि राज्य सरकारों के कर्मचारी भी ऐसी ही मांग करते हैं। इस किश्त में विलम्ब का एक कारण यह भी है कि राज्य सरकारों को स्थिति से अवगत कराया गया था। केन्द्रीय सरकार के बारे में सभा में कई बार स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है कि कुछ परम्पराओं और तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार अपने कर्मचारियों के प्रति वचनबद्ध है। सरकार अपने वचन को पूरा करने से नहीं मुकरना चाहती। जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, अपने कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए स्वयं उन्हें ही साधन जुटाने होंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Sir, Government is responsible for rise in pices and to compensate this government employees are paid dearness allowance. Here I would like to know the reasons why the representatives of government employees were not consulted before taking the decision about compulsory deposit ? What is the justification for taking this unilateral decision and deprieving the employees of their 50 per cent dearness allowance ?

श्री के० आर० गणेश : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि अध्यादेश पर विचार करते समय वे 'देय राशि' और 'दत्त राशि' पर अधिक बल दे सकते हैं। यह हम स्वीकार करते हैं कि आज मुद्रास्फीति की स्थिति गम्भीर है और इससे निपटने के लिए सरकार सुविचारित प्रयास कर रही है। ये अध्यादेश भी सरकार के ऐसे प्रयत्नों के रूप में हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से अध्यादेश जारी करने से पूर्व विचार-विमर्श किया गया था ?

श्री के० आर० गणेश : देश में विद्यमान श्रमिक संघों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह संभव नहीं था कि उनसे परामर्श किया जाता, क्योंकि अध्यादेश को शीघ्र ही जारी करना था।

श्री बसन्त साठे : महंगाई के कारण महंगाई भत्ता दिया जाता है। महंगाई भत्ता दिया जाता है और परिणामतः मंहगाई और बढ़ जाती है। क्या सरकार वस्तुओं का मूल्य कम करने के लिए कोई कार्यवाही करेगी जिससे इस कुचक्र से निकला जा सके ? हाल ही में जारी किये गये अध्यादेश और विधेयक, जो राजकोष सम्बन्धी उपाय कहे जा सकते हैं, मूल्य वृद्धि को रोकने में असमर्थ रहे हैं। सरकार मूल्य स्थिर करने के लिए अन्य क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री के० आर० गणेश : इसके बारे में सभा में पहले भी चर्चा हो चुकी है । वित्त (संख्या 2) विधेयक पर चर्चा हो चुकी है। अध्यादेशों पर भी चर्चा होगी। मूल्य-वृद्धि और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार जो उपाय कर रही है, उनमें से कुछ ये हैं। हाल ही में जारी किये गये अध्यादेश ऋण पर प्रतिबंध, वस्तुओं की सप्लाई में वृद्धि, गैर-योजना खर्च में कटौती आदि। ये सारे उपाय किये जा चुके हैं। इनका परिणाम सामने आने में कुछ समय लगेगा। काले धन तथा अन्य समाज विरोधी गतिविधियों को रोकना होगा और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को नया रूप देना होगा।

श्री एन० श्रीकान्त नायर : क्या एकाधिकार काले पूंजिपतियों, जमाखोरों और चोरबाजारी करने वालों पर नियंत्रण ढीला होने से मुद्रास्फीति को कम किया जा सकता है? ये लोग ही काले धन के प्रयोग से समाजविरोधी कार्य करते हैं और निर्धन श्रमिक वर्ग को कम भुगतान करते हैं?

श्री के० आर० गणेश : मैं माननीय सदस्य की उस बात से सहमत हूं कि जब तक काले धन और समाजविरोधी कार्यों पर नियंत्रण नहीं किया जायेगा तब तक जो भी उपाय किये गये हैं बेकार हैं।

श्री जे० माता गौडर : क्या यह सच है कि बागान श्रमिकों की ओर से यह अभ्यावेदन दिया गया है कि उनकी मजूरी, महंगाई भत्ते, बोनस आदि में होने वाली वृद्धि की आधी राशि को जमा न किया जाये? यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न सरकारी कर्मचारियों के बारे में है।

श्री जे० माता गौडर : बागान श्रमिकों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। उन्होंने प्रधान मंत्री को एक तार दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप पृथक सूचना दीजिये।

Shri Somchand Solanki: A Pay Commission is appointed after one or two years of the rise in prices has taken place. By the time the recommendations are made by the Pay Commission prices rise 100 to 200 per cent. May I know from the hon. Minister as to where the Government want to lead the public with this price rise ? The burdon of the price rise is bone by the people as a result of which people feel agitated and the Ministers and the Government are least bothered. They are allowing abnormal rise in prices and creating serious problems for the pubic.

Mr. Speaker: I could not follow your question.

श्री सोम चन्द सोलंकी : मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है?

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले को किसी अन्य अवसर पर उठा सकते हैं।

श्री के० लकप्पा : इस प्रश्न पर आधा घंटा समाप्त हो गया। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। अगले प्रश्न पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है श्री के० लकप्पा की यह मांग उचित है। आप समझते हैं जैसे कि प्रत्येक प्रश्न पर प्रत्येक पार्टी और ग्रुप के सदस्य को प्रश्न पूछने का अधिकार है, मैं इस बात को नहीं मानता। कभी-कभी आप प्रश्न कर सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह मजूरी वृद्धि पर रोक का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न है। प्रश्न काल में सामान्यतः वाद-विवाद नहीं किया जा सकता।

श्री एस० एम० बनर्जी : सौभाग्य से यह प्रश्न बैलट में आ गया है। मैं इस सभा में मांग करता रहा हूं कि वित्त मंत्री द्वारा एक वक्तव्य दिया जाना चाहिये। यह मजूरी वृद्धि पर रोक की दिशा में पहला कदम है। श्रमिकों को ज्ञात हो गया है कि एक अध्यादेश की आड़ में सरकार ने जो कुछ कहा है उसका अर्थ मजूरी वृद्धि पर रोक लगाना ही है।

अध्यक्ष महोदय आप जो कहना चाहते थे कह चुके हो।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं एक बात जानना चाहता हूं। मैंने सरकारी कर्मचारियों के साथ 35 वर्ष व्यतीत किये हैं। सरकार ने उनके साथ छल किया है।

Mr. Speaker: It is difficult to satisfy you on any question. Half-an-hour has passed. You daily ask question and what difference it would make if you don't ask question one day.

Shri S. M. Banerjee: What would happen if one minute's time is given to each of the Members ?

Mr. Speaker: Half-an-hour discussion on it may be allowed if you so desire.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : माननीय सदस्य ने प्रश्न एक भी नहीं किया किन्तु कम-से-कम 10 मिनट ले लिये हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमें भी इस मामले पर अपनी बात अवश्य कहनी है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वे ऐसी कठिन स्थिति उत्पन्न करते हैं। सामान्य प्रक्रिया यह है कि प्रश्न की सूचना देने वाले सदस्य को एक या दो प्रश्न पूछने का अधिकार है तथा अन्य सदस्य कभी-कभी कोई प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह कटौती अवैध है। उन्होंने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को धोखा दिया है। सब कुछ निर्धन व्यक्तियों की खाल उतारने के लिए किया गया है तथा करोड़पतियों को छुआ तक नही गया। मैं संयुक्त सलाहकार व्यवस्था का सदस्य हूं। इसके साथ कोई परामर्श नहीं किया गया। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के साथ परामर्श नहीं किया गया।

श्री सोम चन्द सोलंकी : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रश्न में कुछ नहीं है **(व्यवधान)** एक मिनट; आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : श्री वेंकटासुब्बया ने प्रश्न पूछ लिया है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते में वृद्धि से सम्बन्धित यह तीसरा अवसर है। यहाँ यह बताया गया है कि पहली किश्त अप्रैल से देय थी तथा उस समय कोई अध्यादेश लागू नहीं था। सरकार ने बढ़े हुये महंगाई भत्ते में से केवल 50 प्रतिशत भत्ते का भुगतान किये जाने का निर्णय किया है। दूसरी ओर दो महीने पहले शिमला ब्यूरो द्वारा महंगाई भत्ते का हिसाब लगाने के लिये अपनाये गये दोषपूर्ण तरीके के बारे में एक समिति नियुक्त की गई तथा उस समिति ने स्पष्ट निर्णय दे दिया है। यह केवल 54 रुपयों की इस राशि के बारे में है। पटसन मजदूरों को प्रति माह ठगा जा रहा है। क्या सरकार को दोषपूर्ण गणना का पता है ? क्या सरकार इसे केवल मजूरी वृद्धि पर रोक ही नहीं वरन् मजूरी में कटौती भी मानती है क्योंकि उसमें मूल्य वृद्धि पर रोक लगाये जाने की घोषणा करने की क्षमता नहीं हे ?

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा। उन्होंने निर्वाह मूल्य सूचक अंकों का गणना के दोषपूर्ण तरीके का उल्लेख किया है। मजदूर संघ यह कह रहे हैं कि यह तरीका दोषपूर्ण है और सरकार इस तरीके में सुधार करने का प्रयत्न कर रही है। इस तरीके के अनुसार भी अत्यन्त अधिक भार बढ़ा है। इस स्थिति से निकलने का कोई प्रश्न नहीं है। दूसरे, उन्होंने कहा है कि यह मजूरी वृद्धि पर प्रतिबन्ध है। मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे एक प्रश्न पूछने दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह सलाह देना चाहते हैं कि एक प्रश्न के लिये एक घंटे का समय दो ?

श्री एस० एम० बनर्जी : परिवार नियोजन के बारे में एक साधारण प्रश्न पर 25 मिनट व्यतीत हो जाते हैं। इस का तो करोड़ों मजदूरों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

Shri Krishna Chandra Pandey: On a point of order, Sir, 20 questions are allowed while the entire time fixed for them is spent on one question only. Are rest of the question are not important ?

श्री एस० एम० बनर्जी : मजदूरी वृद्धि पर रोक के लिये यह पहला कदम है। स्वतंत्रता प्राप्ति के गत 27 वर्षों से जिनका शोषण किया जा रहा है उन लाखों श्रमिकों की ओर से हम इसके विरोध में सभा भवन से बाहर जाते हैं। हम उनसे संसद् की बजाय देश की गलियों में मिलेंगे।

इसके पश्चात् श्री एस० एम० बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये।

Shri S. M. Banerjee and some other hon. Members then left the House.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह मजूरी में कटौती है तथा सरकार लाखों कर्मचारियों को उनकी न्याय-संगत मजूरी से वंचित कर रही है। हम भी सभा भवन से बाहर जाते हैं।

इसके पश्चात् श्री दीनेन भट्टाचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

Shri Dinen Bhattacharya and some other hon. Members then left the House.

Shri Madhu Limaye: I condemn the policies of the Government.

इसके पश्चात् श्री मधु लिमये और कुछ माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये।

Shri Madhu Limaye and some other hon. Members then left the House.

श्री पी० जी० मावलंकर : जब इतना असंतोष है तो आप कुछ और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति क्यों नहीं देते ? हमें पूरे और पर्याप्त उत्तर नहीं मिलते। इसी लिये हम असंतुष्ट हैं।

श्री के० आर० गणेश : मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है।

श्री पी० जी० मावलंकर : मेरे निर्वाचन क्षेत्र अहमदाबाद के बड़ी संख्या में श्रमिकों, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा कपड़ा मजदूरों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आप मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति न देकर सभा-भवन से बाहर जाने के लिये बाध्य कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सभी का यह व्यवहार है तो सभा का कार्य कैसे चलाया जाएगा ? एक समय था जब सूची में 40 प्रश्न होते थे। उसके पश्चात् हमने इन्हें घटा कर 20 कर दिया। अब जब भी दूसरे प्रश्न आरम्भ करने का प्रयास किया जाता है तो हंगामा और विरोध किया जाने लगता है। आज एक ही प्रश्न पर 40 मिनट से ज्यादा समय व्यतीत हो गया। उसके बाद भी आप यह

शिकायत करते हैं कि अधिक प्रश्नों की अनुमति नहीं दी जाती। आप चाहें तो इस पर वाद-विवाद की मांग कर सकते हैं। किन्तु प्रश्न काल में शेष 19 प्रश्नों को समय न देकर उन सदस्यों को उनके प्रश्न पूछने के अधिकार से वंचित करना उचित नहीं है। यह कहना न्यायसंगत नहीं है कि अन्य 19 प्रश्नों को बिना उत्तर दिये ही जाने दिया जा सकाता है क्योंकि आप एक प्रश्न में रुचि रखते हैं।

अगला प्रश्न।

भारतीय रुई निगम द्वारा रुई की खरीद

*284. **श्री वेकारिया** :†

श्री अरविन्द एम० पटेल:

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 के दौरान भारतीय रुई निगम द्वारा विभिन्न राज्यों से खरीदी गई रुई की कुल गांठों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या रुई खरीद केन्द्र खोल दिये गये हैं और यदि हां, तो कब ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

रुई वर्ष 1973-74 के दौरान भारतीय रुई निगम द्वारा विभिन्न राज्यों से खरीदी गई रुई की कुल मात्रा 3,24,677 गांठें हैं जिसका राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है :

(1)	(2)
	गांठें
पंजाब .	1,78,362
हरियाणा	30,139
राजस्थान	40,354
कर्नाटक	53,268
आन्ध्र प्रदेश	16,074
मध्य प्रदेश	2,797
गुजरात	2,993
तमिलनाडु	690
योग	3,24,677

1973-74 के दौरान खरीददारी के लिये भारतीय रुई निगम ने समस्त देश में 74 केन्द्र खोले। जब भी आवश्यक होगा, अतिरिक्त क्रय केन्द्र खोले जा सकते हैं।

श्री वेकारिया : रुई का राज्यवार (कुल कितना उत्पादन है और प्रत्येक राज्य में कितने कितने क्रय केन्द्र खोले गये हैं ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : भारतीय रुई निगम ने वर्ष 1973-74 के दौरान विभिन्न राज्यों से 3,24,677 गांठ रुई की खरीद की है।

श्री वेकारिया : मैंने रुई के उत्पादन के बारे में पूछा है खरीद के बारे में नहीं।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मूल प्रश्न रुई की खरीद के बारे में था मैंने इसीलिये ये आंकड़े बताये हैं। 16 लाख गांठों का उत्पादन हुआ और कुल 74 केन्द्र खोले गये।

श्री वेकारिया : यद्यपि गुजरात में अधिक रुई का उत्पादन हुआ है फिर भी कई निगम ने गुजरात से कम रूई खरीदी है। क्या यह बात सच है ? यह बात मैं कुल उत्पादन राज्यवार खोले गये केन्द्रों के संदर्भ में ही जानना चाहता हूं।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मूल प्रश्न खरीद के बारे में पूछा गया था। मैंने कुल उत्पादन के आंकड़े बता दिये हैं। यदि उत्पादन के राज्यवार आंकड़े चाहिये तो मैं उन्हें इस समय नहीं बता सकूंगा। राज्यवार क्रय केन्द्रों की संख्या मैं बता सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जब माननीय सदस्य ने स्पष्ट प्रश्न पूछा है तो मंत्री महोदय द्वारा विवरण में ही जानकारी दे दी जानी चाहिये थी।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : प्रश्न राज्यवार खरीद के बारे में था और इस सम्बन्ध में जानकारी सभा पटल पर रख दी गई है। अब राज्यवार उत्पादन के बारे में पूछा जा रहा है इस समय ये आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। जहां तक प्रत्येक राज्य में क्रय केन्द्रों की संख्या का सम्बन्ध है, ये आंकड़े इस प्रकार हैं : पंजाब 18, हरियाणा 14, राजस्थान 11, कर्नाटक 14, आन्ध्र प्रदेश 6, मध्य प्रदेश 8, गुजरात 2 तथा तमिलनाडु में एक।

श्री वेकारिया : मंत्री महोदय ने उत्तर में बताया है कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त केन्द्र खोले जा सकते हैं। क्या गुजरात सरकार ने ऐसा अभ्यावेदन दिया है कि गुजरात में ओटने वाली सरकारी मिलों के पास बहुत बड़ी संख्या में रूई की गांठें पड़ी हुई हैं, यदि हां तो, क्या सरकार का विचार गुजरात में रूई की खरीद के लिये भारतीय रूई निगम के क्रय केन्द्र खोलने का है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : पहले प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक है। सराकार को ऐसा अनुरोध प्राप्त हुआ है। दूसरे माननीय सदस्य ने जिस रूई का संदर्भ दिया है वह रूई किसानों द्वारा बेची जा चुकी है और अब बिचौलियों के हाथों में है। वर्तमान बाजार मूल्य बहुत ऊंचे हैं। इस समय रूई निगम के बाजार में प्रवेश करने से मूल्य और बढ़ जायेंगे।

श्री वेकारिया : मैं बिचौलियों के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। मैंने ओटाई तथा धुनाई मिलों के बारे में पूछा है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने बताया है कि वर्तमान बाजार भाव बहुत ऊंचे हैं। गुजरात में भारतीय रूई निगम बड़े पैमाने पर खरीद इसलिये नहीं करता है कि वहां सहकारी समितियां खरीद करती हैं। यदि किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों में कोई विशिष्ट समस्यायें हों तो उन पर ध्यान दिया जा सकता है। सामान्य स्थिति मैंने स्पष्ट कर दी है।

श्री पी० के० देव : स्पष्ट प्रश्न पूछा गया था कि क्या सहकारी समितियों से रूई की खरीद की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने मंत्री महोदय का ध्यान किसी विषय की ओर दिलाया और उन्होंने उसके बारे में कुछ जानकारी दी है।

Shri Kukam Chand Kachwai: Sir, May I know whether it is a fact that Corporation does not purchase the Cotton at the time when farmers take it to mandis and therefore, farmers are compelled to sell it to middlemen at cheaper rates. and the corporation later on purchase it from the middlemen at higher rates and thus the producers are deprived of proper cost of their produce ? Have such complaints been received ?

In view of the consumption of cotton in the country may I know whether the Corporation has purchased cotton in adequate quantity so that textile Mills are not closed down and if not, the quantity proposed to be imported from foreign countries ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं बता चुका हूं कि देश को 60 लाख गांठ रूई की आवश्यकता होती है। माननीय सदस्य ने जिस समस्या के प्रति चिंता व्यक्त की है मैं उसके प्रति सजग हूं। उन्होंने ठीक ही कहा है कि बिचौलियों के कारण किसानों को कपास की उचित मूल्य नहीं मिल पाता है और यही कारण है कि भारतीय रूई निगम द्वारा अधिकाधिक क्रय केन्द्र खोले जा रहे हैं। परन्तु ऋण बन्द कर दिये जाने के कारण भारतीय निगम उस सभी रूई की खरीद कर पाने की स्थिति में नहीं है जिसे खरीदने का उसका विचार था।

श्रीमती लक्ष्मी कान्त झा : यह सच है कि कृषकों के लिए मूल्य आकर्षक है। परन्तू क्या यह सच नही है कि मिल मालिक मूल्य को नीचे लाने के लिये षड़यन्त्र करते रहते हैं। इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश में काफी भूमि में रूई की खेती की गई। अतः किसानों में इस बात का भय है कि मूल्य यकायक कम कर दिये जायेंगे। इसीलिये उनकी यह इच्छा है कि भारतीय रूई निगम आज जैसे हालत में अधिकाधिक रूई की खरीद करे। समाचार के अनुसार भारतीय रूई निगम ने आन्ध्र प्रदेश से 16000 गांठ रूई खरीदी है जब और अधिक रूई खरीदी जानी चाहिये थी। क्या यह सच है कि गुन्तूर जिले के कुछ कृषकों के सहकारी क्षेत्र रूई मिल लगाने के लिए लाइसेंस मांगा है। क्या सरकार लाइसेंस देने के लिये तैयार है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : आवेदन पत्रों पर शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करा सकता हूं कि सहकारी क्षेत्र के आवेदन पत्रों पर अधिक ध्यान दिया जायेगा। जहां तक मूल्यों के कम होने की बात है हमें यकायक कमी आने की कोई बात नहीं दीखती है। रूई निगम का एक मात्र उद्देश्य है कि वे निश्चित समय अन्तराल के बाद माल निकालें ताकि बाजार भावों की स्थिति बनी रहे। तुरन्त मूल्यों में कमी आ जाने की हमें कोई बात नजर नहीं आती है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुये।

अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न ले चुका हूं।

श्री एच० एम० पटेल खड़े हुये।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे आधे घंटे की चर्चा के लिये भेजिये।

New Proforma for Filling Income-Tax Returns

*285. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether this year a minor change has been made in the form for submission of return of income by adding Annexure H and a line under particulars;

(b) whether after this minor change, the old forms have not been accepted in Income-tax Offices and only new ones have been accepted; and

(c) whether on account of this change a large number of old forms have gone waste and Government suffered loss worth lakhs of rupees; and

(d) if so, the reasons therefor ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) से (घ) इस वर्ष आय की विवरणी दाखिल करने के फार्म में 1 जून, 1974 से लागू होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। इस तारीख से आय-कर विवरणियां, कानूनन, संशोधित फार्म में दाखिल की जानी है। जो फार्म पहले प्रयोग में थे वे, करनिर्धारण वर्ष 1974–75 तथा परवर्ती वर्षों के लिए वैध नहीं होंगे। वित्तीय वर्ष 1973-74 में विवरणी के 86,26,000 फार्म छपे थे। 31 मई, 1974 को, जब इन फार्मों का प्रयोग बन्द हुआ तब स्टाक में 8,85,000 फार्म थे। जो फार्म प्रयोग में आने बन्द हो गये हैं, उनकी लागत लगभग 80,000 रुपया है। ये फार्म अब अन्यथा लेखन-सामग्री के रूप में काम में लिये जायेंगे।

Dr Laxmi Narain Pandeya: Mr Speaker, Sir, Hon'ble Minister has not fully answered the question. I just wanted to know that when new forms had been introduced with effect from 1st June, why had had the old forms been discontinued immediately. The Income tax forms were required to be filled in upto 30th June and the old forms were accepted upto 1st June then why was the acceptance of old forms stopped for 30 days ? Because of this hundreds of persons had to face inconvenience in completing the Income-Tax forms. I want to know whether the Government could not use the old forms upto 30th June and whether it was not possible to do so ?

श्री के० आर० गणेश : इन नये फार्मों को इस कारण लागू करना पड़ा क्योंकि कानून में बहुत ही आमूल परिवर्तन किये गये थे जिन्हें नये फार्मों में शामिल करना पड़ा। जहां कहीं भी नये फार्मों की उपलब्धि में विलम्ब हो, वहां आयुक्तों के पास आवश्यक शक्तियां हैं और उन्हें अधिक समय की अनुमति देने की हिदायतें भी दी गयी हैं, ताकि जो फार्म उपलब्ध है, उन्हें इस प्रयोजन के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है।

Dr. Laxminarain Pandeya: The Hon'ble Minister has not answered correctly. I have got new as well as old both kinds of forms. There is very little difference between the old and the new forms for which correction could have been appended, but the Income-Tax Officers did not do that and thus hundreds of persons were put to great difficulty. If such a situation existed in Indore Division of Madhya Pradesh, could it not be instructed that the old forms should be accepted with amendment therein? By cancelling the old forms, there was a loss of Rs. 1 lakh which could have been avoided and the old forms could have been used. May I know whether any instructions were issued in this regard ?

श्री के० आर० गणेश : मैं पहले ही बता चुका हूं कि इन फार्मों में संशोधन करना पड़ा, क्योंकि करदाता की कुल आय की गणना करने के लिये कृषि आय, स्रोत पर कर को ले लेने के बारे में बहुत जोरदार परिवर्तन किये जा रहे हैं।

Dr. Laxminarain Pandeya: There is change of only one line. In the new form it is mentioned as follows:—

> "In the case of a Hindu undivided family, whether the family has at least one member whose total income assessable for the assessment year exceeds the minimum amount which is chargeable to income- tax."

In the old form it was mentioned as follows:—

> "In the case of Hindu undivided family, attach statement showing the name of the *kartha* and other members of the family who are entitled to claim partition, their age, address and relationship to the *kartha*."

There was only such a little difference. The Hon'ble minister says that the old forms would be used for other purpose, but for what purpose these forms would be used ?

श्री के० आर० गणेश : मैं माननीय सदस्य का ध्यान प्रश्न 11 पर परिशिष्टि ग की ओर दिलाता हूं, उसमें काफी अधिक परिवर्तन किया गया है। पुराने फार्मों में परिवर्तन करना सम्भव नहीं था। माननीय सदस्य ने कहा है कि स्लिपों को संलग्न किया जा सकता था। स्लिपों को संलग्न करने से अनेक प्रशासनिक समस्यायें पैदा होती हैं। ये फार्म सांविधिक दस्तावेज हैं और उन्हें वैध रूप से भरा जाता है। मुकदमें तथा छुपाने की प्रक्रिया में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिये इस फार्म में परिवर्तन करना नितान्त आवश्यक था।

Dr. Laxminarain Pandeya: The hon. Minister is again misguiding the House. You were accepting the old forms before 1st June, then what was the difficulty in accepting them upto 30th June ?

Mr. Speaker: Now leave this matter. You have asked the question and he has given the answer.

Shri Shanker Dayal Singh: Keeping in view of the shortage of the paper, the Government should not have incurred such type of unnecessary expenditure. May I know from the Government whether this order would be issued that old forms would also be used by appending only one or two lines in them.

Secondly, it is mentioned in part (c) that the old forms worth lakhs of rupees, have gone waste and the Government suffered. May I know the amount of loss Government incurred on this account and the amount spent on printing of new forms?

श्री के० आर० गणेश : इन फार्मों को 1 जून, 1974 के पश्चात् प्रयुक्त नहीं किया जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया है। इन परिवर्तनों को कानून में आधारभूत परिवर्तनों के किये जाने के कारण किया गया है और उन्हें पुराने फार्मों में शामिल नहीं किया जा सकता था। यह कहना ठीक नहीं है कि लाखों रुपये की हानि हुई। गत लेखा वर्ष में लगभग 86 लाख फार्मों का मुद्रण किया गया था, ताकि लगभग 34 लाख करदाताओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। शेष बचे फार्म लगभग 8 लाख हैं जो 10 प्रतिशत होते हैं और इनकी लागत लगभग 80,000 रुपये है।

फारस की खाड़ी वाले देशों के लिये जाने वाले निर्यात में वृद्धि

*286. **श्री एस० एन० मिश्र : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फारस की खाड़ी वाले देशों तथा अन्य तेल उत्पादक देशों को किये जाने वाले निर्यात में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की रूप रेखा क्या है; और

(ग) चालू तथा आगामी वित्तीय वर्ष में कितना अधिक निर्यात किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) इन प्रयासों से निर्यातों में जो वृद्धि होगी उसका निश्चित रूप से अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

विवरण

(क) तथा (ख) खाड़ी वाले राज्यों तथा तेल समृद्ध देशों को हमारे निर्यातों में वृद्धि करने के लिये विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्य बातें ये हैं :—

(1) व्यापारियों, वाणिज्य मण्डल तथा अन्य व्यक्तियों के प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान ;

(2) इन देशों के साथ व्यापार करार सम्पन्न करके अपने आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धों को संस्थात्मक बनाना।

(3) इस क्षेत्र में प्रदर्शनियों की व्यवस्था करना। उनमें भाग लेना।

(4) आर्थिक तथा औद्योगिक सहयोग वाले क्षेत्रों का पता लगाना तथा परामर्शी सेवाओं, तकनीकी जानकारी, संयंत्रों तथा मशीनों आदि के निर्यात की सम्भाव्यताओं का पता लगाना।

(5) अपने वाणिज्यिक मिशनों को सुदृढ़ करना।

(6) यथेष्ट तथा नियमित रूप से जहाजरानी सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करना।

(7) इन देशों में अपने बैंकिंग सम्बन्धी कार्यकलापों को बढ़ाना।

(8) भारतीय निर्यात सदनों, सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के संगठनों द्वारा कार्यालय खोलना।

(9) इन देशों के लिए चावल तथा चीनी जैसी कतिपय वस्तुओं के सम्बन्ध में विशेष निर्यात कोटे निश्चित करना।

(10) पंजीयित निर्यातक नीति के अधीन कच्चे माल के आयात की सुविधाएं देकर निर्यातकों की मदद करना।

(11) बिक्री/अध्ययन दलों का प्रायोजन तथा बाजार सर्वेक्षण करना।

श्री एस० एन० मिश्र : इन उपायों को अपना कर निर्धारित निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने की क्या सम्भावना है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इसकी सम्भावना अच्छी है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

निर्यात गृहों को आसान शर्तों पर ऋण दिया जाना

*287. **श्री पीलू मोदी :**

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन ने निर्यात गृहों को आसान शर्तों पर ऋण दिये जाने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो फेडरेशन द्वारा दिये गये सुझावों की मुख्य बातें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन्स द्वारा हाल ही में प्रस्तुत किये गये एक ज्ञापन में फेडमेशन ने अपने सहायक विनिर्माताओं के लिये अपेक्षित कच्चे माल की सप्लाई, उत्पाद डिजाइनों, क्वालिटी नियंत्रण आवश्यकताओं जैसी अवस्थापना संबंधी सुविधाओं की स्थापना हेतु निर्यात सदनों को आसान शर्तों पर ऋणों के दिये जाने का सुझाव दिया था । फेडरेशन का सुझाव विचाराधीन है ।

ब्रिटेन में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखा खोलने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी अनुमति

*288. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक को ब्रिटेन में शाखा खोलने के लिये अनुमति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी लागत व्यय और अन्य तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :(क) और (ख) जिन पांच भारतीय वाणिज्यिक बैंकों की इस समय 14 शाखाएं ब्रिटेन में हैं, उनमें से तीन बैंकों के पास, ब्रिटेन में 8 और शाखाएं खोलने के लाइसेंस हैं । ये लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक ने उन्हें 1972 और 1973 में दिये थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्रिटेन में शाखा खोलने के लिये 1974 में अब तक किसी भारतीय वाणिज्यिक बैंक को नया लाइसेंस नहीं दिया है ।

लिमिटेड कम्पनियों के सर्वोच्च अधिकारियों की बढ़ती हुई उपलब्धियों और परिलब्धियों पर रोक लगाना

*289. **श्री के० लकप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने लिमिटेड कंपनियों के सर्वोच्च अधिकारियों की बढ़ती हुई उपलब्धियों और परिलब्धियों पर रोक लगाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): पब्लिक लिमिटेड कंपनियों तथा उनकी उपसंगी कंपनियों के सर्वोच्च अधिकारियों, जैसे प्रबन्ध निदेशकों, पूर्ण कालिक निदेशकों तथा प्रबन्धकों की उपलब्धियां तथा परिलब्धियां, इस समय कंपनी अधिनियम 1956 के उपबन्धों के माध्यम से विनियमित होती हैं। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को पारिश्रमिक के भुगतान तथा परिलब्धियों की व्यवस्था करने में हुए व्यय की राशि पर जिस अधिकतम सीमा तक नियोजक को कर योग्य आय की संगणना में कटौती के रूप में अनुमति दी जा सकती है, उसकी व्यवस्था आयकर अधिनियम, 1961 में की गई है ।

कपड़ों के निर्यात के बारें में अमरीका के साथ समझौता

*290. **श्री एन० ई० हौरो** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अमरीका को कपड़ों का निर्यात करने के बारे में एक नये समझौते को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मोटी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) भारत तथा सं० रा० अमरीका के बीच सूती वस्त्रों के व्यापार के संबंध में एक नया करार 6 अगस्त, 1974 को वाशिंगटन में संपन्न हुआ ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सूती वस्त्रों से संबंधित नए करार की मुख्य-मुख्य बातें निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(क) यह करार 1 अक्तूबर 1973 से आरम्भ होकर 4 वर्ष की अवधि के लिये वैध है ।

(ख) पहले वर्ष (अर्थात् अक्तूबर 1973—सितम्बर 1974) के लिये वस्त्रों के कोटे 15.2 करोड़ वर्ग गज होगा ।

(ग) करार के बाद में वर्षों के लिये कोटे का स्तर विगत वर्षों के स्तर से 7 प्रतिशत बढ़ा दिया जायेगा ।

(घ) "भारतीय मदें" (अर्थात् वे मदें जोकि घरेलू उद्योग द्वारा बनाए गए अनन्य तथा ऐतिहासिक रूप से परम्परागत भारतीय उत्पाद हैं) मात्रा संबंधी किसी प्रतिबन्ध के अध्याधीन नहीं होगी ।

(ङ) घरेलू उद्योग के हथकरघा वस्त्र, अथवा ऐसे हथकरघा वस्त्रों के बनाए गए हाथ से बने घरेलू उद्योग के उत्पाद, उपरोक्त कोटा संबंधी प्रतिबन्धों से मुक्त होंगे ।

एकाधिकार गृहों को दिये जाने वाले ऋण संबंधी नीति का पुनरीक्षण

*291. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च 50 एकाधिकार गृहों को दिये जाने वाले ऋण संबंधी नीति को पुनरीक्षित करने का सरकार ने निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन सर्वोच्च 50 एकाधिकार गृहों को अनुसूचित बैंकों से ऋण के रूप में सरकार ने कितनी धनराशि दी है और उनके नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) उत्पादन और वितरण को बढ़ावा देने और उनके वांछित स्तर को बनाये रखने के लिये बैंक किसी भी कंपनी की ऋण संबंधी उचित और वास्तविक जरूरतों को पूरा कर रहे हैं । लेकिन वे किसी कंपनी को और खासतौर से उन औद्योगिक कंपनियों को दी गयी सहायता के अन्तिम इस्तेमाल पर बड़ी नजर रखते हैं जो या तो किसी बड़े औद्योगिक समूह से संबंधित हो या किसी बड़े औद्योगिक समूह की हो ।

(ख) 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के संबंध में उपलब्ध पहले पचास बड़े औद्योगिक घरानों को (घराना-वार) दिये गये बैंक ऋणों की जून, 1971, 1972 और 1973 के अन्तिम शुक्रवार को बकाया रकम के आंकड़े अनुबन्ध 1 में दिये गये हैं । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8153/74]

स्टेट बैंक समूह द्वारा दिये गये ऐसे ऋणों के आंकड़े औद्योगिक घरानों के अनुसार उपलब्ध नहीं हैं लेकिन सभी 75 बड़े औद्योगिक समूहों को दिये गये कुल ऋणों के उपलब्ध आंकड़े अनुबन्ध 2 में दिये गये हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8153/74]

रिजर्व बैंक, गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बड़े औद्योगिक घरानों को दिये गये ऋणों के संबंध में आंकड़े नहीं रखता।

Setting up of Mica Trading Corporation

*292. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Government have set up a Mica Trading Corporation of India Ltd., in order to promote mica trade;

(b) if so, its composition and the names of its members and the particulars of the work done by it so far; and

(c) whether its headquarter has been set up in Patna ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George): (a) Yes, Sir.

(b) The Composition of Board of Directors of the Mica Trading Corporation is as follows:—

(1) Shri S. Ramachandran, Chairman, MMTC .	Chairman
(2) Shri C.N. Modawal, Director (Quality Control) . . .	Director
(3) Dr. B.P. Mathur, Deputy Secretary Ministry of Commerce .	Director
(4) Shri V.G. Nigam, Director (Department of Mines), Ministry of Steel & Mines	Director
(5) Shri N.C. Jain	Managing Director

The appointment of a representative of a Labour Union and another non-official knowledgeable person in mica on the Board has yet to be made.

The Mica Trading Corporation has started functioning with effect from 1st June, 1974, and has exported more than 2,000 tonnes of mica valued at Rs. 2.1 crores in June, 1974.

(c) Yes, Sir.

रबड़ का निर्यात

*293. **श्री ए० वी० चन्द्रगौडा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रबड़ के निर्यात के परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या रबड़ के निर्यात से देश की आवश्यकताओं के लिये अभाव की स्थिति पैदा हो गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी कमी हो गई है और क्या सरकार का विचार देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये निर्यात में कटौती करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क)

(आंकड़े रुपये में)

वर्ष	अर्जित विदेशी मुद्रा
1971-72	3,225
1972-73	42,713
1973-74	1,52,80,000

(ख) तथा (ग) देश में प्राकृतिक रबड़ की कोई कमी नहीं है । सरकार उस रबड़ के निर्यात की अनुमति देती है, जो देश में उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद बाकी बचता है ।

बैंकों के कर्मचारियों द्वारा दिया गया मांग-पत्र

*294. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों के कर्मचारियों ने अपने वेतन, महंगाई भत्ते तथा अन्य भत्तों के पुनरीक्षण के लिये सरकार को मांग-पत्र दिया है ;

(ख) क्या नई मांगों पर विचार करते हुए सरकार का विचार बैंकों के कर्मचारियों के वेतनों और सरकारी प्रतिष्ठानों तथा कार्यालयों में उनके जैसे ही पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों के वेतन में लगभग समानता लाने का है ; और

(ग) क्या बैंकों के कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ते का निर्धारण करने के वही सिद्धांत है जो सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं और यदि नहीं, तो दोनों मामलों में किन-किन सिद्धांतों का पालन किया जाता है और उनका क्या औचित्य है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) :(क) और (ख) हाल ही में इंडियन बैंक एसोशियेशन की बैंकिंग उद्योग के काम कर रहे पांच सेंट्रल ट्रेड यूनियन संगठनों से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं । इंडियन बैंक एसोसियेशन इन मांगों पर विचार कर रही है ।

(ग) सामूहिक सौदेबाजी के परिणामस्वरूप कामगर कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ते को रहन-सहन के खर्च के सूचक अंक से जोड़ने का सिद्धांत अन्य कई उद्योगों की तरह बैंकिंग उद्योग में भी कई वर्षों से लागू है । तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने इसी सिद्धान्त को सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू किया है । सरकार में, महंगाई भत्ते के एक अंश को मिला देने के बाद मूल वेतन औद्योगिक कामगारों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक के 200 प्वाइंट के स्तर तक ले आया गया है जबकि बैंकों में मूल वेतन उसी सूचक अंक के 100 प्वाइंट तक जुड़ा हुआ है और उसमें महंगाई भत्ते का कोई भी अंश नहीं मिलाया गया है । बैंकिंग क्षेत्र में अधीनस्थ कर्मचारियों के लिये रहन-सहन का खर्च उसके सूचक अंक के 100 प्रतिशत और लिपिक वर्ग के लिये यह सूचक अंक 75 प्रतिशत तक पूरा कर दिया गया है । यह व्यवस्था मोटे तौर पर समान स्तर के

बैंक के और सरकारी कर्मचारियों के लिये एक जैसी है लेकिन यह खर्च कितनी बार पूरा किया गया या कितना पूरा किया गया और महंगाई भत्ते को इस प्रकार जोड़ देने से दोनों का वेतन स्तर कितना हो जाता है आदि बातें एक जैसी नहीं हैं ।

'सी-फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन आफ इण्डिया' के समक्ष संकट

*295. **श्री पी० के० देव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात में कमी होने के परिणामस्वरूप 'सी-फूड एक्सपोर्टर्स एसोसियेशन आफ इंडिया' को संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष में विदेशी को समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात में कितनी कमी हुई और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) विगत एक वर्ष के दौरान विदेशों को समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात में कोई कमी नहीं आई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सूत निर्माताओं को रेयन ग्रेड वुड पल्प (लकड़ी का गूदा) का वितरण

*296. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सूत निर्माताओं को रेयन ग्रेड वुड पल्प (लकड़ी का गूदा) के वितरण की नीति में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में उनके मंत्रालय के अधिकारियों और रेयन सूत उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों के बीच कोई विचार-विमर्श हाल ही में हुआ था ; और

(ग) बुनकरों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

Export of Hides and Bones of Cow

*297. **Shri B. S. Chowhan:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether there is any scheme under Government's consideration or being implemented to export hides and bones of cow; and

(b) if so, the total value of foreign exchange to be earned thereby every year?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George) : (a) No, Sir. There is no scheme exclusively for export of hides and bones of cows.

(b) Does not arise.

बम्बई हवाई अड्डे पर एयर इण्डिया के बोइंग विमान के टायरों का फटना

*298. **श्री भान सिंह भौरा :**

श्री वयालार रवी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में एयर इण्डिया के दो बोइंग विमान बम्बई हवाई अड्डे पर उतरे थे जिनके टायर फटे हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क), (ख) और(ग) मैं अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख रहा हूं।

(क) और (ख) एयर इण्डिया के जम्बो विमानों के जुलाई, 1974 में टायर फटने की दो घटनाएं हुई हैं, एक बेरूत में और एक कुवैत में, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

14 जुलाई, 1974 को बेरूत से उड़ान भरने के पश्चात् एयर इण्डिया के बोइंग 747 विमान के केबिन कर्मियों ने 'टेक-आफ रोल' के दौरान विमान के पिछले भाग से जोरदार धमाके की आवाज सुनी । बेरूत नियंत्रण टावर से तुरन्त सम्पर्क स्थापित किया गया और उनसे टायर के फटने के प्रमाण स्वरूप धावन-पथ की जांच करने को कहा गया। विमानक्षेत्र प्राधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की कि धावन-पथ पर बिखरे टायर के टुकड़ों को देखते हुए यह प्रमाणित होता था कि टायर बहुत जगह से फटा था। विमान (दिल्ली के बजाय) सीधा बम्बई आया और उसने सहज रूप में अवतरण किया। जांच करने पर पता चला कि विमान में दायें हाथ के बाडी गियर के ठीक पीछे फायबर-ग्लास पैनल को मामूली सी क्षति पहुची थी।

दूसरी घटना में 15 जुलाई, 1974 को कुवैत से विमान के उड़ान भरने के पश्चात् धावन-पथ पर टायर के टुकड़े पाये गये और विमान चालक को इसकी सूचना दे दी गयी। विमान बम्बई में सहज रूप से उतर गया। जांच करने पर पता चला कि वायें हाथ की बाडी गियर के दायें टायर के ट्रेड के उतर जाने के परिणामस्वरूप टायर क्षतिग्रस्त हो गया था और विमान को बहुत ही मामूली क्षति पहुँची थी।

इनमें से किसी भी घटना में सुरक्षा को खतरा नहीं उत्पन्न हुआ था।

(ग) एयर इण्डिया ने टायरों की विफलता से संबंधित विभिन्न समस्याओं की जांच तथा इन घटनाओं को कम करने के बारे में सिफारिशें देने के लिए एक समिति का गठन किया है।

वाणिज्यिक बैंकों की नकद रक्षित निधि का अनुपात

*299. **श्री भगतराम राजाराम मनहर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचार की ओर दिलाया गया है कि वाणिज्यिक बैंक अपनी नकद रक्षित निधि का अनुपात कम होने पर दिया जाने वाला जुर्माना देने से बचते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि हर बैंक से जिसके द्वारा नकद राशि निर्धारित मात्रा में न रखने के कारण सन्तोष-प्रद नहीं रहे है, जुर्माना ब्याज लिया गया है।

कुछ वस्तुओं के निर्यात में कमी

*300. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी वस्तुओं के निर्यात की मात्रा में वर्ष 1972-73 और 1973-74 में कमी हुई है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) 1972-73 के दौरान चाय, पटसन निर्मित माल, चीनी तथा मसालों के निर्यात 1971-72 की तुलना में कम थे। 1973-74 के पहले 11 महीनों की जिस नवीनतम अवधि के आंकड़े उपलब्ध हैं, उसके दौरान, चाय, पटसन निर्मित माल, ईस्ट इण्डिया खालों व चमड़ियों, सूत और अभ्रक के निर्यात 1972-73 की उसी अवधि की तुलना में कम थे।

(ख) तथा (ग) पटसन निर्मित माल के निर्यातों में कमी का मुख्य कारण है विश्व में एक सप्लायर के रूप में बंगला देश का पुनः उभरना और संश्लिष्ट उत्पादों से बढ़ी हुई प्रतियोगिता। चाय के निर्यात में कमी मुख्यतः पूर्व अफ्रीका से कड़ी प्रतियोगिता के कारण थी। जबकि खालों व चमड़ियों के निर्यात सरकार की देश से अधिकाधिक तैयार चमड़े तथा चमड़े से बने माल का निर्यात करने की नीति के कारण कम हुए, सूत के निर्यातों में कमी घरेलू बाजारों के लिए समुचित सप्लाई बनाये रखने के लिए किये गये उपायों के कारण हुई।

सरकार उन सभी मदों के निर्यात को बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है जिनकी आवश्यक निर्यात संभाव्यता है। इस प्रयोजनार्थ, अनेक उपाय किये गये हैं जिनमें निर्यात उत्पादन का बढ़ाया जाना और निर्यात अभिमुख एककों के उत्पादन आधार का विस्तार करना, निर्यात अधिशेषों का सृजन, विदेशी बाजारों की खोज, निर्यात शुल्कों का समायोजन, नई उपभोक्ता मांगों के अनुरूप उत्पादों का अनुकूलन, नकद प्रतिपूरक सहायता का दिया जाना और आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों का दिया जाना आदि शामिल हैं।

कानपुर में हवाई अड्डे का निर्माण

*301. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भूमि का अंतिम रूप से अधिग्रहण कर लिया गया है; और

(ख) क्या कार्य वर्ष 1974 में पूरा हो जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) कानपुर में किसी नये सिविल हवाई अड्डे के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय वायुसेवा के वर्तमान विमान क्षेत्र का 5.09 एकड़ का एक भूखण्ड रक्षा मंत्रालय ने सिविल एनक्लेव के विकास के लिए नागर विमानन के महानिदेशक को हस्तांतरित कर दिया है। एप्रन तथा टैक्सी ट्रक के निर्माण की पहली ही मंजूरी दी जा चुकी है। टर्मिनल भवन के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है। धन के उपलब्ध होने पर इस काम के 1975-76 के दौरान प्रारम्भ किये जाने की संभावना है।

अखबारी कागज का उत्पादन और आयात

2023. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान अलग-अलग कितने स्वदेशी तथा कितने आयातित अखबारी कागज के उपलब्ध होने का अनुमान है;

(ख) क्या यह सच है कि इससे केवल 60 प्रतिशत मांग की ही पूर्ति होगी; और

(ग) यदि हां, तो अखबारी कागज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) लगभग 2,05,000 म० टन —1,50,000 मे० टन आयातित तथा 55,000 मे० टन स्वदेशी।

(ख) जी नहीं। इससे देश में अखबारी कागज की लगभग 80 प्रतिशत मांग पूरी होने की आशा है।

(ग) इतने आयात करने के लिए कि इस अन्तर को पूरा किया जा सके और साथ ही स्वदेशी उत्पादन को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

बिक्री करों और ईंधन मूल्यों में कमी के लिए इण्डियन एयर लाइन्स की ओर से अभ्यावेदन

2024. **श्री एम० एस० संजीवी राव** :

श्री पी० के० देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा बिक्री कर की दर में कमी के लिए दिये गये अभ्यावेदनों पर विभिन्न राज्य सरकारों की तथा उत्पादन शुल्क सहित ईंधन मूल्यों के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : केन्द्रीय बिक्री कर लगाने के प्रयोजन के लिए घोषित वस्तुओं की सूची में विमानन टरबाइन ईंधन को शामिल करने के पश्चात् प्रस्ताव पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है। सभी राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

जहां तक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का सम्बन्ध है इण्डियन एयर लाइंदन्स को सप्लाई किये जाने वाले विमानन टरबाइन ईंधन पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क को कम करना अभी तक सम्भव नहीं हो सका है।

विमानन टरबाइन ईंधन के मूल्य में कमी करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों में वृद्धि

2025. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान प्राकृतिक रबड़ मूल्यों में वृद्धि हुई है तथा वर्तमान मूल्य क्या हैं;

(ख) देश में 1973 में कितनी प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन हुआ, इसमें से कितनी रबड़ की खपत देश के रबड़ वस्तु उद्योग द्वारा की गई तथा कितनी रबड़ का निर्यात किया गया;

(ग) क्या प्राकृतिक रबड़ का बड़ी मात्रा में आयात करके स्वदेशी बाजार में इसकी कृत्रिम कमी करके प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों को बढ़ने दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क) जी हां। वर्ष 1974 के दौरान लाट्स के लिए प्राकृतिक रबड़ की औसत कीमत 987.00 रु० प्रति क्विंटल थी।

(ख) वर्ष 1973-74 के दौरान प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन, खपत और निर्यातों की मात्राएं निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(मे० टन में)

उत्पादन	खपत	निर्यात
1,25,153	1,30,302	2,700

(ग) जी नहीं। 52957 मे० टन का कैरी ओवर है और इसमें 1973-74 के उत्पादन की मात्रा जोड़कर प्राकृतिक रबड़ की कुल उपलब्धि 178110 मे० टन हो जाती है और उससे पूर्णतया खपत व निर्यात की आवश्यकता पूरी हो जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मूल्य सूचक अंक

2026. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य सूचक अंकों का संकलन करने के लिए सरकार चुने हुए स्थानों से थोक बिक्री मूल्य के आंकड़े एकत्र करती है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष जनवरी से जून तक प्रत्येक महीने में अहमदाबाद से एकत्र किये वस्तुओं के भावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुजरात सरकार ने कीमतों को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वित मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): (क) जी, हां। थोक मूल्यों के सूचक अंकों के सरकारी आंकड़ों को तैयार करते समय भारत की चुनी हुई मण्डियों से बिक्री मूल्य के आंकड़े इकट्ठे किये जाते हैं।

(ख) इस वर्ष के जनवरी से जून तक के प्रत्येक महीने के लिए अहमदाबाद से इकट्ठे किये गये बिक्री मूल्य के आंकड़ों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) गुजरात सरकार ने राज्य के प्रवर्तन-संगठन और पुलिस विभाग को अनाज तथा अन्य जरूरी चीजों की जमाखोरी रोकने के उद्देश्य से उपाय करने के लिए सावधान कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप हाल ही में बहुत से छापे मारे गये हैं जिनमें काफी मात्रा में जमा किया गया अनाज, मूंगफली और मूंगफली का तेल, चीनी, वनस्पति, मिट्टी का तेल आदि बरामद किया गया। विवरण प्रणाली को भी और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।

विवरण

अहमदाबाद से इकट्ठे किये गये बिक्री मूल्यों का ब्यौरा

1974

मूल्य (रुपयों में)

वस्तु और किस्म	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून
1	2	3	4	5	6	7
1. गेहूं (प्रति क्विंटल)	98.0	98.0	98.0	133.0	133.0	133.0
2. गुड़-चाकू (प्रति क्विंटल)	180.00	160.00	150.0	160.0	170.0	170.0
3. ब्लीच्ड मर्सरा-इज्ड सैनफ्रारा-इज्ड पापलिन (74 सैण्टी-मीटर अर्ज) (फाइन) . (प्रति मीटर)	4.83	4.83	5.01	5.51	5.51	5.31
4. ब्लीच्ड "नाइलो" साड़ी 114 सेण्टीमीटर × 4.6 सेन्टीमीटर (सुपरफाइन) (प्रति साड़ी) .	31.21	31.21	31.74	31.74	31.74	31.74

1	2	3	4	5	6	7
5. मर्सराइज्ड धोती 127 सेंटीटर × 3.7 सेन्टी मीटर (सुपर-फाइन) (प्रति धोती)	19.18	19.18	28.77	28.77	28.77	28.77

रबड़ की खेती के लिये बीमा

2027. **श्रीमती मार्गवी तनकप्पन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रबड़ खेती के लिए बीमा योजना लागू करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) अग्नि, बाढ़ और वायु जोखिम के सम्बन्ध में रबड़ बागानों का बीमा जीवन निगम द्वारा यूनाइटेड इंडिया फायर एण्ड जनरल इन्श्यूरेंस कम्पनी के माध्यम से अगस्त, 1973 से शुरू कर दिया गया है।

अतिरिक्त अखबारी कागज की सप्लाई के लिये सोवियत संघ की पेशकश

2028. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोवियत संघ की 45,000 टन अखबारी कागज सप्लाई करने की पेशकश स्वीकार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या मूल्य बताया गया है और माल कब तक प्राप्त हो जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) राज्य व्यापार निगम ने सोवियत संघ के अखबारी कागज के निर्यातकों के साथ 3642 रुपये प्रति मे० टन/सी आई एफ की दर से 23,000 मे० टन अखबारी कागज की सप्लाई के लिए एक संविदा की है। माल का लदान जुलाई-दिसम्बर 1974 में होगा। सोवियत संघ ने जनवरी-मई, 1975 के दौरान 22,000 मे० टन की और सप्लाई के लिए पेशकश की है, जिसकी कीमतें इसी वर्ष बाद में बातचीत द्वारा तय की जानी हैं।

Loss to Central Industries in Gujarat due to Railway strike

2029. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the estimated amount of loss suffered by the Central Industries in Gujarat as a result of country-wide Railway strike in May 1974 ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (ShriK.R. Ganesh): The Railway strike of May 1974 affected the economy by dislocating the movement of goods and passengers. It would be difficult to precisely estimate the direct loss suffered by a manufacturing unit due to such dislocation in traffic. None of the manufacturing units of the Central Government located in Gujarat has reported loss suffered due to the Railway Strike.

तकुओं की संख्या में वृद्धि करना

2030. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम: क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हथकरघों के लिए सूती धागे की कमी को दूर करने हेतु 25,000 तकुओं से कम वाली सभी स्पिनिंग मिलों को निधि रूप से 50,000 तकुओं तक विस्तार करने की अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) अन्य बातों के साथ साथ विकेन्द्रीकृत क्षेत्र को यार्न की बढ़ी हुई सप्लाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, सरकार का विचार पांचवीं योजना अवधि के दौरान देश में तकुआ क्षमता में और विस्तार करने की अनुमति देने का है। इसके ब्यौरे वस्त्र नीति के भाग के रूप में शामिल किये जाएंगे जिसके शीघ्र घोषित किये जाने की आशा है।

कुटीर उद्योग क्षेत्र में बेनामी स्वामित्व सम्बन्धी गरोह

2031. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम: क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुटीर उद्योग क्षेत्र के अधिकांश विद्युतचालित करघे बेनामी स्वामित्व का एक गिरोह है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में कोई जांच कराने का है ?

वाणिज्य मवालय में उपमत्रा (श्री ए० सी० जार्ज): (क) से (ग) यद्यपि शक्तिचालित करघों के कुटीर उद्योग के बेनामी स्वामित्व के बारे में रिपोर्टें हैं, परन्तु यह उद्योग पूर्णत: विकेन्द्रीकृत स्वरूप का है, अत: न तो कोई पक्की जानकारी उपलब्ध है और न जांच करना ही संभव है

राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि की वृद्धि दर

2032. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव:**

श्री मुत्तियार मलिक:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है कि बैंक राष्ट्रीयकरण से पूर्व की अवधि की तुलना में गत दो वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि की वृद्धि दर घटी है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान वृद्धि दर क्या है तथा गत तीन वर्षों की वर्षवार वृद्धि के आंकड़ें क्या हैं; और

(ग) वृद्धि दर में कमी होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवतरावः चव्हाण) : (क) से (ग) राष्टीयकृत बैंकों में 21 जुलाई 1967 से लेकर जमा रकमों से संबंधित हर वर्ष के आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गये हैं । पिछले दो वर्ष में अर्थात् जुलाई, 1972 से जुलाई 1973 तक और जुलाई, 1973 से जुलाई 1974 तक जमा रकमों की वृद्धि की दर कुछ मन्द रही है। जमा रकमों की वृद्धि पर, समाज की बचत करने की क्षमता, बचतों से होने वाले लाभ की दर, बचतों की इस्तेमाल में लाने के अन्य क्षेत्र, मुद्रा विस्तार की दर ऋण नीति आदि जैसी कई बातों का प्रभाव पड़ता है।

14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल जमा रकम (इसमें एक बैंक की दूसरे बैंक में जमा रकम शामिल नहीं है)

विवरण

	रकम	वर्ष में हुई वृद्धि (करोड़ रुपयों में)	(रकम करोड़ रुपयों में) वर्ष में हुई प्रतिशत वृद्धि
21-7-1967 .	1970	—	—
19-7-1968	2224	254	12.9
18-7-1969	2626	402	18.1
17-7-1970	3009	383	14.6
16-7-1971 .	3534	525	17.4
14-7-1972	4276	742	21.0
13-7-1973*	5139	863	20.2
5-7-1974*	5960	821	16.0

*अनन्तिम

चाय बागानों की लागत में वृद्धि

2033, **श्री लमौना इसहायक सम्मली** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बागानों की लागत में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चाय के मूल्य प्रायः स्थिर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या चाय बागानों की सहायता का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) ऐसा लगता है कि 1973 की तुलना में 1974 में चाय के उत्पादन की लागत में कुछ वृद्धि हुई है। उत्पादन लागत में यह वृद्धि उर्वरक, रासायनिक पदार्थ, भिट्टी तेल, परिवहन लागत तथा मजूरियों आदि जैसे अन्तर्निविष्टों की कीमतों में वृद्धि के कारण हो सकती है।

(ग) लन्दन नीलामी में सभी चायों की कीमतों में 1972 तक गिरावट का रूख ही दिखाई देता रहा था। 1973 में कीमतों में थोड़ा सा सुधार हुआ था। परन्तु अप्रैल-जून, 1974 के दौरान कीमतों में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(घ) चाय की कीमतों को उन स्तरों पर, जो उत्पादकों के लिए लाभप्रद हों तथा उपभोक्ताओं के लिए न्यायोचित हों, स्थिर करने तथा उनमें सुधार लाने के लिए अल्पावधि तथा दीर्घावधि नीति बनाने हेतु खाद्य तथा कृषि संगठन के तत्वाधान में सतत प्रयास किये जा रहे हैं।

आयात-व्यापार के लिए ऋण

2034. **श्री इसहाक सम्मली** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत आयात के लिए 75 करोड़ रुपये की मात्रा में ऋण उपलब्ध करेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री० ऐ० सी० जार्ज): (क) **तथा (ख)** माननीय सदस्य सम्भवतः वह राशि जानना चाहते हैं जो कि भारत सरकार ने ऋणों के रूप में बाहर के देशों को दी है अथवा देना स्वीकार कर लिया है ताकि ऋण-प्राप्तकर्ता देश अपने आयातों की वित्तपोषण कर सकें। यदि हां, तो स्थिति इस प्रकार है:

(करोड़ रु०)

	1972-73	1973-74
1. नेपाल	0.15	—
2. श्रीलंका	2.24	1.87
3. बंगलादेश		
(1) सरकार से सरकार को ऋण	25.43	16
(2) वाणिज्यिक ऋण	कुछ नहीं	40
4. भूटान . . .	—	0.45

वर्ष 1974–75 के लिए पटसन का न्यूनतम मूल्य

2035. **श्री जगन्नाथ मिश्र**: क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1974-75 के लिए कच्चे पटसन का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो कितना;

(ख) क्या ये मूल्य कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किये गये मूल्यों के अनुसार हैं;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा निर्धारित किये गये और कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किये गये तुलनात्मक मूल्य क्या हैं; और

(घ) इन मूल्यों में अन्तर के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री० ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। 1974-75 मौसम के लिए कच्चे पटसन की न्यूनतम कानूनी कीमत सभी देहाती बाजारों के लिए समान रूप से आसाम बाटम के आधार पर 125.00 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है।

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अविकसित एशियाई राष्ट्रों के बीच व्यापार करार

2036. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अविकसित एशियायी राष्ट्रों के बीच एक नया व्यापार सहयोग करार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इसके उद्देश्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) नवम्बर, 1971 में एशिया तथा सुदूरपूर्व सम्बन्धी आर्थिक आयोग (इकाफे) के तत्वावधान में एक अन्तः सरकारी समिति ने एक एशियायी व्यापार विस्तार कार्यक्रम की एक प्रस्थापना पर विचार किया था और उसने इस प्रकार का कार्यक्रम आरम्भ करने का विनिश्चय किया था।

यह कार्यक्रम इकाफे क्षेत्र के विकासशील देशों तक ही सीमित है। इसे एक साधारण कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है जिसमें काफी लचीलापन है और आरम्भ में इसके उद्देश्य बहुत बड़े नहीं रखे गये हैं। इस कार्यक्रम में यह व्यवस्था की गई है कि इसको स्वीकार करने वाले देश प्रशुल्कों तथा अन्य अवरोधों से संबंधित ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो उनके बीच व्यापार के विकास तथा विस्तार के लिए परस्पर लाभकारी पाये जायें, कार्यवाही करेंगे।

कोचीन में निर्यात प्रोसेसिंग जोन की स्थापना

2037. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**
श्री वयालार रवि :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलक्ट्रोनिक उत्पादों तथा इंजीनियारग वस्तुओं के लिए कोचीन में एक निर्यात प्रोसेसिंग जोन स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) अनेक स्थानों पर, जिनमें कोचीन भी शामिल है, मुक्त व्यापार जोन स्थापित करने के सुझाव विचाराधीन हैं। अलग-अलग स्थानों के बारे में निर्णय प्रत्येक स्थान के सम्भाव्यता अध्ययनों के आधार पर किया जायेगा।

मूल्य-राजसहायता का समाप्त किया जाना

2038. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री डी० डी० देसाई :

श्री रघुनन्दनलाल भाटिया :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में प्रतियोगिता लागत इस समय भारत के पक्ष में है;

(ख) यदि हां, तो इस अवसर का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इन परिस्थितियों में सरकार ने मूल्यों में दी जाने वाली सभी राजसहायताओं को समाप्त करने और मंडियों को स्वतः अपना लाभप्रद स्थान ढूंढने देने का निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) तेल उत्पादों की कीमतों में हाल में हुई वृद्धि तथा अन्य परिवर्तनों के कारण पटसन निर्मित माल, सूती वस्त्र, चमड़े का सामान, खली, चीनी आदि जैसे अनेक भारतीय निर्यातों की प्रतियोगी स्थिति में सुधार हुआ है । देश के हित के लिए स्थिति का पूरा-पूरा लाभ उठाने के उद्देश्य से कच्चे पटसन, कपास तिलहन तथा गन्ने जैसी वाणिज्यिक फसलों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम करने के अलावा सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें ये शामिल हैं: निर्यातोन्मुख एककों के उत्पादन आधार का विस्तार, आवश्यक कच्चे माल की सप्लाई। इसके अतिरिक्त पटसन निर्मित माल पर निर्यात शुल्क लगाया गया है, सूत तथा कच्ची खालों व चमड़ियों जैसे कच्चे मालों का निर्यात नियंत्रित किया जा रहा है ताकि अधिक इकाई मूल्य वाले तैयार उत्पादकों के निर्यात बढ़ाए जा सकें। नकद प्रतिपूरक समर्थन प्रदान करने के संबंध में सतत पुनर्विलोकन किया जाता है तथा परिस्थिति के अनुसार आवश्यक परिवर्तन किये जाते हैं जिसमें उसका समाप्त किया जाना भी शामिल है।

निर्यात प्रोत्साहन नीति में असंगतियां

2039. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री डी० डी० देसाई :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात प्रोत्साहान नीति में अनेक असंगतियां सरकार की जानकारी में लाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पटसन से निर्मित वस्तु के बढ़े हुए मूल्य

2040. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन से निर्मित वस्तुओं के मूल्य हाल में अत्यधिक बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1974 की तुलना में इसकी विभिन्न किस्मों की वर्तमान स्थिति क्या है और इस वृद्धि के क्या कारण हैं ;

(ग) पटसन से निर्मित वस्तुओं की मूल्य वृद्धि का हमारे निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) इस व्यापार को सुव्यवस्थित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) पटसन निर्मित माल की कीमतों में विशेष रूप से अक्तूबर 1973 से वृद्धि का रुख रहा लेकिन अभी हाल ही में इनमें कुछ गिरावट आई है।

(ख) मार्च, 1973 तथा अप्रैल, 1974 में हेसियन तथा बी-ट्विल की तुलनात्मक कीमतें विवरण में दी गई हैं। कालीन अस्तरों की कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। कीमतें अंशतः विश्व बाजार में सामान्य मुद्रास्फीति रुख के कारण और अंशतः तेल संकट, मांग तथा पूर्ति की स्थिति आदि अन्य कारणों से बढ़ती रही हैं।

(ग) यद्यपि कीमतों का रुख पटसन निर्मित माल से निर्यात आय को बढ़ाने में सहायक हुआ है, परन्तु यह आशंका है कि इस प्रकार की वृद्धियों से हमारे पटसन उत्पादों की प्रतिस्पद्धा शक्ति कम हो जायेगी।

(घ) कीमतों में सट्टेबाजी तथा असाधारण वृद्धि को रोकने के लिए कदम उठाये गये हैं। मांग तथा पूर्ति के बीच असंतुलन को सही करने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं।

विवरण

मार्च 1973 तथा मार्च 1974 के कलकत्ता में चल रही हैसियन 40×10 औंस तथा वी-टिवल की औसत कीमत।

	हैसियन (प्रति 100 गज)	वी-ट्विल (प्रति 100 बौरे)
मार्च, 1973	100.35 रु०	258.25 रु०
अप्रैल, 1974	176.81 रु०	352.83 रु०

पोलैण्ड को 1500 रेल माल डिब्बों की सप्लाई

2041. **श्री एस० आर० दामाणी : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पोलैंड को 1500 रेल माल-डिब्बे देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) क्या कच्चे माल की कमी तथा बढ़ी संख्या में मालडिब्बों के लिये अपने देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बिना घाटा उठाये भारत के लिये निर्यात वायदों को पूरा करना सम्भव होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) 31-3-74 को भारतीय परियोजना तथा उपस्कर निगम लि० ने पोलैण्ड को रेलवेज़ को अर्ध खुली स्थिति में 1500 बोगियों/वैगनों की सप्लाई की एक पेशकश की थी । पेशकश की वैधता अप्रैल, 1974 की समाप्ति तक थी उसकी वैधता आगे बढ़ाने के लिये पोलैण्ड रेलवेज़ के अनुरोध के उत्तर में एक संशोधित पेशकश प्रस्तुत की जा रही है । पहले वाली पेशकश में संविदा के प्रवर्जन से 15 महीने के अन्दर सुपुर्दगी आरंभ की जानी थी और तत्पश्चात् 12/14 महीनों में पूरी की जानी थी ।

(ग) कोई भी हानि होने की संभावना नहीं है । इन वैगनों को सप्लाई करने के लिए पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है ।

कपड़े के उत्पादन लागत में वृद्धि

2043. **श्री विश्वनाथ झुझुनवाला : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगठन की भारी उपरि लागत को शामिल करते हुये, कम उत्पादन होने से कपड़े की प्रति गज लागत बढ़ जाती है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का कोई मूल्यांकन किया है कि 100 मीटर मोटे कपड़े के मूल्य निर्धारण में उपरि लागत कितनी जोड़ी जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) किसी मिल के कार्य परिणामों का लागत विश्लेषण किये बिना इस प्रकार का मूल्यांकन करना संभव नहीं है । इस सम्बन्ध में हाल में कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण

2044. **श्री वीर भद्र सिंह :**

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में डेरी विकास परियोजना को आर्थिक सहायता देने के लिए विश्व बैंक से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने 3 करोड़ डालर का ऋण मंजूर किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारत सरकार ने 19 जून, 1974 को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ कर्नाटक डेरी विकास परियोजना के लिए 3 करोड़ डालर (लगभग 24 करोड़ रुपये) के एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं ।

(ख) यह परियोजना गांवों की डेरी सहकारी समितियों और उनकी यूनियनों का विकास कर कर्नाटक के देहाती क्षेत्रों में दूध के उत्पादन को बढ़ाने का एक मिलाजुला कार्यक्रम है । इसके मुख्य भाग इस प्रकार हैं :—

(क) डेरी संयंत्रों का निर्माण और विस्तार और चारा तैयार करने की मिलों का निर्माण ;

(ख) पशु-प्रजनन और शुद्ध विदेशी नस्ल के पशुओं का आयात और चारे का उत्पादन ;

(ग) पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार का कार्यक्रम ; और

(घ) प्रदर्शन फार्मों की स्थापना और चरागाहों व चारे के बारे में व्यवहारिक अनुसंधान संबंधी परीक्षण ।

अनुमान है कि यह परियोजना 31 मार्च, 1982 तक पूरी हो जायेगी ।

चिट फंड और प्राइवेट लाटरीज के लिए अंशदान

2045. **श्री नरेन्द्र सिंह सांधी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिट फंड और प्राइवेट लाटरियों में अंशदान की राशि गत तीन वर्षों में निरन्तर बढ़ती जा रही है ;

(ख) क्या बैंकिंग आयोग ने यह टिप्पणी की थी कि प्राइवेट लाटरियां काले धन को श्वेत धन में बदलने में सहायता देती हैं और आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी के लिये वित्तपोषण करती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन संस्थाओं पर अखिल भारतीय आधार पर और कठोर वित्तीय नियंत्रण लागू करने का है और यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके पास जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार नियमित रूप से चिट कारोबार करने वाली चिट फण्ड कम्पनियों की संख्या, जो 31 मार्च, 1971 को 185 थी, बढ़ कर 31 मार्च, 1972 को 197, 1973 को 292 और 1974 को 313 हो गयी । 189 चिट फण्ड कम्पनियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने रिजर्व बैंक को विवरण भेजे थे, जमा करायी गयी राशि (चिट फण्ड योजनाओं में दिये जाने वाले अंशदान को छोड़कर 31 मार्च, 1972 को 287 लाख रुपये थी ।

जहां तक 'प्राइवेट लाटरियों' का सम्बन्ध है, शायद माननीय सदस्य उन कम्पनियों के बारे में पूछना चाहते हैं जो बचत योजनाएं या इनामी चिट या लकी ड्रा चलाती हैं । रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके पास इस बारे में कोई विश्वस्त सूचना नहीं है कि पिछले तीन वर्षों में इन कम्पनियों में कितनी वृद्धि हुई है लेकिन फिर भी उसने बताया है कि मार्च 1974 के अंत तक ऐसी 140 कम्पनियां ध्यान में आयी हैं और उनमें से 71 कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किये गये तुलनपत्रों के अनुसार (हालांकि ये अलग-अलग तारीखों के) उनकी योजनाओं के अन्तर्गत 1647 लाख रुपया इकट्ठा किया गया था ।

(ख) बैंकिंग आयोग ने चिट फण्डों के मामले में बरते जाने वाले भ्रष्ट तरीकों के उदाहरणों पर प्रकाश डालते हुए यह कहा था कि चिटफण्डों के कुछ प्रमुख आयोजकों के बारे में यह कहा जाता है कि वे ऐसे भ्रष्ट तरीके इसलिये अपनाते हैं, ताकि कुछ व्यक्तियों को ऐसी आय, जिसका कर बचाया गया हो, ऐसी आय में परिवर्तित करने के योग्य बनाया जा सके जिस से कर के हिसाब में दिखाया गया हो । आयोग ने यह भी कहा था कि यह दिखाने के लिए कि चिट-फण्डों की पारितोषिक राशि का उन प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिये वे दिये गये हों, कोई पक्की सूचना नहीं है लेकिन उपलब्ध संकेतों से पता चलता है कि पारितोषिक धन का उत्पादन प्रयोजनों के लिये प्रयोग किये जाने की संभावना कम है ।

(ग) सरकार ने बैंकिंग आयोग की यह सिफारिश मान ली है कि चिटफंड कारोबार का नियमन करने के लिए एक आदर्श कानून बनाया जाना चाहिये ताकि उसे सभी राज्य अपना सकें और जब तक ऐसा नहीं होता वे राज्य जिन्होंने चिटफण्ड कानून नहीं बनाये हैं जहां भी मुमकिन हो अन्य राज्य सरकारों के कानून अपना लें । तदनुसार रिजर्व बैंक एक आदर्श चिट फण्ड कानून तैयार करने के लिए कार्रवाई कर रहा है । रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों से भी पत्र व्यवहार किया है जिसमें उसने सुझाव दिया है कि यदि चिट फण्डों का नियमन करने के लिए उनके यहां कानून नहीं है तो वे अन्य ऐसे राज्यों के कानून, जहां ऐसे कानून हों अपने राज्य में लागू करने की वांछनीयता पर विचार करें ।

जहां तक चिटफण्ड कम्पनियों द्वारा जमा के लिए रकमें लेने का संबंध है, वास्तविक या नियमित रूप से चिटफण्ड चलाने वाली कंपनियों और इनामी चिटा बचत योजनाएं लकीड्रा चलाने वाली कम्पनियों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के अध्याय III ख के संगत उप-बंधों के अनुसार जारी किये गये निर्देश लागू होते हैं। इन निर्देशों के अनुसार ऐसी कम्पनियां हानि की रकम यदि कोई हो तो निकालने के बाद अपनी चुकता पूंजी और निबंधि प्रारक्षित निधि की रकम के 25 प्रतिशत से ज्यादा जमा की रकम स्वीकार नहीं कर सकती ।

सरकार ने सिद्धांत रूप में फैसला किया है कि सभी अनिगमित गैर-बैंकिंग संस्थानों द्वारा जमा की रकमें स्वीकार करने पर पाबंदी लगाने के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त किये जाने चाहियें और मौजूदा कानूनों और उनके अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों को कड़ा बनाया जाना चाहिये । इस विषय में गहराई से जांच करने तथा आगे और कार्रवाई करने के लिए विशिष्ट सिफारिशें देने के लिए रिज़र्व बैंक ने एक अध्ययन दल बना दिया है जिसकी कार्रवाई चल रही है ।

सरकारी निधियों के मूल्य में ह्रास के संबंध में आयोग की स्थापना

2046. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की जांच करने के लिये कि भविष्य में निधि जैसी सरकारी निधियों के मूल्य में बढ़ती हुई मुद्रा-स्फीति के साथ-साथ ह्रास न होने पाये, आयोग की स्थापना करने की वांछनीयता पर विचार किया है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में चिली में विद्यमान व्यवस्था की जांच की है और यदि हां तो इस संबंध में उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) मूल्य गारंटी तकनीक जो हमारी जानकारी के अनुसार कुछ देशों में जिनमें चिली भी शामिल है, शुरू किये गये हैं भारत के मौजूदा हालात में लागू करना उचित नहीं समझा गया है ।

धन संबंधी मंजूरी लेने में कथित विलम्ब

2047. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के योजना व्यय में काफी कमी आने का एक कारण धन संबंधी मंजूरी लेने में भारी विलंब रहा है ;

(ख) वर्तमान वित्तीय प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है ताकि प्रत्येक मंत्रालय मंजूरशुदा बजट के अपने उपबंधों के अनुसार स्वयं निर्णय कर सकें

(ग) इस संबंध में की जाने वाली कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत राव चव्हाण) : (क) जबकि योजना संबंधी परियोजनाओं और उपायों की स्वीकृति देने के लिए वर्तमान वित्तीय तथा प्रशासनिक तंत्र में और सुधार करने की गुंजाइश हो सकती है लेकिन यह सही नहीं है कि वित्तीय स्वीकृतियां प्राप्त करने में अनुचित विलंब के कारण योजना व्यय की प्रगति में बाधा पड़ती है ।

(ख) तथा (ग) : वित्तिय प्रशासन की वर्तमान प्रणाली में कुछ परिवर्तनों की परि-कल्पना की गई है । इन परिवर्तनों के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(i) सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से वित्तीय प्रबंध में अधिक क्षमताओं का विकास तथा यह सुनिश्चित करना कि निर्णय लेने का प्राधिकार परिणाम दिखाने के उत्तरदायित्व के अनुरूप हो ; तथा

(ii) सरकारी विभागों तथा अभिकरणों के आन्तरिक कार्य करने तथा नागरिकों एवं कर्मचारियों के साथ उनके लेन-देन को अधिशासित करने वाली कार्यविधियों का सरलीकरण तथा आधुनिकीकरण ।

Expenditure to be Incurred as a Result of Increase made in the Allowances of class I Officers of Central Government

2048. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the estimated annual expenditure to be incured by Government as a result of the increase made in the allowances of Class-I officers by the Central Government ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh): The Third Pay Commission had estimated the immediate cost resulting from its recommendations on house rent allowance and compensatory (city) allowance as Rs. 22 crores and Rs. 2.38 crores respectively per annum for all classes. No class-wise break-up of these figures is available. Regarding other allowances, no estimate of the additional cost could be indicated by the Third Pay Commission because of considerations mentioned in Chapter 67, Volume IV of its Report. As regards the dearness allowance, six instalments have been sanctioned so far and the total annual cost of these instalments would be about Rs. 5 crores in so far as Civilian Class I Officers are concerned.

Foreign Exchange Found in possession of Passenger at Santa Cruz Air Port

2049. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether large amount of foreign exchange was recovered from the luggage of some passengers of Dubai bound aeroplane of Kuwait Airlines at Santa Cruz Airport in the first week of May, 1974; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh): (a) & (b) Yes, Sir. Two passengers named Tripal Mohan Virmani and Surender Nath checked in at Santa Cruz Airport as last minute passengers on Kuwait Airlines flight No. KU-371 on 4-5-74 for Dubai. Their baggage was examined. The following foreign exchange were seized under Panchnama:

US$	6875	(including Traveller cheques $ 50, Money order for $100).
UK£ . .	95	
Deutsche Marks	1600	
French Francs .	120	
Canadian S .	10	
Baharin Dinar . .	10	
Southi Rials	10	

Total approximately equivalent to Rs. 62,000/-.

Both the passengers were arrested. They have been released on bail for Rs. 20,000/ each. The case is under investigation.

सूती कपड़ा नीति में परिवर्तन

2050. श्री राजा कुलकर्णी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कपड़े तथा धागे के अधिक उत्पादन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिये सूती कपड़ा नीति में इसके विस्तार, आधुनिकीकरण, पूंजी निवेश तथा लाइसेंस देने के बारे में किस तरह के परिवर्तन किये हैं अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : एक एकीकृत सूती वस्त्र नीति तैयार की जा रही , जिसके अन्तर्गत अन्य बातों के साथ साथ प्रश्न में उल्लिखित पहलू भी शामिल होंगे । इस नीति के शीघ्र ही घोषित किये जाने की आशा है ।

निर्यात संवर्द्धन परिषद् का पुनर्गठन

2051. श्री रामावतार शास्त्री :

श्री महेन्द्र सिंह गिल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान निर्यात संवर्द्धन परिषद् का पुनर्गठन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें किस प्रकार के परिवर्तन किये जायेंगे और इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) 17 विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदें हैं जो विभिन्न उत्पाद समूहों के सम्बन्ध में कार्य करती हैं । सरकार इन परिषदों के किसी सामान्य पुनर्गठन के बारे में विचार नहीं कर रही है । तथापि, निम्नलिखित प्रस्थापनाएं विचाराधीन हैं :–

(क) चमड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद् और तैयार चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित वस्तु निर्यात संवर्द्धन

परिषद को मिलाकर चमड़े तथा चमड़े के माल के लिए एक संयुक्त परिषद् की व्यवस्था।

(ख) वर्तमान तम्बाकू निर्यात संवर्द्धन परिषद् के स्थान पर तम्बाकू बोर्ड की स्थापना ।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शुष्क पत्तनों की स्थापना

2052. **श्री एस० एन० मिश्र : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रों में शुष्क पत्तन स्थापित करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर शुष्क पत्तन स्थापित करने के सुझाव दिये गयें हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) उत्तर प्रदेश. हरयाणा, राजस्थान तथा बिहार की राज्य सरकारों और दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र ने अपने अपने राज्य क्षेत्र में शुष्क पत्तन स्थापित करने के लिए अनुरोध किया है ।

(ख) सुझाये गये स्थान हैं : गुलदर, मरीपत तथा मथुरा (उत्तर प्रदेश), पलवल (हरयाणा) भरतपुर (राजस्थान), पटना (बिहार) तथा तुगलकाबाद (दिल्ली) ।

(ग) यह सरकार के विचाराधीन है ।

बिहार के जिलों में ब्याज की रियायती दरों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

2053. **श्री भोगेंद्र झां : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के प्रत्येक जिले विशेषकर मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, पूर्णिया, समस्तीपुर तथा उत्तर बिहार के अन्य जिलों से राष्ट्रीयकृत बैंकों को ब्याज की रियाती दरों पर ऋण के लिये दिये गये आवेदन पत्रों तथा उन्हें दिये गये ऋण के बारे में नवीनतम आंकड़े क्या हैं तथा कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं तथा उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) बिहार में उक्त जिलों में लघु उद्योगों और बेरोजगार स्नातकों के लिये कुल कितनी धन-राशि दी गई तथा ऋण प्राप्तकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है तथा कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं तथा इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) आवश्यक यथासंभव सूचना इकटठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

थोक व्यापारियों को राष्ट्रीयकृत और गैर सरकारी बैंकों द्वारा दिया जाने वाला ऋण

2054. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त** मंत्री थोक व्यापारियों के बैंकों द्वारा ऋण से संबन्धित 1 मार्च 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1491 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेषकर गेहूं, धान और चावल, चीनी, कपड़ा, सीमेंट, तिलहन और खाने योग्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापारियों को राष्ट्रीयकृत और गैर सरकारी बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) इन वस्तुओं के थोक-व्यापार में निवेश किये जाने वाले काले धन का अनुमानित अनुपात क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें वाणिज्यिक बैंकों द्वारा महत्वपूर्ण वस्तुओं अर्थात् अनाज (अनाज वसूली करने वाली एजेंसियों के अनाजों को छोड़कर), तिलहन, वनस्पति तेलों और वनस्पति के एवज में दिये गये ऋणों की बकाया रकमों के आकड़े दिये गए हैं। ये वे वस्तुएं हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण नियंत्रण के लिए चुनी गयी हैं। इस विवरण में दी गई सूचना भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सबसे हाल की सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। सीमेंट, कपड़ा और अन्य ऐसी जरूरी वस्तुओं के बारे में जो ऋण नियंत्रण की इस योजना के अन्तर्गत नहीं आती, इस तरह की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं है जिनसे इस बात का पूरा पता चल सके कि भाग (क) में उल्लिखित वस्तुओं के थोक व्यापार में कितना काला धन लगा है।

विवरण

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अनाज (अनाज वसूली करने वाली एजेंसियों के अनाज को छोड़कर) तिलहन, तेल और वनस्पति तथा घीनी के एवज में दिये गये ऋणों की बकाया रकमें मार्च, 1974 के अन्त की स्थिति के अनुसार

(लाख रुपयों में)

	सरकारी क्षेत्र के बैंक			अन्य बैंक			अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक		
	मिलें/प्रोसेसिंग यूनिटस और औद्योगिक उपभोक्ता	"अन्य"	जोड़	मिलें/प्रोसेसिंग यूनिटस और औद्योगिक उपभोक्ता	"अन्य"	जोड़	मिलें/प्रोसेसिंग यूनिटस और औद्योगिक उपभोक्ता	"अन्य"	जोड़
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
अनाज †	19,78	12,18,	31,96	4,30	2,63	6,93	24,08	14,81	38,89
तिलहन									
मूंगफली	4,43	5,92	10,35	61	1,04	1,65	5,04	6,96	12,00
तोरिया सरसों . .	4,18	82	5,00	2	7	9	4,20	89	5,09

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
वनस्पति तेल !									
मूंगफली का तेल .	3,79	1,34	5,13	70	23	93	4,49	1,57	6,06
तोरिया सरसों का तेल .	2,28	18	2,46	5	25	30	2,33	43	2,76
वनस्पति .	3,77	68	4,45	64	15	79	4,41	83	5,24
चीनी . .	106.34	4.79	111,13	1,96	63	2,59	108,30	5,42	113,72
जोड़ .	114,57	25,91	107,48	8,28	5,20	13,28	152,85	30,91	183,76

† अनाज वसूली के लिये सरकारी क्षेत्र को दिये गये ऋण शामिल नहीं है ।

आंकड़े अनन्तिम है ।]

टिप्पणी : थोक व्यापारियों को दिये गये ऋण "अन्य" वर्ग के अन्तर्गत आते हैं जिसमें थोक व्यापारियों के अलावा खुदरा व्यापारी सहकारी समितियां, किसान और अन्य लेनदार भी आ जाते हैं ।

कांगड़ा चाय उद्योग को हो रही दिक्कत

2055. **श्री नारायण चंद परासर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा चाय उद्योग को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या कांगड़ा घाटी के चाय उत्पादकों की सहायता करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में की गई कार्यवाही की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार को कांगड़ा चाय उद्योग के सामने आ रही किसी विशेष कठिनाई की जानकारी नहीं है ।

(ख) तथा (ग) चाय बोर्ड चाय उपजकर्ताओं की सहायतार्थ चाय पुनर्रोपण उपदान स्कीम, चाय मशीनरी किराया, खरीद स्कीम और पुनर्रोपण वित्त स्कीम जैसी कई स्कीमें चला रहा है । इन स्कीमों से होने वाले लाभ कांगड़ा घाटी के चाय उपजकर्ताओं को भी उपलब्ध हैं ।

वन्य जीव रक्षित स्थल

2056. **श्री नारायण चन्द परासर :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वन्य जीव रक्षित स्थल राज्यवार कितने हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार पांचवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसे और अधिक स्थल खोलने का है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिए कौन-कौन से स्थल चुने गये हैं ?

पर्यटन और नगर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सारोजनी महीषी) (क) देश में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों। अन्य पशु शरणस्थानों की संख्या राज्यवार निम्न प्रकार से है :—

आंध्रप्रदेश	5
आसाम	7
बिहार	11
महाराष्ट्र	3
गुजरात	1
हिमाचल प्रदेश	20
जम्मू और कश्मीर	5
केरल	5
मध्य प्रदेश	11
तमिल नाडु	4
मनीपुर	1
मैसूर	6
उड़ीसा	9
पंजाब	4
हरियाणा	7
राजस्थान	8
उत्तर प्रदेश	12
पश्चिम बंगाल	6

(ख) और (ग) यह मामला राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है ।

दिल्ली हवाई अड्डे पर वस्तुओं की तस्करी करने वाले व्यक्तियों पर लगाये गये जुर्माने से प्राप्त आय

2057. **श्री नारायन चंद परासर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पालम हवाई अड्डे, दिल्ली पर तस्करी का सामान रखने वाले व्यक्तियों पर लगाये गये जुर्मानों से वर्ष 1974 के पहले छह महीनों में महीनेवार कुल कितनी आय हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : दिल्ली स्थित पालम हवाई अड्डे पर 1974 के पहले छः महीनों में अनुमत्य सीमा से अधिक माल के संबंध में लगाये गये जुर्माने और दण्ड से अर्जित कुल रकम इस प्रकार है :—

महीना	रकम
जनवरी, 1974	1 66,850 रु०
फरवरी, 1974 .	2,11,914 रु०
मार्च, 1974	2,15,160 रु०
अप्रैल, 1974	1,88,915 रु०
मई, 1974	2,24,275 रु०
जून, 1974	2,31,556 रु०

गोआ में पर्यटन सुविधाओं के बारे में समुद्र तट अनुसंधान विकास सर्वेक्षण दल का प्रतिवेदन

2058. **श्री वेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में पर्यटकों को सुविधायें देने के संबंध में समुद्र-तट अनुसंधान विकास सर्वेक्षण दल का प्रतिवेदन मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग) समुद्र तटीय बिहार स्थल सर्वेक्षण पर संयुक्त विकास कार्यक्रम (यू० एन० डी० पी०) की रिपोर्ट पर्यटन की विभाग में प्राप्त हो चुकी है । परन्तु, उन क्षेत्रों में जिनके विकास के लिए सिफारिश की गयी है, भूमि की कीमतों को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने तक, इसे गोपनीय रखा जा रहा है ।

सामान्य तौर पर, रिपोर्ट में समुद्र-तटीय बिहार-स्थल की विशेषताओं तथा मूल्यांकन कसौटी की समीक्षा की गयी है ; सर्वेक्षण किए गए समुद्र-तटीय क्षेत्रों का, उनमें विकास संभावनाओं को दर्शाते हुए मूल्यांकन किया गया है ; सर्वेक्षण किए गए समुद्र-तटीय क्षेत्रों की मार्किट संभाव्यता का समग्र चित्र दिया गया है ; तथा इन क्षेत्रों में अपेक्षित आवास व्यवस्था व अन्य सुविधाओं के प्रकार एवं मात्रा के साथ-साथ उनकी पूर्ति के क्रमिक कार्यक्रम को निरुपित किया गया है। यह होटल परिचालनों की अर्थव्यवस्था, वित्तीय अपेक्षाओं तथा दिये जा सकने वाले विकास प्रोत्साहनों, एव विकासात्मक क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संगठनात्मक ढांचे की भी तस्वीर प्रस्तुत करती है ; और भूमि के प्रयोग एंव क्षेत्र विभाजन के निर्धारण, आधारभूत उपदानों की योजनाए तैयार करने तथा पर्यावरण के नियंत्रण के लिए समुद्र-तटीय क्षेत्रों की मास्टर प्लान तैयार करने की आवश्यकता पर बल देती है ।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कार्यालयों को खोलना

2059. **श्री बेकारिया : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में औद्योगिक वित्त निगम के कितने कार्यालय हैं और किन-किन स्थानों पर हैं ;

(ख) क्या सरकार औद्योगिक वित्त निगम के कुछ और कार्यालय खोलने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिये किन-किन स्थानों को चुना गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 18 के अनुसार, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के लिए यह जरूरी है कि वह अपना प्रधान कार्यालय दिल्ली में तथा बम्बई, कलकत्ता, कानपुर और मद्रास में अन्य कार्यालय खोले । इनके अलावा निगम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पूर्व स्वीकृति से भारत के अन्य स्थानों पर भी अपने कार्यालय अथवा एजेंसियां खोल सकता है ।

30 जून, 1974 को नयी दिल्ली के प्रधान कार्यालय के अलावा, विभिन्न राज्यों में निगम के 16 कार्यालय थे । एक विवरण संलग्न है जिसमें इन कार्यालय के स्थान और उनके काम शुरू करने की तारीखें दी गयी हैं ।

नागपुर में एक और कार्यालय खोलने के लिये प्रबन्ध किये जा रहे हैं और आशा है कि इस कार्यालय में साल के आखिर मे पहले ही काम शुरू हो जायेगा ।

विवरण

30 जून, 1974 को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कार्यालयों की सूची तथा उन कार्यालयों के स्थानों और उनमें काम शुरू होने की तारीखों का ब्यौरा

कार्यालय स्थान	काम शुरू होने की तारीख	टिप्पणी
प्रधान कार्यालय :		
1. नई दिल्ली . . .	1-7-1948	
प्रादेशिक कार्यालय :		
2. कलकत्ता . .	9-10-1948	1-9-73 से इन कार्यालयों को शाखा कार्यालय के स्थान पर प्रादेशिक कार्यालयों में बदल दिया गया ।
3. बम्बई . . .	30-12-1948	
4. मद्रास . . .	21-3-1950	

अन्य कार्यालय :

5. दिल्ली शाखा	25-3-1968	1-9-73 से इसे "दिल्ली प्रभाग" के स्थान पर "शाखा कार्यालय" में बदल दिया गया ।
6. गुहाटी	17-5-1971	
7. अहमदाबाद .	18-8-1971	
8. हैदराबाद	19-11-1971	
9. भुवनेश्वर .	8-4-1972	
10. बंगलौर	25-5-1972	
11. कानपुर	29-7-1972	
12. पटना	19-8-1972	
13. चण्डीगढ़	9-7-1973	
14. भोपाल	16-7-1973	
15. कोचीन	1-8-1973	
16. जयपुर	3-10-1973	
17. पूना . . .	24-6-1974	

मेंढक की टांगों का निरीक्षण प्रक्रिया

2060. **श्री सी० जनार्दनन्** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका द्वारा काफी खेपों को अस्वीकार किये जाने पर हाल ही में हुये विवाद को ध्यान में रखते हुए, निर्यात की जाने वाली मेंढक की टांगों की निरीक्षण प्रक्रिया का पुनरीक्षण करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) अस्वीकृत खेपों का प्रयोग कैसे किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) संशोधित प्रक्रिया में यह व्यवस्था है कि मेंढक की टांगों (पूरी) के सभी नमूने ऐसे माध्यम में डुबोये जायें, जिसकी साल्मोनेला दूषितता के लिये जांच की गई है ।

(ग) मेंढक की टांगों की कुछ खेपें संयुक्त राज्य अमरीका में सफलतापूर्वक पुनर्साधित की गई और वहां पर बिक्री के लिये रिलीज की गई ।

राज्य व्यापार निगम के द्वारा सूडान को प्राकृतिक रबड़ का निर्यात

2061. **श्री सी० जनार्दनन्** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य कोआपरेटिव रबर मार्केटिंग फेडरेशन ने राज्य व्यापार निगम के द्वारा सूडान को 50 टन प्राकृतिक रबड़ का निर्यात करने का ठेका दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) केरल राज्य सहकारी रबड़ विपणन फेडरेशन ने मई, 1974 में कोचीन से भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से 3.39 लाख रु० के मूल्य का 50 मे० टन प्राकृतिक रबड़ बाटा नेशनलाइज्ड कारपोरेशन, खारतूम सूडान, को निर्यात किया।

हालैण्ड से ऋण

2062. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को हालैंड से 2600 लाख रुपये का ऋण मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो यह ऋण किन-किन क्षेत्रों में उपयोग में लाया जायगा और इसका वापस भुगतान किस प्रकार किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) नीदरलैंड की सरकार ने 1974-75 के वर्ष के लिये 820 लाख डच गिल्डर (100 रुपये के 32.20 डच गिल्डर की दर से 2546 लाख रुपये) का एक परियोजना-भिन्न ऋण देने का आश्वासन दिया है । आशा है इस सिलसिले में दि हेग स्थित डी नीदरलैंड इनवेस्टरिंग्स बैंक वूर ओण्टविक्कालिकजलैंडन एन० वी०, के साथ शीघ्र ही एक करार पर हस्ताक्षर हो जायेंगे ।

(ख) ऋण का इस्तेमाल डच वस्तुओं तथा सेवाओं के आयात के लिये किया जायेगा । इसकी वापसी अदायगी 30 वर्षों में की जानी है जिसमें 8 वर्ष की प्रारम्भिक छूट की अवधि भी शामिल है । ऋण पर 2½ प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज लगेगा ।

केरल में औद्योगिक एकक

2063. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केरल में सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने के लिये कितने औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी दी गई है ;

(ख) विभिन्न राज्यों में ऐसे एकक स्थापित करने का मानदण्ड क्या है ; और

(ग) उन्हें किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जायेगा और उनमें राज्य किस सीमा तक भागी बनेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ग) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :

1. कोचीन शिपयार्ड	कोचीन
2. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि० का अखबारी कागज का संयंत्र .	बेलूर

3. इन्स्ट्रमेंटेशन फैक्टरी पालघाट

4. हिन्दुस्तान लेटेक्स लि० की विस्तार परियोजना . त्रिवेन्द्रम

5. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की छपाई मशीन परियोजना . . कलमसेरी

6. हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि० का बेंजीन हेक्सा क्लोराइड संयंत्र . . अल्वाय

उपयुक्त परियोजनाओं में किए गए पूंजी निवेश में राज्यों का कोई हिस्सा नहीं है ?

(ख) सामान्यतः, औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों में सरकार द्वारा पूंजी निवेश तकनीकी-आर्थिक बातों के लिहाज से किया जाता है । क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं में भी केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक परियोजनाएं पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्थापित करने की आवश्यकता को महत्व दिया गया है ।

केरल द्वारा विभिन्न 'काउन्टों' के धागे की मांग

2064. **श्रीमती भार्गवी तंकप्पन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न 'काउन्टों' के धागों के लिये केरल की कुल कितनी मांग थी और उसे किस सीमा तक पूरा किया गया; और

(ख) क्या केरल के बहुत से छोटे बुनकरों और कारखानों को अपेक्षित किस्म का धागा नहीं मिला है जिससे उन्होंने विवश होकर अपने उत्पादन यूनिट बन्द कर दिये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) केरल सरकार द्वारा सूचित किये गए अनुसार अप्रैल, 1973 में केरल के बुनकरों की प्रति तिमाही सूत की आवश्यकता इस प्रकार थी :

हैंक्स :

काउण्ट समूह :

20 का० तक	8.7 लाख कि० ग्रा०
21 का० से 40 का० तक	2.0 लाख कि० ग्रा०
41 का० तथा उससे ऊपर	1.0 लाख कि० ग्रा०
कोन्स :	3.6 लाख कि० ग्रा०

मार्च, 1973 के बाद केरल को दिये गए सूत के आवंटनों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । यह भी कहा जा सकता है कि सूत पर वितरण नियंत्रण जून, 1973 से धीरे-धीरे हटा दिया गया और मार्च, 1974 में उसे पूर्णतः हटा दिया गया और विनियंत्रित काउन्टों के लिये कोई आवंटन नहीं किये गये क्योंकि इन्हें पूर्णतः बाजार से ही खरीदा जाना था ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है ।

विवरण

सांविधिक यार्न वितरण स्कीम के अन्तर्गत केरल को यार्न के आवंटनों को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े लाख कि० ग्रा० में)

अवधि	काउंट समूह	हैंक्स	कोन्स
मार्च, 1973	1 का० से 20 का० तक	1.88	0.28
	21 का० से 40 का० तक	0.65	1.62
	41 का० तथा उससे उपर	0.25	0.52
	योग	2.78	2.42
अप्रैल/जून, 1973	10 का० तक	1.25	0.23
	11 का० से 17 का० तक	0.10	0.05
	18 का० से 25 का० तक	9.26	0.23
	26 का० से 35 का० तक	1.80	0.68
	36 का० से 48 का० तक	0.70	0.05
	49 का० से 64 का० तक	0.52	0.19
	65 तथा उससे ऊपर	0.63	0.01
	योग	14.26	1.44
जुलाई/सितम्बर 1973	18 का० से 25 का० तक	6.04	1.44
	26 का० से 35 का० तक	1.35	0.96
	36 का० से 48 का० तक	0.457	0.02
	49 का० से 64 का० तक	1.266	नगण्य
	65 का० तथा उससे ऊपर	1.677	0.02
	योग	10.80	2.44

यार्न की कीमतों तथा वितरण हेतु, सांविधिक स्कीम के विरुद्ध मिलों द्वारा रोक आदेश प्राप्त किये जाने के कारण अक्टूबर/दिसम्बर, 1973 के दौरान कोई आवंटन नहीं दिये गए ।

जनवरी, मार्च, 1974	100 का०	13.433	नगण्य

केरल के क्विलोन जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का कार्यकरण

2065. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन:** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के क्विलोन जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल कितनी शाखाएं है;

(ख) उन्होंने वर्ष 1973-74 में कुल कितना ऋण दिया था ; और

(ग) ऋण पाने वाले विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक श्रेणी को कितना-कितना ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जून, 1974 के अन्त तक केरल राज्य के क्विलोन जिले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 59 शाखाएं (जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों की 28 शाखाएं शामिल हैं) कार्य कर रही थीं ।

(ख) और (ग) केरल के क्विलोन जिले में जून 1973 के अन्तिम शुक्रवार तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को दिये गये और बकाया ऋणों की कुल रकमों के बारे में उपलब्ध सूचना इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

	खातों की संख्या	रकम
कृषि (जिसमें बागान शामिल है)	9568	1.09
उद्योग . .	3666	22.65
व्यापार	1129	1.14
अन्य .	39208	4.66
जोड़ .	53571	29.54

Black Money Unearthed in Bihar

2066. **Shri Chandra Shekhar Singh:**

Dr. Laxminarayan Pandeya:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the total amount of black money unearthed in Bihar during the last three years; and

(b) the number of persons against whom cases were registered, prosecutions launched and sentences of imprisonment awarded separately?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

भारत और पश्चिम जर्मनी के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग

2067. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधिकारियों ने वर्ष 1974-75 के लिये द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग पर विचार-विमर्श करने के लिये पश्चिम जर्मनी का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां तो विचार-विमर्श का सारांश क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): (क) और (ख) जी हां। 1974-75 के लिए विकास सहायता के बारे में जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार के साथ बातचीत करने के लिए भारत का एक सरकारी प्रतिनिधि मण्डल जुलाई, 1974 में बौन गया था। बातचीत पूरी होने पर 8 जुलाई, 1974 को दोनों सरकारों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जिसके अनुसार जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार 1974-75 के वित्त-वर्ष के लिए भारत को 36 करोड़ ड्यूश मार्क (विनिमय की चालू दर के अनुसार 112 करोड़ रुपये के बराबर की राशि) की वित्तीय सहायता देगी। इस समझौते और बौन में हुई बातचीत का ब्यौरा सरकार द्वारा 10 जुलाई, 1974 को जारी की गयी प्रेस विज्ञप्ति में दिया गया था। उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गयी है। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 8154/74**

राज्य एजेंसियों द्वारा रुई की खरीद

2068. **श्री मधु लिमये :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष राज्य एजेंसियों के माध्यम से, एकाधिकार खरीद द्वारा या अन्यथा रुई की खरीद के सम्बन्ध में कोई अखिल भारतीय नीति है ;

(ख) इस नीति की रूप-रेखा क्या है

(ग) क्या रुई की विभिन्न किस्मों के लिये कोई अखिल भारतीय समर्थन मूल्य या राज्यवार मूल्य निर्धारित किये गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) महाराष्ट्र राज्य को छोड़ कर जहां राज्य सरकार ने महाराष्ट्र कपास (अधिप्राप्ति, प्रोसेसिंग तथा विपणन) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत एकाधिकार क्रय योजना को पुनः लाग् किया है, अन्य किसी राज्य ने, आगामी रुई मौसम के दौरान रुई की एकाधिकार अधिप्राप्ती के लिए योजना शुरू नहीं की है। अन्य राज्यों में कपास की खरीदारियां भारतीय रुई निगम द्वारा की जा रही हैं। 1974-75 के लिए उनके खरीद कार्यों की सीमा तथा क्षेत्र के बारे में विचार किया जा रहा है।

(ग) रुई वर्ष 1974-75 के लिए कपास की समर्थक कीमतें अभी घोषित नहीं की गई हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में तम्बाकू पर लगे उत्पादनशुल्क का अपवंचन

2069. **श्री मधु लिमये :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू पर लगे उत्पादनशुल्क के अपवंचन के बारे में गुजरात के आनन्द तथा अन्य क्षेत्रों से सरकार को कोई पत्र मिले हैं ;

(ख) क्या इस संबध में केन्द्रीय उत्पादनशुल्क अधिकारियों के विरुद्ध कोई आरोप लगाये गये हैं ;

(ग) आरोपों का स्वरूप क्या है ; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) मुख्य आरोप ये हैं (i) उत्पादनशुल्क का अपवंचन करने के लिये तम्बाकू को नकली रूप से नष्ट किया गया दिखाना (ii) अधिकारियों का निर्धारित जांच करने में, जैसे स्टाक की जांच आदि करने में असमर्थ रहना (iii) व्यापारियों द्वारा खातों में हेरा-फेरी ।

(घ) विभागीय जांच-पड़ताल करने के बाद कुछ मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास भेजा गया । ब्यूरो ने दो अधिकारियों के विरुद्ध नियमित मामले रजिस्टर कर दिये हैं । कुछ मामलों में विभागीय जांच भी चल रही है ।

विभिन्न कम्पनियों द्वारा पुराने ट्रेड मार्कों का नवीकरण

2070. **श्री मधु लिमये :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की सूचना मिली है कि कुछ विदेशी कम्पनियों, उनकी शाखाओं तथा सहायक कम्पनियों ने अपने ट्रेड मार्कों के प्रयोग के नवीकरण के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं ;

(ख) क्या ये आवेदन-पत्र रिजर्व बैंक तथा तकनीकी विकास महानिदेशालय सहित विभिन्न भागों के पास विचाराधीन पड़े हुये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अब से बाद विदेशी ट्रेड मार्कों के प्रयोग का नवीकरण न करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां ।

(ग) भारत में माल की बिक्री के लिए विदेशी ट्रेड मार्कों के प्रयोग के नवीकरण के आवेदन पत्रों को जनसाधारण और स्वदेशी उद्योग के विकास के हित में न होने पर सामान्यतः अस्वीकार कर दिया जाता है । जहां पर उपर्युक्त दिशाएं नहीं होती, परन्तु यदि ट्रेड मार्क के मालिक और पंजीकृत प्रयोक्ता के बीच करार में देश के बाहर धनराशियां भेजने की व्यवस्था है, तो ऐसे मामले तब तक पंजीकृत नहीं किये जाते जब तक कि देश से बाहर ऐसी धनराशियां भेजने की रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की अनुमति प्रस्तुत नहीं कर दी जाती ।

संयुक्त अरब एमीरेट्स को निर्यात

2071. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त अरब एमीरेट्स को निर्यात में वृद्धि करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) इंजीनियरी माल, निर्माण सामग्री, चाय, चीनी, बासमती चावल, मांस, ताजा फल और सब्जियां आदि जैसी अनेक वस्तुओं का पता लगाया गया है जिनकी इस क्षेत्र को निर्यातों की संभाव्यता है और इनके निर्यातों को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं । मशीनरी तथा उपस्करों, तकनीकी जानकारी और परामर्शी सेवाओं की सप्लाई करके संयुक्त अरब एमीरेट्स में औद्योगिक तथा विकास परियोजनाओं में भाग लेने की संभावनाओं का भी पता लगाया जा रहा है ।

अपरिष्कृत पटसन के गैर-सरकारी व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार का अनुरोध

2072. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने यह सुझाव दिया है कि अपरिष्कृत पटसन का मूल्य लगभग 200 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए ;

(ख) यदि हां तो उसपर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अपरिष्कृत पटसन के गैर-सरकारी व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर सरकार ने 1974-75 मौसम के लिए सभी देहाती बाजारों के लिए कच्चे पटसन की कानूनी न्यूनतम कीमतें समान रूप से आसाम वाटम के आधार पर 125 रु० प्रति क्विंटल तय करने का विनिश्चय किया है ।

(ग) जी हां ।

(घ) अनुमान है कि एक अरसे के बाद अधिकांश कच्चे पटसन व्यापार को भारतीय पटसन निगम द्वारा अपने हाथ में ले लिया जायेगा ।

पर्यटन संस्थान के लिये स्थान

2073. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पर्यटन संस्थान के स्थान आदि के संबंध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ की रिपोर्ट तथा उस रिपोर्ट की जांच करने के लिए स्थापित किये गये कार्यवाहक दल की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित पर्यटन संस्थान की स्थापना करने के लिये सरकार की औपचारिक अनुमति प्राप्त करने के लिए आवश्यक परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है । बंगलौर में पर्यटन संस्थान के लिये भवन व्यवस्था करने के लिये कर्नाटक सरकार से उपयुक्त स्थान (प्रेमिसेज़) उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया जा रहा है ।

विपणन विकास निधि द्वारा मैन मेड कपड़ा उद्योग को सहायता

2074. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'मैन मेड' व कपड़ा उद्योग को, जो निर्यात की एक गैर-पारस्परिक मद है, विपणन विकास निधि से नकदी सहायता दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रयोजन से सहायता दी जाती है और कितनी सहायता की मंजूरी दी जाती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र के पूना और नागपुर में अपने कार्यालय खोलने की औद्योगिक वित्त निगम की योजना

2075. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य के पूना और नागपुर में औद्योगिक वित्त निगम द्वारा कार्यालय खोलने की योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यालय कब से चालू हो जायेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने पूना में अपना कार्यालय पहले ही खोल दिया है, जिसमें 24 जून 1974 से काम भी शुरु हो गया है । नागपुर में निगम का एक और कार्यालय खोलने का प्रबन्ध किया जा रहा है और आशा है कि इस साल के समाप्त होने से पहले ही इसमें काम शुरु हो जाएगा ।

चालू वर्ष के लिये संसाधन स्थिति का अनुमान लगाने के लिये नियुक्त किये गये दल द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना

2076. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चालू वर्ष के लिये संसाधन-स्थिति का अनुमान लगाने के लिये अधिकारियों का एक दल कश्मीर भेजा था ;

(ख) (यदि हां, तो दल द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या 1974-75 की वार्षिक योजना की क्रयान्विति के लिये उपलब्ध संसाधनों का अनुमान लगाने के लिये सभी राज्यों में ऐसे दल भेजे जाएंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) दल की रिपोर्ट का इन्तजार है ।

(ग) अन्य राज्यों के साथ उनकी 1974-75 की वार्षिक आयोजना को अमल में लाने के लिए उपलब्ध साधनों और धन जुटाने के अतिरिक्त प्रयत्नों के संबध में बात-चीत चल रही है ।

सी० डी० ए० पटना के कार्यालय के लिये इमारत का निर्माण

2077. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी०डी०ए० पटना के कार्यालय की इमारत का निर्माण कब आरम्भ होगा ; और

(ख) इमारत परियोजना के लिये बिहार सरकार द्वारा आवंटित भूमि को कब्जे में लेने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) भूमि के कुछ हिस्से पर अनधिकृत लोगों द्वारा अवैध कब्जा बनाए रखने के कारण बिहार सरकार अभी तक भूमि का खाली कब्जा नहीं दे सकी है । इन अनधिकृत लोगों से भूमि खाली कराए जाने के प्रश्न पर राज्य सरकार के साथ उच्च स्तर पर बात चीत की गई और इस पर राज्य सरकार कार्यवाही कर रही है । इस भूमि के उपलब्ध हो जाने पर ही इमारत के निर्माण का काम आरम्भ किया जा सकता है । सरकार इस मामले से अवगत है ।

कपड़ा उद्योग का विकेन्द्रीकरण

2078. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने कपड़ा के उद्योग के विकेन्द्रीकरण की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

योजना और गैर-योजना व्यय के अन्तर्गत मागों के पुनर्विलोकन के लिये समितियों की स्थापना

2079. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने मुद्रा के फैलाव को रोकने और 1974-75 के केन्द्रीय बजट में परिकल्पित 125 करोड़ रुपये के घाटे में वृद्धि न होने देने के उद्देश्य से योजना और गैर-योजना व्यय के अन्तर्गत मांगों के पुनर्विलोकन के लिये दो उच्च स्तरीय समितियों की स्थापना की है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके कर्त्तव्य और कृत्य क्या हैं और वे कब तक अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) देश में मुद्रास्फीति की मौजूदा परिस्थिति के संदर्भ में सरकार के खर्च में यथासंभव कमी करने के बारे में सुझाव देने और बजट में की गयी राशि के अन्दर घाटे की वित्त व्यवस्था को रोके रखने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय द्वारा सचिवों के दो दल गठित किये गये थे जिनका काम केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के क्रमश: आयोजनागत व गैर आयोजनागत बजटों की समीक्षा करना और सरकार को अपनी अपनी रिपोर्ट देना था । इन दलों ने अब तक जो जो सुझाव दिये हैं उन पर सरकार विचार कर रही है ।

टायर और कपड़ा उद्योगों में विस्कोस फिलामेंट यार्न की कमी

2080. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री के० मालन्ना :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आगामी कुछ महीनों के दौरान विस्कोस फिलामेंट यार्न की कमी के कारण उक्त प्रकार के यार्न का उपयोग करने वाले टायर उद्योग और कपड़ा उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार के यार्न का उत्पादन करने वाले कुछ कारखानों को आयातित लुगदी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) रेयन तथा टायर ग्रेड पल्प की विश्वव्यापी कमी है । परन्तु हमारी आवश्यकताओं का लगभग एक-तिहाई भाग आर्डरों से पहले ही कवर किया जा चुका है तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा यथा संभव और सप्लाइयों का पता लगाने के लिए प्रयास किये जा रहे है ।

उत्तर बंगाल में मिलावटी चाय

2081. **श्री रानेन सेन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बंगाल के विभिन्न बाजारों में व्यापक रूप से मिलावटी चाय बेची जा रही है और उक्त क्षेत्र में नियुक्त राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य निरीक्षकों ने इस बारे में चाय बोर्ड को कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) स्वास्थ्य अधिकारियों चाय बोर्ड तथा पुलिस द्वारा चाय के मिलावट के जिन मामलों, जिनमें, मात्राओं संबंधी मामले भी शामिल हैं, का पता लगाया गया है वे ज्यादा नहीं हैं । ऐसे मामलों का पता लगाने और अभियोजन के लिए व्यवस्था "खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954" और "चाय अवशेष (नियंत्रण) आदेश, 1959" के अन्तर्गत विद्यमान् है ।

असाम में अलाभप्रद चाय बागान

2082. **श्री रानेन सेन: क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असाम में अलाभप्रद चाय बागानों की संख्या में वृद्धि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है और उन्हें लाभप्रद बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चीनी के निर्यात से अर्जित धनराशि

2083. **श्री सी० जनार्दनन्**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीनी के निर्यात से चालू वर्ष के दौरान कुल कितनी धनराशि अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): चालू वित्तीय वर्ष में अब तक लगभग 48.5 करोड़ रुपय मूल्य की चीनी का निर्यात किया गया है ।

वर्ष 1974 में भारत और सोवियत संघ के बीच हुए कुल व्यापार

2085. **श्री रामावतार शास्त्री: क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 में भारत और सोवियत संघ के बीच कुल व्यापार में पिछले वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत वृद्धि होने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि किन वस्तुओं के कारण हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी हां । 1974 के लिए भारत-सोवियत व्यापार संलेख में 1974 के दौरान दोनों देशों के बीच जितने व्यापार की व्यवस्था की गई है वह 1973 के मुकाबले में अधिक है ।

(ख) यह वृद्धि व्यापार में वास्तविक वृद्धि के कारण है, यद्यपि कीमतों में वृद्धि का भी इसमें योगदान रहा है ।

भारतीय पटसन निगम द्वारा अपरिष्कृत जूट व्यापार किया जाना

2086. **श्री इन्द्रजीत गुप्त: वाणिज्य** क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: —

(क) क्या आगामी मौसम के दौरान भारतीय पटसन निगम द्वारा अपरिष्कृत जूट व्यापार के बारे में नया दृष्टिकोण अपनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) भारतीय पटसन निगम कच्चे पटसन की 25 लाख गांठों के प्राप्ति लक्ष्य को पूरा करने के लिए चालू मौसम में अपनी गतिविधियों में पर्याप्त विस्तार की व्यवस्था कर रहा है । विभागीय खरीद केन्द्रों की संख्या भी 30 से

बढ़ाकर 100 की जा रही है और सहकारी समितियों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि खरीद केन्द्रों की संख्या 66 से बढ़ाकर 132 कर दी जाये । प्रयत्न यही रहेगा कि पटसन की खरीद सीधे उपज-कर्ताओं से ही की जाए ।

भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय संयुक्त आयोग

2087. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ उत्पादों के लिए टैरिफ समायोजन सम्बन्धी हमारे प्रस्तावों की भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय के संयुक्त आयोग ने सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) अनेक उत्पादों पर टैरिफ समायोजन के प्रश्न पर संयुक्त आयोग में विचार किया गया था । 4.5 कि०ग्रा० से अधिक के ईस्ट इंडिया किप्स, टेनिंग एक्सट्रैक्ट तथा कैश्यूशैल लीक्विड के संबंध में आयोग को पता चला है कि अनुकूल सम्भावनाएं मौजूद हैं और समुदाय प्राधिकारियों को समुचित विनिश्चय लेने के लिए सिफारिश की जाये । अन्यों के संबंध में यह विनिश्चय किया गया कि मामले पर अध्ययन जारी रखा जाये ।

पर्यटक रुचि के महत्वपूर्ण नगरों को आकर्षक बनाने संबंधी योजना

2088. **श्री बनमाली बाबू :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यटक रुचि के महत्वपूर्ण शहरों को आकर्षक बनाने की योजना उनके मंत्रालय ने आरम्भ की है और महत्वपूर्ण स्थानों पर विशेष प्रकाश व्यवस्था करने, स्मारकों के आस पास के वातावरण में सुधार करने, सड़कों के साथ-साथ वृक्ष और लताकुंज लगाने और उनके आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने का आश्वासन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) पर्यटन रुचि के स्थानों का सुधार करना केन्द्रीय तथा राज्य स्तर के विभिन्न अभिकरणों का संयुक्त प्रयत्न है। पर्यटन विभाग का संबंध पर्यटन रुचि के पुरातात्विक स्मारकों के आस-पास के क्षेत्रों के सुधार करने मे है। आवास स्थानों में सीधे निवेश की व्यवस्था करने तथा अन्य पर्यटन सुविधाओं के अलावा, जहां कहीं आवश्यक हो, यह पर्यटक केन्द्रों के विकास का समेकित दृष्टिकोण करने के लिए एक समन्वय-कर्ता के रूप में भी कार्य करता है।

पांचवीं योजना में 10 पुरातात्विक काम्प्लेक्सों का विकास करने के लिए पर्यटन विभाग के सांस्कृतिक पर्यटन कार्यक्रम के अंतर्गत 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। दक्षिणी एशिया, दक्षिणी-पूर्वी एशिया तथा दूर पूर्व से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बौद्ध केन्द्रों के महत्व के कारण, चुने हुए बौद्ध केन्द्रों के विकास को प्राथमिकता दी गयी है। चालू वर्ष के बजट में, मुख्य बौद्ध केन्द्रों के, उनके नियंत्रित विकास को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से, मास्टर प्लान तैयार करने के लिए 2 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। मास्टर प्लान भूमि के प्रयोग विभिन्न सुविधाओं के निर्धारण, स्थल-दृश्य-निर्माण, आदि को निर्धारित करेगी। कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

अनाज व्यापार में काले धन की भूमिका

2089. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनाज-व्यापार में काले धन की भूमिका के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) बैंक से मिलने वाली ऋण सुविधा का खाद्यान्नों के निजी व्यापार में लगने वाले पैसे में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। यह सम्भव है कि इस व्यापार का कुछ भाग लेखा-वाह्य धन से चलता हो। खाद्यान्नों के निजी व्यापार में कालेधन का महत्व कितनी मात्रा में है, इसका अनुभव लगाना शाक्य नहीं है।

पर्यटन उत्पादकों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु उठाये जाने वाले कदम

2090. **श्री समर गुह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने बिचौलियों द्वारा पटसन की खरीद की प्रथा समाप्त करके ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक पटसन उत्पादकों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : कृषि कीमत आयोग की सिफारिशों के आधार पर देहाती बाजारों के लिए आसाम बाटम किस्म के कच्चे पटसन के लिए सांविधिक न्यूनतम कीमत 125 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। जो उपाय किये गये हैं तथा किये जाने वाले हैं, उनमें ये शामिल हैं, और अधिक विभागीय क्रय केन्द्र खोल कर तथा सहकारी समितियों आदि का सहयोग प्राप्त करके भारतीय पटसन निगम के रोल का उत्तरोत्तर विस्तार करना, उपजकर्त्ताओं की सहकारी समितियां गठित करके पटसन उत्पादन करने वाले राज्यों में सहकारिता के ढांचे को सुदृढ़ बनाना, सहकारी ऋण को उपजकर्त्ताओं द्वारा की जाने वाली पटसन की बिक्री से संबंधित करना, गहन पटसन जिला कार्यक्रमों की शुरूआत, विनियमित बाजारों की स्थापना करना जिनमें ग्रेडिंग की तथा भंडारण की सुविधाएं हों आदि।

भारत और स्विटजरलैण्ड के बीच ऋण समझौता

2091. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और स्विटजरलैंड ने 2.75 करोड़ रुपये के विकास ऋण समझौते और 13.75 करोड़ रु० के अन्तर्गत ऋण समझौते की पुष्टि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह ऋण ओवश-सुल्तानपुर-लखनऊ 400 के० वी० पारेषण योजना संबंधी विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है और अन्तरण ऋण स्विटजरलैण्ड में बने पूंजीगत सामान के आयात के लिए है; और

(ग) यदि हां, तो स्विटजरलैण्ड में बना पूंजीगत सामान क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां। विकास ऋण करार 3.5 करोड़ स्विस फ्रांक और अन्तरण ऋण करार 5.5 करोड़ स्विस फ्रांक का है। इन दोनों करारों की रकम क्रमशः लगभग 8.75 करोड़ रुपये और 13.75 करोड़ रुपये बैठती है।

(ख) जी, हां।

(ग) अन्तरण ऋण करार के अन्तर्गत स्विट्जरलैण्ड से जो पूंजीगत सामान मंगाया जा सकता है, उसका स्थूल ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) बिजली और इलैक्ट्रौनिक का सामान

(2) मशीनी औजार

(3) कपड़ा बनाने की मशीनें

(4) खाद्य पदार्थ उद्योग तथा रासायनिक उद्योग के लिए उपकरण

(5) सामान लादने के उपकरण तथा अन्य विविध उपकरण

(6) स्विस-भारत संयुक्त उद्यमों के लिए और लाइसेंस करारों के अन्तर्गत मशीनों के कल-पुर्जे।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार

2092. श्री राजदेव सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकरण के पश्चात् से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार में 51 प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सीमान्त किसानों को उक्त विस्तार से लाभ पहुंचा है; और

(ग) क्या किसानों के अन्य वर्गों ने भी बैंकों की इन शाखाओं से लाभ उठाया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) राष्ट्रीयकरण और जून, 1974 की समाप्ति के बीच की अवधि के दौरान बैंकों के जो 8,615 नये कार्यालय खोले गये हैं, उन में से 4,315 कार्यालय देहाती इलाकों में थे। अतः खोले गये अतिरिक्त कार्यालयों की संख्या की तुलना में देहाती इलाकों में खोले गये अतिरिक्त कार्यालयों का अनुपात 50 प्रतिशत बैठता है।

(ख) और (ग) जून, 1969 के अन्त तक सरकारी क्षेत्रों के बैंकों द्वारा खेती के लिए सीधे ही जो ऋण दिये गये थे उनकी बकाया रकम 40 करोड़ रुपये थी जो 1,60,020 उधार खातों में बंटी थी। मार्च, 1973 के अन्त में इन खातों की संख्या बढ़कर 11,46,959 और ऋणों की बकाया रकम 270 करोड़ रुपये हो गयी। जैसा कि नीचे दिये गये ऋणकर्त्ताओं की जोत के आकार के अनुसार ऋणों की बकाया रकमों के ब्यौरे से पता चलता है, 26 प्रतिशत बकाया रकम और 56 प्रतिशत उधार खातों की संख्या का संबंध 5 एकड़ और इससे कम जोत वाले किसानों से है।

30 मार्च, 1973 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सीधे खेती के लिये दिये गये ऋणों का ब्यौरा

जोत का आकार	खातों की संख्या	बकाया रकम (करोड़ रुपयों में)	कुल खातों की संख्या की तुलना में जोतों के अनुसार प्रतिशत	कुल बकाया रकम प्रतिशत
2.5 एकड़ तक	300249	26.8	33.1	11.2
2.5 एकड़ से अधिक परन्तु 5 एकड़ तक	211368	35.1	23.3	14.8
5 एकड़ से ऊपर परन्तु 10 एकड़ तक	182043	49.6	20.1	20.8
10 एकड़ से ऊपर	213818	126.8	23.5	53.2
जोड़ . .	907478	238.3	100.0	100.0

टिप्पणी : जोतवार ब्यौरे में मुर्गीपालन और सुअर पालन आदि जैसे खेती से सम्बद्ध कार्यों के लिए दिये गये ऋणों की रकमें शामिल नहीं हैं। इन की रकम 32 करोड़ रुपये और खातों की संख्या 2,39,481 बैठती है।

कम्पनियों द्वारा लाभों का वितरण

2093. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में सब कम्पनियों ने कर अदा करने के बाद कितने प्रतिशत शुद्ध लाभों का वितरण किया; और

(ख) इनमें से प्रत्येक वर्ष में वितरित लाभ शेयरों के अंकित मूल्य का कितने प्रतिशत था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : ये आंकड़े देश की सभी कंपनियों के बारे में उपलब्ध नहीं हैं। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने दरमियाने और बड़े पैमाने की 1,650 पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों का (इनमें से प्रत्येक की चुकता पूंजी 5 लाख रुपये या इससे ज्यादा है) अध्ययन किया जिनमें 31 मार्च, 1971 तक काम कर रही गैर-सरकारी लिमिटेड कम्पनियों की पूंजी की 85 प्रतिशत से भी ज्यादा पूंजी लगी हुई है। इस अध्ययन के अनुसार स्थिति इस प्रकार है :—

वर्ष	कंपनियों द्वारा कर अदा करने के बाद वितरित निवल लाभों का प्रतिशत
1970-71	44 प्रतिशत
1971-72	45 ,,
1972-73	49 ,,

(ख) 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 के प्रत्येक वर्ष में वितरित लाभ, शेयरों के अंकित मूल्य का क्रमशः लगभग 9.4 प्रतिशत, 9.5 प्रतिशत तथा 9.9 प्रतिशत रहा।

पुराने एवं गंदे करेन्सी नोट

2095. **श्री समर गुह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहाती बाजारों और बैंकों में भी सड़े गले नोट लेने से इन्कार कर दिया जाता है;

(ख) क्या विनिमय प्रयोजनों के लिए सड़े गले नोट स्वीकार करने के लिए सभी बैंकों को आदेश जारी कर दिये गये हैं अथवा जारी कर दिये जाने की संभावना है;

(ग) क्या करेन्सी नोटों के लिए जाने या उन पर लिखने जैसी बैंकों की गलत प्रथा के कारण नोट अनुपयोगी हो जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसी प्रक्रियाओं पर रोक लगाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) प्रयोग में न लाये जा सकने वाले पुराने व गन्दे करेंसी नोटों को बदलने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) नये नोटों के थोड़ी संख्या में मिल सकने की हालत में चालू नोट कुछ खराब हो गये हैं और बैंकों या अन्य पार्टियों द्वारा बहुत खराब नोटों को न लेने के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक और उसकी एजेंसियों में मैले और कटे-फटे नोटों को बदलने की सुविधाएं पहले से ही दी गयी हैं। सरकारी क्षेत्र के सभी वाणिज्यिक बैंकों, रेल प्रशासन तथा डाक-तार विभाग से हाल ही में कहा गया है कि वे आम तौर पर लेनदेन के समय उन मैले और थोड़े से कटे फटे नोटों को स्वीकार करें, जो अन्यथा असली हों, जिससे जनता की कठिनाइयों को कम किया जा सके।

(ग) और (घ) करेंसी नोटों की गड्डियां बनाने के लिए उनको स्टेपल करना या सीना अनिवार्य है। नोटों पर आमतौर पर इतनी लिखायी नहीं की जाती कि इनकी हालत इतनी खराब हो जाती हो कि उन्हें पर्याप्त समय तक चलन में नहीं रखा जा सकता हो। चूंकि जो नोट चलन के योग्य हैं, उनपर किसी तरह की लिखायी., ठप्पा अथवा अन्य तरह की लिखावट को यथासम्भव निरुत्साहित किया जाता है इसलिए लीगल टेण्डर (इस्क्राइन्ड नोट्स एक्ट), 1964 में दी गयी व्यवस्था के अलावा इस प्रकार के तरीकों पर रोक लगाने का न तो सवाल होता है और न ही यह व्यावहारिक है।

(ङ) सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह से करेंसी और बैंक नोटों के छापने की उपलब्ध क्षमता को बढ़ाने और देश में करेंसी और बैंक नोट तैयार करने के कागज का उत्पादन करने तथा इस उद्देश्य से कि निकट भविष्य में ज्यादा संख्या में नये नोट मिलने लगें विदेशों से सीमित मात्रा में करेंसी और बैंक नोट बनाने के कागज मंगाने के लिए उपाय कर रही है।

तस्करी को रोकने के लिये कार्यवाही

2096. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण गुजरात में दमण के तटवर्ती क्षेत्र में तस्करी करने वाली महिलायें, जो टैक्सियों और बढ़िया लिमुसीन मोटर गाड़ियों में यात्रा करती हैं, बड़े पैमाने पर अवैध वस्तुओं की तस्करी कर रही हैं;

(ख) क्या तस्करी करने वाली महिलाओं के साथ उनके साथी होते हैं जिनका परिचय उनके व्यापार करने के दौरान 'पति' के रूप में कराया जाता है और उनके 'व्यापारिक पति' अपनी पत्नियों को बाद में तलाक दे देते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तस्करी करने वाली उक्त महिलाओं को तस्करी करने से रोकने के लिए सरकार का क्या विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) दक्षिण गुजरात में दमन का समुद्रतट क्षेत्र, निःसंदेह तस्करी गतिविधियों का अड्डा है । कुछ मामलों में, राज्य परिवहन बसों अथवा टैक्सियों में यात्रा करती हुई महिलायें भी तस्करी के माल के साथ पकड़ी गई हैं। तथापि, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उस क्षेत्र में महिलायें ही व्यापक तस्करी में लगी हुई हैं।

(ख) ऐसी कोई घटना सीमाशुल्क प्राधिकारियों की जानकारी में नहीं आयी है।

(ग) महिला तस्कर-व्यापारियों द्वारा की जाने वाली तस्करी पर निगरानी रखने के लिए चुंगी चौकी तथा सड़क पर रुकावट पैदा करने संबंधी कार्यों पर लगे अधिकारी, महिला निरीक्षकों तथा तलाशी लेने वाली महिलाओं की सहायता से उन महिलाओं की तलाशी लेते हैं जिनकी गतिविधियां संदेहास्पद हों।

Non-availability of Funds with Banks as a Result of Decline in Deposits

2097. **Shri Chandu Lal Chandrakar:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state

(a) whether adequate funds are not available with banks to grant loans as a result of decline in deposits;

(b) whether the main reason for this is the low rate of interest given on the deposits; and

(c) the measures being taken by Government to improve the situation of uncertainty prevailing in the banks ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan): (a) In the context of the present inflationary conditions in the economy and having regard to the trends in the matter of growth of deposits, the accent of the credit policy currently being pursued by the Reserve Bank is to contain the size of the credit expansion by banks within the quantum warranted by the genuine production requirements of various sectors.

(b) & (c) In absolute amount the aggregate deposits of scheduled commercial banks have been increasing year after year, although in percentage terms some deceleration in the rate of growth has taken place in recent times. Deposit accretion depends upon a number of factors, rate of interest offered on deposits being only one of them. As part of the package of monetary measures introduced recently to counteract inflationary pressures, upward changes in the interest rates on both advances and deposits have been recently introduced.

बम्बई में रिजर्व बैंक आफ इंडिया के भवन का निर्माण

2098. **श्री वयालर रवि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक आफ इंडिया के लिए बम्बई में अलग से एक भवन के निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि रिजर्व बैंक प्राधिकार किराये पर लिये गये वर्तमान भवन के मालिकों की सहायता करने के विचार से नये भवन के निर्माण कार्य की गति को धीमा कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या उपाय किये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य उस बहुमंजिली इमारत के बारे में पूछना चाहते हैं जो रिजर्व बैंक उस जमीन पर बना रहा है जो उसे केन्द्रीय सरकार ने मिन्ट अहाते में दी है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि इमारत की खुदाई और विभाजक दीवार का काम पूरा हो चुका है तथा इमारत की नींव का काम चल रहा है। इस साल के अंत तक इस काम के पूरे हो जाने की आशा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता।

वायदा बाजार में रुई की खरीद पर रोक

2099. **श्री बसन्त साठे** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए वायदा बाजार में रुई की खरीद पर रोक लगाने के लिए जो कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है, उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या जनता के लाभ के लिए प्रमाणिक (स्टैंडर्ड) कपड़े पर राज सहायता देने के उद्देश्य से बढ़िया किस्मों के कपड़े पर उपकर लगाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) जरूरतमन्द उपभोक्ताओं को फुटकर स्तर पर स्टैंडर्ड कपड़े के वितरण के लिए क्या युक्तियुक्त और पर्याप्त प्रबन्ध किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अहस्तान्तरणीय विशिष्ट सुपुर्दगी संविदाओं की वैधता अवधि को संविदा किय जाने वाले महीनों को छोड़कर तीन महीने से कम करके एक महीना कर दी गई है। यह भिन्न क्षेत्र पर सरकार द्वारा लगाई गई रुई संबंधी स्टाक सीमाओं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाये गये ऋण प्रतिबन्धों के अलावा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नियंत्रित कपड़े के वितरण हेतु विद्यमान प्रबन्धों के अन्तर्गत मिलों से कपड़ा नेशनल कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव फैडरेशन द्वारा उठाए जाने और उसका आगे वितरण प्राथमिक सोसाइटियों के स्तर तक सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था है। उत्पादन का 10 प्रतिशत भाग मिलों की खुदरा दुकानों के माध्यम से भी बेचा जा सकता है। इन प्रबन्धों को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके नियंत्रित कपड़े के वितरण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं। इनके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित सप्लाई और निम्न आय वाले वर्गों के संबंध में विशेष रूप से बल देते हुए राशन कार्डों के आधार पर वितरण सुनिश्चित करने संबंधी प्रबन्ध भी शामिल हैं।

पांचवीं योजनावधि के दौरान ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार

2100. **श्री बसन्त साठे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करते समय सरकारी क्षेत्र के बैंक प्रादेशिक विषमताओं को समाप्त करने में असफल रहे हैं और तुलनात्मक रूप से पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बरित विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए इन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार का विशेष कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से सरकारी क्षेत्र के बैंकों का नीति विषयक एक उद्देश्य यह रहा है कि बैंकिंग सुविधाओं के मामले में क्षेत्रीय असमानता को दूर किया जाय। इस नीति के परिणामस्वरूप, देहाती इलाकों में बैंकों की शाखाओं की संख्या जो राष्ट्रीयकरण से पूर्व 1860 थी, जून 1974 के अन्त में बढ़कर 6175 हो गयी। सभी वाणिज्यिक बैंकों ने देहाती इलाकों में जो 4315 अतिरिक्त कार्यालय खोले उनमें से 3587 कार्यालय सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा खोले गये थे। एक अनुबन्ध संलग्न है जिसमें बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व और जून, 1974 के अन्त में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं और उनके अन्तर्गत आने वाली जनसंख्या के राज्यवार आंकड़े दिये गये हैं। **[पंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8155/74]** इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के अपेक्षाकृत कम बैंकों वाले राज्यों में बैंकों की शाखाओं के विस्तार में किस हद तक प्रगति हुई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे शाखा विस्तार की अपनी तीन वर्षीय 'रोलिंग' योजनायें बनाते समय देहाती और पिछड़े इलाकों पर खास ध्यान देने की अपनी नीति को जारी रखें।

बैंकों के लिये धन संसाधनों पर प्रतिबन्ध

2101. **श्री वसन्त साठे : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य वाणिज्यिक बैंकों के धन-संसाधनों पर प्रतिबन्ध के कारण इस समय उन्हें ब्याज पर देने के लिए धन की कमी महसूस हो रही है जिसके परिणामस्वरूप वाणिज्यिक क्षेत्र में कुछ ऋण प्राप्त कर्त्ताओं को ऋण नहीं मिल पा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) अर्थ-व्यवस्था में मुद्रास्फीति की वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में और जमा रकमों की वृद्धि के मामले में प्रवृत्तियों का ध्यान रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों की उत्पादन सम्बन्धी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार नियत मात्रा में बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों को नियन्त्रित करने के लिये अनेक उपाय किये हैं।

(ख) सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान ऋण नीति से सहमत है।

एण्ड्रयूल एण्ड कम्पनी

2102. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या एण्ड्रयूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड को अपने नियंत्रण में लेने के विचार से उसकी आस्तियों और पूंजीनिवेश की जांच के सम्बन्ध में इस बीच कोई प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : नेशनल इंडस्ट्रियल डेबलेपमेंटट कार-पोरेशन लिमिटेड ने जो भारत सरकार की अंडरटेंकिंग है, एन्ड्यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड की परि-सम्पत्तियों की और इस कम्पनी में लगायी गयी पूंजी की जांच कर ली है।

स्वनियोजित व्यक्तियों द्वारा आयकर अपवंचन को रोकने के लिए कार्यवाही

2103. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री एम० एम० जोजफ :
श्री पीलू मोदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में डाक्टर, वकील, ठेकेदार तथा अन्य वर्गों के अधिकतर स्वानियोजित व्यक्ति कर योग्य आय के बावजूद आयकर का अपवंचन करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इनके द्वारा किये जा रहे कर अपवंचन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) देश भर के आयकर आयुक्तों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार बहुत से पेशेवर व्यक्ति जो विभिन्न पेशों की संस्थाओं/संगठनों आदि में रजिस्टर्ड हैं, कर-निर्धारण नहीं करवा रहे हैं। लेकिन, यह भी उल्लेखनीय है कि उनमें से कुछ व्यक्तियों का कर-निर्धारण उन स्थानों से भिन्न स्थानों पर होता है जहां वे पेशेवर संस्थाओं के साथ रजिस्टर्ड हैं। इसके अतिरिक्त, इनमें से कुछ पेशेवर व्यक्तियों का कर-निर्धारण, वेतन-भोगी कर्मचारियों के रूप में, वेतन से प्राप्त आय के सम्बन्ध में किया जाता है।

(ख) आयकर आयुक्तों से कहा गया है कि वकीलों, डाक्टरों, चार्टर्ड लेखाकारों, वास्तुकारों, इंजीनियरों तथा ठेकेदारों जैसे स्वनियोजित व्यक्तियों के नाम तथा पते के बारे में आवश्यक सूचना एकत्रित करें और उनमें से कर लगने योग्य आमदनी वाले जो व्यक्ति अभी कर अदा नहीं कर रहे हैं, उनको कराधान के दायरे में लाने का अभियान चलावें। सर्वेक्षण कार्य में भी तेजी लाई जा रही है।

काफी के बीजों के निर्गम मूल्य में वृद्धि

2104. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काफी के बीजों के निर्गम मूल्य में वृद्धि करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो बढ़े हुए मूल्यों से संबंधित तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या काफी के मूल्य में और अधिक वृद्धि का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) काफी का उत्पादन बढ़ाने और चाय बागान की तरह काफी बागान लगाने एवं पुरानी झाड़ियों के स्थान पर नई झाड़ियां लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) श्रमिकों की मजदूरी तथा कुछ अन्तर्निविष्ट साधनों की कीमत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए काफी की पूल बिक्री के लिए रिजर्व कीमत को बढ़ाकर तब तक के लिए 4.25 रु० प्रति प्वाइंट कर दी गयी है। जब तक काफी की उत्पादन लागत का अध्ययन नहीं हो जाता।

(घ) काफी बोर्ड योजनायें चला रहा है, जिसके अन्तर्गत काफी उपजकर्ताओं को निम्नलिखित कार्यों के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता दी जाती है :—

1. गहन खेती;
2. किराया खरीद शर्तों पर उपस्कर तथा मशीनरी;
3. वार्षिक कार्यकारी पूंजी;
4. पुराने अलाभकारी काफी के पौधों वाले क्षेत्रों में पुनरोपण ; तथा
5. कुएं खोदना तथा अन्य विकासात्मक उपाय।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों में जमा राशि पर ब्याज की दर में वृद्धि

3105. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकरण के बाद से राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि पर ब्याज की दर में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो ब्याज की दर में की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है और वह वृद्धि किस तारीख से की गई ; और

(ग) क्या इस दर में और वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ताकि लोग बैंकों में अधिक धनराशि जमा करवायें ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों समेत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियों के ब्याज की दरों में जो वृद्धि हुई है, उसका ब्यौरा सलग्न अनुबन्ध में दिया गया । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8156/74]**

(ग) चूंकि वाणिज्यिक बैंकों ने कुछ वर्गों की जमा रकमों की ब्याज की दरें अभी हाल ही में अर्थात् 23 जुलाई, 1974 से बढ़ाई है, इसलिये इस समय ब्याज की दरें और बढ़ाने का कोई विचार नहीं है ।

दिल्ली में शुष्क पत्तन की स्थापना

2106. **श्री एस० एन० मिश्र**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में शुष्क पत्तन की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव के सन्दर्भ में तथा उसके लिए किये गये सर्वेक्षण पर कुल कितना खर्च हुआ; और

(ख) दिल्ली में शुष्क पत्तन की स्थापना कब तक की जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) चूंकि प्रस्ताव तैयार करने के लिए प्रमुख कार्य एक अन्तः मंत्रालय कार्यकारी दल द्वारा किया गया था, अतः इस प्रकार का कोई व्यय नहीं हुआ । किन्तु बाद में, विदेशी व्यापार के भारतीय संस्थान को अध्ययन का कार्य सौंपा गया था और उनके द्वारा 3000 रु० लिये जाने की आशा है ।

(ख) सरकार प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

होटलों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

2107. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के होटलों द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या इस स्रोत से अर्जित विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) इस स्रोत से विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि करने और उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी): (क) अप्रैल, 1973 से मार्च, 1974 तक की अवधि के दौरान निजी क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्र के होटलों ने 'रिजर्व बैंक आफ इंडिया' को 7.17 करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित की है ।

(ख) और (ग) पर्यटन विभाग में विदेशी मुद्रा के क्षरण (लीकेज) के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। 1972 से गैर-निवासियों द्वारा (छूट प्राप्त वर्गों को छोड़कर) होटल बिलों के अनिवार्य रूप से विदेशी मुद्रा में भुगतान की स्कीम के चालू किये जाने के परिणामस्वरूप होटलों से विदेशी मुद्रा की आय में काफी वृद्धि हुई है तथा इसके क्षरण (लीकेज) में बहुत कमी आ गई है। उक्त स्कीम के चालू किये जाने के समय से होटलों से विदेशी मुद्रा की आय की प्राप्ति लगभग 300 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

शत प्रतिशत निर्यात करने वाली फर्मों में अधिकांश विदेशी इक्विटी पूंजी लगाई जाना

2108. **श्री हरि किशोर सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शत-प्रतिशत निर्यात करने वाली फर्मों में अधिकांश विदेशी इक्विटी पूंजी लगाये जाने की अनुमति देने के बारे में कोई नीति-निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): (क) तथा (ख) शत प्रतिशत माल बाहर भेजने वाले यूनिटों में 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी शेयर पूंजी लगाने की अनुमति प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर ही दी जाती है। विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 की धारा 29 को लागू करने के निर्देशों के अनुसार शत-प्रतिशत माल बाहर भेजने वाले मौजूदा यूनिटों को भी अधिकांश विदेशी शेयर पूंजी बनाये रखने की अनुमति है। इस प्रकार पूंजी लगाये जाने के लिए अनुमति देते समय, तैयार की जाने वाली वस्तुओं की किस्म, निर्यात की मात्रा, निर्यात मूल्य और आयातित कच्चे माल के मूल्य के अन्तर, लाभांशों आदि के रूप में बाहर भेजी जाने वाली रकमों आदि जैसे पहलुओं पर मुख्य रूप से विचार किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कपड़े का वितरण

2109. **श्री मधु दंडवते :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में आम किस्मों के कपड़े का वितरण करने के लिए कोई कार्यवाही करें; और

(ख) यदि हां, तो नियंत्रित किस्मों के कपड़े के वितरण की व्यवस्था में जो अब तक नगरों तक ही सीमित थी यह परिवर्तन करने के लिए क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् कन्ट्रोल के कपड़े की बिक्री के सम्बन्ध में अभी हाल ही में सभी राज्य सरकारों को निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं :—

(1) राज्य का कोटा ऐसे ढंग से आवंटित किया जाना चाहिए कि ग्रामीण तथा उप-नगरीय क्षेत्रों की आवश्यकतायें पर्याप्त रूप से पूरी हो जायें।

(2) राशन कार्ड/घरेलू कार्ड आदि कन्ट्रोल के कपड़े की बिक्री के आधार पर बनाये जायें।

(3) कन्ट्रोल का कपड़ा उन लोगों को बेचा जाये जिसकी मासिक आय 400 रुपये से कम हो।

व्यवसायियों को आय-कर के घेरे में लाने के लिये पश्चिम बंगाल के आय-कर अधिकारियों द्वारा चलाया गया अभियान

2110. **श्री वरके जार्ज :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में आयकर अधिकारियों ने उन सभी लोगों को आय-कर के घेरे में लाने के लिये अभियान चलाया है जिन की आय कर देने योग्य है विशेषकर स्वनियोजन वर्ग में जिसमें व्यापारी और व्यवसायी लोग शामिल हैं ;

(ख) क्या उक्त विभाग का विचार जानकारी एकत्र करने के लिये और नये करदाताओं का पता लगाने के लिये आगामी मास से विभिन्न क्षेत्रों में घर-घर जा कर सर्वेक्षण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों में भी आय-कर अधिकारियों को इस प्रकार के निदेश जारी करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) नए कर-निर्धारितियों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिये घर-घर जाकर विशेष सर्वेक्षण का काम इस महीनें के मध्य से शुरू होगा ।

(ग) सभी आयकर आयुक्तों को हिदायतें जारी की जा चुकी हैं कि वे कर लगाने योग्य आमदनी वाले व्यक्तियों को, खासतौर पर व्यापार तथा व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को कराधान के दायरे में लाने का अभियान चलायें ।

राज्यों को वित्तीय सहायता

2111. **श्री मुरासौली मारन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों को पूरा करने के लिये अनेक राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता देने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(ग) उन मांगों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल ने अपने पिछले वर्ष के बजट के घाटे को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है । उनको यह सूचित कर दिया गया है कि उनके अनुरोध को स्वीकार करना सम्भव नहीं है ।

सरकारी क्षेत्र में स्थित संयंत्रों की क्षमता

2112. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र में कुल कितने निर्माण करने वाले एकक हैं ;

(ख) सरकारी क्षेत्र में सभी निर्माणाधीन एककों के नाम तथा क्षमता क्या हैं, कितने एकक अपनी क्षमता से 50 प्रतिशत कम काम कर रहे हैं, अपनी क्षमता का, 50-75 प्रतिशत उपभोग करने वाले

एककों के नाम क्या हैं, अपनी क्षमता का 75 प्रतिशत उपयोग करने वाले एककों के नाम क्या हैं और ऐसे एककों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपनी क्षमता का उल्लेख नहीं किया है; और

(ग) इन एककों द्वारा अपनी पूरी क्षमता का उपयोग न करने के एकक-वार क्या कारण हैं और उन्हें अपना उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने में कितना समय लगेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :(क) 1973-74 में 104 निर्माणकारी एकक थे ।

(ख) 1973-74 से सम्बन्धित सूचना अनुबन्ध में दी गई है । [**ग्रंथालय में रखा गया / देखिये संख्या एल० टी० 8157/74**]

(ग) क्षमता के उपयोग में कमी के प्रमुख कारण अधिकांश एककों में एक जैसे ही थे, जैसे :—

(1) श्रमिक अशान्ति ।

(2) श्रमिक उत्पादकता में कमी ।

(3) कच्चे माल का अभाव और घटियापन ।

(4) उपस्कर की बनावट में खराबियां और कमियां ।

(5) बिजली की कमी और बिजली चले जाना ।

(6) अनुरक्षण के लिये काम बन्द रखने का समय अधिक होना ।

(7) कुछ मामलों में मांग की कमी होना ।

(8) जटिल इंजीनियरी संयंत्रों में आधुनिकतम उपस्कर और प्रक्रियाओं के लिये आवश्यक क्रियात्मक और तकनीकी कौशल विकसित करने तथा डिजाइन निखारने और उत्पादन बढ़ाने वाली अन्य सेवाएं स्थापित करने में समय लगना ।

सरकार प्रबन्धकीय और परिचालन सम्बन्धी तकनीकों में सुधार करके, उत्पाद-मिश्रण में विविधता लाकर, प्रोत्साहनों और प्रशिक्षणों के द्वारा श्रमिक उत्पादकता बढ़ाकर, श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच और अधिक सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाकर, अनुरक्षण को बेहतर बनाकर तथा निर्यात के लिये और अधिक प्रयास करके क्षमता के उपयोग में सुधार करने पर विशेष ध्यान दे रही है । इन उपायों के फल प्राप्त होने लगे हैं और 1973-74 के दौरान बहुत सी कम्पनियों का कार्य पहले से काफी अच्छा रहा ।

इंडियन एयरलाइन्स में रोजगार संबंधी जालसाजी

3113 **श्री मधु दंडवते :**

श्री धनशाह प्रधान :

श्री पीलू मोदी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स रोजगार संबंधी जालसाजी के संबंध में एक महिला कार्मिक अधिकारी सहित इण्डियन एयरलाइंस के चार वरिष्ठ अधिकारी गिरफ्तार किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के समाचारों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने इंडियन एयरलाइंस के चार अधिकारियों के विरुद्ध कथित छल-कपट, जाल-साजी तथा आपराधिक षडयन्त्र करने के सम्बन्ध में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 468, 471 तथा 120-ख के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया है । उन्हें 24 जुलाई, 1974 को गिरफ्तार किया गया था तथा बाद में बेल पर छोड़ दिया गया था। पुलिस द्वारा छानबीन का कार्य जारी है । सभी चारों अधिकारी मुअत्तल हैं।

बैंक आफ बड़ौदा एम्पलाइज फेडरेशन के प्रतिनिधियों और बैंक आफ बड़ौदा के प्रबन्धकों के बीच हुए समझौते का क्रियान्वित किया जाना

2114. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में अल्पसंख्यक संघों के साथ परामर्श के सम्बन्ध में बैंक आफ बड़ौदा फैडरेशन के प्रतिनिधियों, बैंक आफ बड़ौदा कर्मचारियों की समन्वय समिति और बैंक आफ बड़ौदा के प्रबन्धकों के बीच हुए समझौते को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : अल्पसंख्यक यूनियनों की क्या भूमिका हो इस बारे में ऐसी कार्य प्रणाली तैयार करने का प्रबन्ध किया जा रहा है जो 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की सभी यूनियनों और इन बैंकों के प्रबन्धकों को मंजूर हो । इसके लिये पहला कदम जो उठाया गया है वह यह है कि श्रम मंत्रालय ने 3 अप्रैल, 1974 को राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्धकों और बैंकिंग क्षेत्र के सैण्ट्रल ट्रेड यनियनों के संगठनों की एक प्रारम्भिक बैठक का आयोजन किया ।

ओवरड्राफ्ट को दीर्घावधि ऋण में बदलने के लिए केरल सरकार से अनुरोध

2115. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य को होने वाली वर्तमान वित्तीय संकट को दूर करने के लिये उसके द्वारा लिये गये ओवरड्राफ्ट को दीर्घावधि ऋण में बदला जाये; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार को बता दिया गया है कि उन्हें ऐसा ऋण देना सम्भव नहीं होगा और राज्य सरकार को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये अपने आप ऐसे उपाय अपनाने चाहिये जैसे खर्च में कमी करना और अतिरिक्त साधन जुटाना आदि ।

चीनी के निर्यात के बारे में निर्णय लेने में विलम्ब

2116. **श्री पीलू मोदी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निर्णय लेने में विलम्ब के परिणामस्वरूप, कि क्या चीनी का निर्यात राजकीय व्यापार निगम द्वारा होना चाहिये अथवा प्रत्यक्ष भारतीय चीनी उद्योग निर्यात निगम द्वारा होना चाहिये, कई करोड़ रुपयों की हानि हुई है; और

(ख) यदि हां तो इसके परिणामस्वरूप वास्तविक रूप में कितनी हानि हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

निदेशक बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधि को पुनः नामजद करने के बारे में यूनियन बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच विवाद

2117. **श्री मधु लिमये:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निदेशक बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधि के रूप में श्री गोडीवाला को पुनः नामजद करने के बारे में यूनियन बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच विवाद है;

(ख) क्या यूनियन ने यह मांग की है कि उनके स्थान पर यूनियन के जनरल सैक्रेटरी श्री बुगवाडिया को रखा जाय; और

(ग) यदि हां, तो उक्त विवाद पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : **(क) से (ग)** : बोर्ड के निदेशकों की नामजदगी या उनकी दुबारा नामजदगी जिसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की नामजदगी भी शामिल है, केन्द्रीय सरकार द्वारा बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अन्तर्गत बनायी गयी योजना के उपबन्धों के अनुसार की जाती है । इसलिये बोर्ड में की जाने वाली नामजदगी के सम्बन्ध में किसी बैंक के प्रबन्धकों तथा उसके कर्मचारियों के बीच कोई विवाद होने का सवाल ही नहीं होता । सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के नामजद निदेशकों के कार्यालय की एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के अवसर पर सरकार ने दिसम्बर 1973 में एक नीति बनायी कि सभी नामजद निदेशकों का कार्यकाल जिनमें वे निदेशक भी शामिल हैं जो बैंक के ऐसे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कामगर नहीं हैं, दो साल के लिये और बढ़ा दिया जाय । यूनियन बैंक सहित सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू होने वाली इस नीति को देखते हुए, सरकार ने यूनियन बैंक आफ इंडिया आफिसर फैडरेशन के उस सुझाव पर कोई ध्यान देना उचित नहीं समझा जो उन्होंने दो नामों वाली अपनी सूची में से एक को इस अनुमान के आधार पर नियुक्ति करने के लिये दिया था कि दिसम्बर, 1973 में श्री एस० बी० गोदीवाला का कार्यकाल समाप्त होने पर नयी नियुक्ति की जायेगी ।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में अनुत्पादक व्यय

2118. **श्री पी० गंगादेव:**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सरकार से राजकोषीय और मुद्रा संबंधी नीतियों को पुनर्निर्धारित करने का अनुरोध किया था जिसमें विलास वस्तुओं के उत्पादन और खपत पर रोक लगाई जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने भी सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में अनुत्पादक व्यय को रोकने के लिये अनेक नीतियों का सुझाव दिया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) सरकार की यही नीति रही है कि अपनी विभिन्न प्रशासकीय, वित्तीय और मुद्रा सम्बन्धी नीतियों के माध्यम से विलास की वस्तुओं के उपभोग और उत्पादन पर रोक लगायी जाय । एक के बाद एक दूसरे बजट से यह बात और भी साबित हो जाती है कि विलास की वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क और आयात शुल्क दोनों ही के द्वारा अतिरिक्त कर लगाया गया है इसके अलावा औद्योगिक लाइसेंस नीति, आयात और विदेशी मुद्रा निर्धारण नीति आदि सरकार द्वारा नियंत्रण करने की व्यवस्था और सावधिक ऋण संस्थाओं द्वारा रुपया लगाने की नीतियों में रद्दोबदल किया गया है जिससे यह उद्देश्य प्राप्त किया जा सके । यह नीति पांचवीं आयोजना के मसौदे में की गयी सिफारिशों के अनुरूप है । औद्योगिक लाइसेंस नीति, आयात नीति और चयनात्मक ऋण नियंत्रण को इसी दृष्टि से बनाया जाता है ताकि विलास की वस्तुओं के उत्पादन पर रोक लगाई जा सके और दुर्लभ साधनों को आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने के काम में लाया जा सके।

पंजाब में ऊनी उद्योग में संकट

2119. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऊनी उद्योग में विशेषकर पंजाब के लघु एककों में भारी संकट की स्थिति पैदा हो गई है ;

(ख) क्या उनमें से अधिकांश बन्द होने की स्थिति में हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) कुछ एककों के कार्यकरण पर 1973 में अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में ऊन की ऊंची कीमतों के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा । इस स्थिति के सुधरने की आशा है क्योंकि ऊन की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें गिर रही हैं ।

(ख) ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार की जानकारी में नहीं आई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Prices of Copper Manganese and Mica imported by S.T.C.

2120. **Shri Phool Chand Verma**: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of the countries from which copper, manganese and mica were imported by the State Trading Corporation during the last three years indicating the rate at which imported; and

(b) the rates at which these goods were sold to the consumers in the country during the same peiod ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George): (a) & (b) During this period no imports of mica were made; high grade manganese ore was imported from Ghana and copper from Zambia, Zaire, U.K., USA, USSR, Peru, Japan and Canada The sale price and imported price of copper and manganese ore was as under: —

Rs. per MT.

COPPER	1971-72	Imported price (C.I.F.)	Actual Users	Sale Price	
				REP	AU(P)
COPPER	1st April, '71 to 30th June, '71	8500	10930 13520* (* revised from 29-5-71)	.. —	10770 13325*
	1st July, '71 to 30th Sept, '71	9000	13910	13710	(Export units)

	1st Oct. '71 to 31st Dec. 71	8400	13800	13060	1315
	1st Jan. '72 to 31st March '72	8230	14300	13160	1380
	1972-73				
	April-June '72	8750	15000	13790	13880
	July-Sept. '72	8140	14250	12905	12990
	Oct. -Dec. '72	8300	14250	12980	13105
	Jan-Feb '73	8300	14250	12850	12980
	March '73	9730	16780	16135	16280
	1973-74				
	April-June '73	11400	19095	18620	18890
	July-Sept. '73	12730	21090	20590	20880 (up to 24-8-73)
	Oct-.Dec. '73	15523	25755	24810	25150 w.e.f. 25-8-73
	Jan-March '74	18050	29560	28875	28950
HIGH GRADE MANGANESE ORE:	1971-72	601	646	One high seas basis.	
	1972-73	550	On high 591		
	1973-74	630	677		

Export of Ores

2121. **Shri Jagannathrao Joshi :**

Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the quantity of iron, nanganese and chromite ores exported, separately to foreign countries, country-wise, during the last three years, year-wise ;

(b) whether the export of these ores have declined; and

(c) if so, the reasons therefor and the action taken by Government in this regard

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George):(a) A statement is attached. [Placed in Library See No. L.T. 8158/74]

(b) & (c) Exports of iron ore and chromite have increased. Exporter of manganese ore have declined in accordance with Government's policy to restrict the export of this item.

सरकारी उपक्रमों में व्यय को कम करने के उपाय

2122. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** : क्या **वित्तमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान आर्थिक संकट का सामना करने के लिये सरकारी उपक्रमों में होने वाले व्यय को कम करने के क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर सरकार ने सरकारी उपक्रमों के खर्च में कमी करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) मजदूरी और उपान्त लाभों में कोई बढ़ोतरी करने से पहले सरकार की मंजूरी लिए जाने की शर्त द्वारा मजदूरी पर नियंत्रण ।

(2) कार्येतर इमारतों के नर्माण पर प्रतिबंध ; कार्यात्मक इमारतों के निर्माण के लिए अस्थायी विशिष्टियों का अपनाया जाना ।

(3) पेट्रोल, तेल और चिकनाई के तेल (लुब्रिकेन्टस) की खपत में कड़ाई से किफायत बरतना ।

(4) यात्रा सम्बन्धी खर्च में कटौती

(5) 6 महीने से अधिक समय से रिक्त पड़े हुए पदों का भरना स्थगित किया जाना ।

(6) मकान बनाने हेतु ऋण देना आस्थगित किया जाना ।

(7) सम्मेलनों, संगोष्ठियों, बैठकों आदि में पूरी मितव्ययता बरतना ।

(8) नवीकरण और मरम्मत कार्यों पर खर्च में कड़ाई से किफायत बरतना ।

(9) विदेशों के दौरों पर प्रतिबंध ।

(10) तालिकागत सामान में कमी, और

(11) विलम्ब शुल्क पर नियंत्रण ।

स्टैनलैस स्टील के आयात की अनुमति

2123. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) बाबा इंडस्ट्रीज, मैसर्स एण्ड मैसूर स्टील एण्ड सीमैटो शोर ट्डर्स को वर्ष 1971 से 1973 तक की अवधि में निर्यात और आयात मुख्य नियंत्रक ने मूलत: कितनी कीमत के स्टेनलैस स्टील का आयात करने की अनुमति दी ;

(ख) क्या बाद में प्रत्येक सम्बद्ध कम्पनी के मामले में आयात-मूल्य में वृद्धि की गई और यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) उक्त वृद्धियां किस अधिकारी ने की और वृद्धियां करने के क्या कारण थे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क) तथा (ख) आयात तथा निर्यात के के मुख्य नियंत्रक के प्रधान कार्यालय ने 1971-73 की अवधि के दौरान केवल दो फर्मों अर्थात् मैसर्स बाबा इन्डस्ट्रीज और मैसर्स सी शोर टेडर्स के संबंध में लाइसेंस दिये जाने के लिए स्टैनलैस स्टील का मूल्य निर्धारित किया था । जो मूल्य निर्धारित किये गए वे थे :—

(i) मैसर्स बाबा इन्डस्ट्रीज—7,72,479 रु० और (ii) सीशोर टेडर्स —6,03,598 रु० । मैसर्स मैट्रो इन्डस्ट्रीज और मैसर्स मैसूर स्टील इन्डस्ट्रीज के संबंध में कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया गया था । परन्तु, लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को इस आशय के अनुदेश जारी किये गए थे कि उनकी हकदारियां किस ढंग से निर्धारित की जानी चाहिए। लाइसेंसिंग प्राधिकारियों ने हकदारी निम्नलिखित अनुसार निर्धारित की :—

(ii) मैसर्स मैट्रो इन्डस्ट्रीज—4,30,084 रु० और (ii) मैसर्स, मैसूर स्टील इन्डस्ट्रीज—1,81,806 रु० । लाइसेंसों के मूल्य में वृद्धि करने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारियों से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, ऐसी बाद की अवधियों के लिए, जो कि उल्लिखित लाइसेंसों से कवर नहीं हुई, फर्में नीति के अनुसार चार्टर्ड लेखाकार के प्रमाण पत्र के साथ खपत के आधार पर लाइसेंसों के लिए आवेदन कर सकती हैं । बाद में जारी किये गए लाइसेंसों के मूल्य संबंधी जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) लाइसेंसिंग प्राधिकारियों से अपेक्षित जानकारी प्राप्त होने के बाद, यदि प्रथम लाइसेंसों के जारी किये जाने के बाद कोई वृद्धि की गई होगी तो उसके कारणों को दर्शाने वाला विवरण भी सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

खाड़ी के शैखराज्यों को चावल की तस्करी रोकने के लिये कार्यवाही

2124. **श्री माधुर्य्य हालदार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री नौकाओं द्वारा खाड़ी के शैख राज्यों को बड़े पैमाने पर बासमती चावल की तस्करी के समाचार प्राप्त हुये है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त तस्करी को रोकने के लिये यदि कोई उपाय किये गये हैं, तो वे क्या हैं ;

(घ) क्या नौसना मुख्यालय ने तस्करों को पकड़ने के लिये 1967 में तट-गार्ड सेना बनाने की एक योजना तैयार की थी ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या नौसेना मुख्यालय द्वारा तैयार की गई पूरी योजना को बाद में त्याग दिया गया था ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) बासमती चावल की खाड़ी शैख-राज्यों को तस्करी के बारे में सरकार ने किसी भी सीमाशुल्क कार्यालय से कोई सूचना प्राप्त नहीं की है ।

(ग) माल के अवैध निर्यात, जिसमें खाद्यान्न भी शामिल हैं, को रोकने और देश में माल के तस्कर आयात पर निगरानी रखने के लिए गुजरात तथा महाराष्ट्र के समुद्र-तटों के साथ-साथ नौ-सेना के अधिकाधिक सहयोग की मांग की जा रही है ।

नौसेना की सहायता के अतिरिक्त संबंधित प्राधिकारियों द्वारा खाद्यान्न आदि के अवैध निर्यात को रोकने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय किऐ जा रहे हैं।

राज्य सरकारों ने, जो खाद्यान्न को राज्यों से बाहर ले जाए जाने से संबंधित हैं, खाद्यान्नों तथा दालों आदि की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस प्राधिकारियों तथा पत्तनों के निदेशों को सर्तक कर दिया है । राज्य पुलिस ने, दक्षिण गुजरात के समुद्रतट के समीप, कुछ चुंगी चौकियां भी खोल दी हैं। सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को भी उस प्रकार की तस्करी के बारे में सर्तक कर दिया गया है । खाद्यान्नों तथा दालों के अवैध निर्यात में लगे किसी भी जलयान को मार्ग में रोक देने के लिए दिये गये निर्देशों के अलावा, समुद्र-तट के समीप अवैध निर्यात के लिए जमा किये गये खाद्यान्न तथा दालों के बारे में गुप्त सूचना एकत्र करने के लिए भी अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दे दिये गये हैं । छोटे-छोटे पत्तनों के कार्यभारी अधिकारियों को भी हिदायतें जारी की गई हैं कि वे इन वस्तुओं के समुद्रतट पर लाए ले जाए जाने पर कड़ी निगरानी रखे जिससे सुनिश्चित हो सके कि वे वस्तुएं संदेहास्पद रूप से भारत से बाहर नहीं ले जाई जा सकें ।

(घ) और (ङ) जी, नहीं । नौसेना प्रधान कार्यालय ने तस्कर-व्यापारियों को पकड़ने के लिए समुद्रतट रक्षा सेवा की कोई योजना पेश नहीं की । तथापि, 1969 में नौसेना प्रधान कार्यालय ने, सीमा-शुल्क विभाग के अनुरोध पर, भारत के पश्चिमी समुद्रतट पर तस्करी-विरोधी कार्य में उडन-जल नौका (होवर क्राफ्ट) के उपयोग के बारे में एक रिपोर्ट पेश की थी । इस रिपोर्ट पर उच्च-शक्ति प्राप्त अध्ययन दल द्वारा विचार किया गया था, जिसका गठन, तस्करी-विरोधी कार्यकलापों के लिए विभिन्न प्रकार की नौकाओं जिसमें उड़न-जल नौका भी शामिल है, को प्राप्त करने पर विचार करने और उसके संबंध में सरकार को सलाह देने के लिए किया गया था । अध्ययन दल उड़न-जल-नौका के उपयोग के पक्ष में नहीं था जिसके विभिन्न तकनीकी करण थे—जैसे इसके रख-रखाव की जटिलता, चालक तथा रख-रखाव के कर्मीदल के लिए विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता, उच्च दाव वायु की स्थितियों में सीमित स्थिति परिवर्तन क्षमता, निम्न सामर्थ्य कुछ स्थितियों में सीमित गति, आदि और फिलहाल परंपरागत उच्च गति वाले सतही यानों का उपयोग किये जाने की सिफारिश की । अध्ययन दल की सिफारिशों पर आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ।

कोचीन सीमा शुल्क विभाग द्वारा पुरानी मशीनों के आयात के मामलों का पता लगाना

2125. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में कोचीन सीमा शुल्क विभाग द्वारा पुरानी मशीनों के कथित आयात के कितने मामले पकड़े गये ;

(ख) स्थानीय न्यायधिकारियों द्वारा कितना जुर्माना लगाया गया ; और

(ग) कितने मामलों में निम्न स्तर पर किये गये न्यायनिर्णणों का वित्त मंत्रालय/केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड/भारत सरकार द्वारा निराकरण किया गया अथवा उनमें संशोधन किये गये और इसके पारिणामस्वरूप कितनी धनराशि वापिस लौटाई गई अथवा दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वर्ष 1972-73 तथा वर्ष 1973-74 में प्रत्येक वर्ष एक-एक ऐसे मामले हुए हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि नयी मशीनरी के आयात के लिये वैध लाइसेंसों पर पुरानी मशीनरी का अयात किया गया है ।

(ख) वर्ष 1972-73 में मैसर्स तौशिवा आनन्द लैम्प्स लिमिटेड कोचीन पर माल छुड़ाने के विकल्प में 4 लाख रु० का जुर्माना लगाया गया तथा एक लाख रु० का व्यक्तिगत दंड लगाया गया और वर्ष 1973-74 में मैसर्स आटो कार्पेट एलेप्पी पर माल छुड़ाने के विकल्प में 3,700.00 रु० का जुर्माना लगाया गया ।

(ग) मैसर्स तौशिबा आनन्द लैम्प्स लिमिटेड कोचीन द्वारा दायर की गई अपील को केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड द्वारा एक तकनीकी दल की जांच रिपोर्ट के आधार पर, स्वीकार कर लिया गया और एतदनुसार उक्त जुर्माना तथा दंड पूर्णतया वापस कर दिया गया ।

बेगमपेट हवाई अड्डे पर विमानचालक द्वारा बोईंग 737 विमान का लापरवाही से उतारा जाना

2126. **श्री विश्वनाथ झुझंनवाला** : क्या **पर्यटन और नगार विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 अप्रैल, 1974 को बेगमपेट हवाई अड्डे पर उतरते समय इंडियन एयरलाइन्स का बोईंग–737 विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल-बाल बचा था ;

(ख) क्या ऐसा विमान चालक की लापरवाही के कारण हुआ, जिसने सहविमानचालक की सलाह की उपेक्षा की थी और बेगमपेट हवाई अड्डे के अधिकारियों ने भी इस मामले पर उचित ध्यान नहीं दिया था ; और

(ग) क्या इस मामले की उच्च-स्तरीय जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या निकले ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) 12-4-74 को दिल्ली से आई० सी०-403 सेवा का परिचालन करते हुए बोईंग 737 वी० टी०-ई० ए० आई० ने हैदराबाद विमानक्षेत्र पर अवतरण के लिए ऊंची एवं तेज 'एप्रोच' की तथा धावनपथ के मध्य भाग के आगे जाकर स्पर्श किया । कैप्टेन ने जब यह देखा कि धावनपथ की अपर्याप्त लम्बाई की वजह से विमान ठहराना संभव नहीं हो सकेगा तो वह विमान को पुनः ऊपर वायु में ले गया और तत्पश्चात् सुरक्षित अवतरण । किया ।

(ग) घटना की जांच की जा रही है तथा जांच पूरी हो जाने पर समुचित कार्रवाई की जाएगी ।

विदेशों द्वारा सहायता रोका जाना

2127. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका, कनाडा और जापान ने इस बारे में रोक लगा दी है कि भारत उन देशों से आर्थिक सहायता नहीं ले सकता ; और

(ख) यदि हां, तो देश में पहिले ही से प्रारम्भ की जा चुकी विकास परियोजनाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सिर्फ कनाडा ने परमाणु ऊर्जा विकास के क्षेत्र में सहायता देना स्थगित किया है । लेकिन वह उर्वरकों, अनाज और कृषि विकास के क्षेत्रों में भारत को बराबर सहायता देता रहेगा । कनाडा की सरकार ने यह सूचित किया है कि सभी प्रस्तावित परियोजनाएं, जिनके लिए मौजूदा श्रण करारों के अन्तर्गत कनाडा से धन प्राप्त किया जाना है, कनाडी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (कनेडियन इण्टरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी) को जांच के लिए भेजी जाये । किसी और देश ने सहायता बंद करने या सहायता में कटौती करने का कोई इरादा जाहिर नहीं किया है ।

(ख) देश में जिन विकास परियोजनाओं को पहले हाथ में ले लिया गया है उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

पड़ोसी देशों से भारत में मादक पदार्थों का चोरी छिपे लाया जाना

2128. **श्री नवल किशोर शर्मा** :
श्री वसंत साठे :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आसूचना विभाग के निदेशालय द्वारा हाल ही में बम्बई में हुई नार्थ-वैस्ट जोन नारकोटिक्स काग्रेस में इस बारे में दिये गये विवरण की ओर दिलाया गया है कि पड़ौसी देश भारत में वीर जातियों की बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं ताकि यह देश सैनिक दृष्टि से कमजोर हो जाये ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जहां से ये पदार्थ चोरी छिपे भारत में लाये जाते हैं ; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रायल में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा **(ख)** जी, हां । बम्बई में आयोजित उत्तर-पश्चिमी जोन नारकोटिक्स सम्मेलन में राजस्व गुप्त सूचना निदेशालय के एक प्रतिनिधि ने यह आशंका व्यक्त की थी कि सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों में नशीले पदार्थों का व्यसन पैदा करने की दृष्टि से पाकिस्तान के साथ लगी सीमा के पार से नशीले पदार्थों का तस्कर-आयात किया जा रहा था । लेकिन, इस आशंका की पुष्टि न तो सीमा स्थलों पर नशीले पदार्थों के अभिग्रहण में हुई किसी भी उल्लेखनीय वृद्धि से की जा सकती है और न ही अन्दरुनी स्थलों के मुकाबले सीमावर्ती जिलों में नशीले पदार्थों के अपेक्षाकृत अधिक व्यसन से की जा सकती है ।

(ग) भारत में नशीले पदार्थों के तस्कर-आयात को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(i) सूचना का पारस्परिक आदान-प्रदान करने के लिए और तस्कर-व्यापार को रोकने के लिए प्रभावी उपाये खोज निकालने के लिए सीमाशुल्क विभाग, नारकोटिक्स विभाग, राज्य पुलिस, राज्य आबकारी विभाग और सीमा-सुरक्षा दल के अधिकारियों के बीच बार-बार उच्चस्तरीय बैठकें आयोजित करना ;

(ii) तस्कर-व्यापार विरोधी कार्यों में लगे अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए जोरदार कार्यक्रम तैयार किया गया है । इसके अलावा, सीमाशुल्क प्राधिकारी महत्वपूर्ण स्थलों पर बार-बार यातायात की जांच, "नाकाबंदी" और सड़क में रुकावट पैदा करते हैं । सीमा पर सेना तथा सीमा-सुरक्षा दल की तैनाती से तस्कर-व्यापार को रोका जाता है ।

आयकर विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना

2129. **श्री समर गुह :**

श्री पीलू मोदी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक्टर, वकील, इंजीनियर, ठेकेदार, गैर-सरकारी ट्रांसपोर्ट कम्पनियां अथवा गैर-सरकारी ट्रांसपोर्ट वाले अलग-अलग व्यक्ति अधिक क्षेत्रफल भूमि वाले किसान, व्यापार तथा व्यवसाय में लगे फुटकर व्यापारी काफी सीमा तक आयकर विवरणियां प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो स्वनियोजित व्यक्तियों की अलग-अलग श्रेणियों में तथा पंजीकृत अथवा गैर-पंजीकृत कम्पनियों में करापवंचन करने वालों के राज्यवार, ठीक-ठीक आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) कुछ ही दिनों पूर्व किये गये सर्वेक्षण तथा अन्य उपायों के कारण करदाताओं की संख्या में सतत वृद्धि हुई है । फिर भी यह विश्वास किया जाता है कि बहुत से स्वनियोजित व्यक्ति अपनी [illegible] विवरणियां दाखिल नहीं करते हैं । इसलिए आयकर

आयुक्तों को कहा गया है कि वे सभी स्वनियोजित व्यक्तियों का विशेष सर्वेक्षण करने का अभियान चलायें तथा उनमें से कर लगने योग्य आमदनी वाले जो व्यक्ति अभी कर अदा नहीं कर रहे हों, उन को कराधान के दायरे में लाएं ।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है ।

स्थगत प्रस्ताव

MOTION FOR ADJOURNMENT

(अनुमति का न दिया जाना)

कांग्रेस पार्टी के युवा विंग द्वारा आयोजित रैली में सरकारी तन्त्र का कथित दुरुपयोग

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि मुझे श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्थगन-प्रस्ताव की निम्नलिखित सूचना मिली है ; "सत्ता रूढ़ दल के युवा संगठन द्वारा आयोजित रैली को निम्न प्रकार से सहायता देने के लिए सरकारी तंत्र के स्पष्ट दुरुपयोग से उत्पन्न गम्भीर स्थिति पर चर्चा करना :

(i) कागज की इस कमी की स्थिति में 30,000 रुपये से अधिक लागत के कीमती कागज के 2 लाख फोल्डरों का सूचना और प्रसारण मंत्रालय के श्रव्य-द्रश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से छापा जाना ।

(ii) आल इंडिया रेडियो पर पक्षपातपूर्ण समाचार प्रसारित करना ।

(iii) राज्य सरकारों को यह अनुदेश जारी करना कि जो लोग रैली में सम्मिलित होने के लिए आयें, उनका व्यय राज्य सरकार वहन करे ।"

इस पर यह निर्णय लेने से पूर्व कि यह सभा में उठाया जा सकता है अथवा नहीं, मैं इस पर मंत्री महोदय के विचार जानना चाहूंगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: (Gwalior): Mr. Speaker, Sir, you may listen us till the hon. Minister comes. I said therein that instructions by the Central Government have been issued to State Governments to bear the expenses of those young persons who come to join the rally. In support of this statement I would like to quote a notice issued to each student by the Principal of Atma Kumar Sabha Higher Secondary School, Patiala:

> "A youth rally will be held at Delhi on 9-8-74. The District Education Department likes the students to participate in it. The department will bear all types of expenses."

Such notices were issued in Punjab. Notices were issued to truck drivers in Haryana that they should take the youths to Delhi without charging fare from them. Such Reports have been received from Madhya Pradesh also. We have no objection to such rallies being arrange but we highly object the way in which Government machinery is being misused for this purpose.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपने मंत्री महोदय को श्री वाजपेयी के स्थगन प्रस्ताव के नोटिस का उत्तर देने के लिए बुलाया है । आप किस नियम के अन्तर्गत ऐसा कर रहे हैं । ऐसा करना अनियमित है । इस पर आप स्वयं निर्णय लें और माननीय सदस्य से कहें कि वह सभा की अनुमति लें ।

सभापति महोदय : मैं मंत्री महोदय से इस बारे में तथ्य जानना चाहता हूं चूंकि उससे सरकार पर कुछ आरोप लगाये गये हैं इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वे कहां तक सच है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: The Minister can tell about the folder printed by D.A.V.P. but he cannot tell about the instructions issued to the State Governments. For this, you will have to ask the Home Minister.

अध्यक्ष महोदय : मुझे तथ्यों के बारे में तो आश्वस्त होना है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियमों में कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसके अन्तर्गत मंत्री महोदय ऐसा वक्तव्य दे सकें ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : इसके लिए आपको विनिर्णय देना होगा कि भविष्य में भी ऐसा हुआ करेगा । वैसे आपको मंत्री से अपने कक्ष में विचार-विमर्श करना चाहिए था, और यहां अपना निर्णय दे देते ।

अध्यक्ष महोदय : "जहां मामला स्पष्ट न हो और जहां अध्यक्ष को सूचना से संबंधित तथ्यों की जानकारी न हो, वहां वह प्रस्ताव के प्राप्त होने की सूचना दे सकता है....।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह आप 'हैंड बुक' से उद्धृत कर रहे हैं और इससे उद्धरण नहीं दिया जाता । सदस्यों को भी इससे उद्धरण देने की अनुमति नहीं है ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है कि एक सुस्थापित परम्परा को छोड़ा जा रहा है । यदि आप इस पर मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिए कहते हैं तो यह सभा का एक विषय बन जाता है और उस पर प्रत्येक को बोलने का अधिकार होता है । अतः कोई सूचना स्वीकार्य है अथवा नहीं, यह निश्चय आपको अपने कक्ष में करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आपको यह पता होना चाहिए कि यह हमारे अपने ही समाचार–भाग II, 1959 में प्रक्रिया पर आधारित है । 31 अगस्त, 1959 के इस समाचार में स्थगन प्रक्रिया के बारे में यह उल्लेख है और इस बारे में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा विभिन्न दलों अथवा ग्रुपों के नेताओं और प्रतिनिधियों की 19 सितम्बर, 1958 को हुई बैठक में निर्णय लिया गया था । 19 अगस्त, 1969 को अध्यक्ष द्वारा इसकी घोषणा की गई थी । यह मेरा विनिर्णय नहीं है । यह सभी दलों का निर्णय है और इसका तभी से पालन होता आ रहा है । नियमों के अतिरिक्त, सभा का कार्य कुछ परम्पराओं, परिपाटियों और पारस्परिक समझौतों के आधार पर भी चलता है । यह एक परम्परा है जिसका पालन हम करते आ रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 56 में स्थगन प्रस्ताव के बारे में स्पष्ट प्रक्रिया है कि अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी भी निश्चित विषय पर चर्चा के प्रयोजन से सभा में अध्यक्ष की अनुमति से, स्थगन प्रस्ताव को लाया जा सकता है । ऐसे प्रस्ताव की सूचना उस दिन सभा की कार्यवाही आरम्भ होने से पहले देनी होती है । इस नियम में यह उल्लेख कहीं नहीं है कि इस पर मंत्री को वक्तव्य देने के लिए बुलाया जा सकता है । मैंने बहुत से स्थगन प्रस्ताव दिये हैं, परन्तु मंत्री को कभी भी वक्तव्य देने के लिए नहीं कहा गया । ऐसा आज पहली बार किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नियम की यह व्याख्या स्वीकार्य नहीं है । आप बैठ जायें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि आप मेरी बात नहीं सुनते, तो मैं इसका विरोध करता हूं ।

Shri Madhu Limaye (Banka): Sir, you want to hear the Minister. But you should hear us also before disallowing our notices. Injustice should not be done to us.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने उस निर्णय का जिक्र किया है ो किसी बैठक में लिया गया था । उसके बाद कई बार नियमों में संशोधन किया गया परन्तु उनमें इस निर्णय को सम्मिलित नहीं किया गया । ऐसी स्थिति को नियम माना जायेगा या किसी बैठक का निर्णय । दूसरे क्या आप यह नियम भी बनायेंगे कि सरकारी पक्ष के साथ साथ स्थगन प्रस्ताव करने वाले सदस्य की बात भी सुनी जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : नियम तब भी था । यह प्रक्रिया स्वीकार कर ली गई है । और ऐसे मामलों में मेरा अपना विवेक भी है ।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : : माननीय सदस्य को याद होगा कि दिल्ली में हाल ही में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें मंत्रियों, सचिवों और सूचना निदेशकों ने भाग लिया था । उसमें देश के सामने उपस्थित समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया था । सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि राष्ट्र के रचनात्मक कार्यों में युवको का सहयोग लेने की आवश्यकता है । दृश्य-कृत्य प्रचार निदेशालय ने जन प्रचार कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित फोल्डर प्रकाशित किये थे (एक) अभाव से मुक्ति (दो) मुद्रास्फीति और (तीन) बेरोजगारी की समस्या और युवकों के योगदान से सम्बद्ध 'युवकों के सामने चुनौती' और 'अन्धकार दूर करें' आदि उस निदेशालय द्वारा जन प्रचार की सामग्री सामान्यत कुम्भ मेलों, जन सभाओं (रैलियों) और पर्व उत्सवों पर निकाले जाते हैं । इस दृष्टि से उस निदेशालय ने संदर्भाधीन पत्रिका निकालकर कोई गलत काम नहीं किया है । उक्त साहित्य की प्रतियां सभा पटल पर भी रखी जा रही है जो ग्रन्थालय में संदर्भ के लिए होंगी । जहां तक आकाशवाणी का संबंध है, उसमें श्रोताओं के हित पर सर्वप्रथम ध्यान दिया जाता है और समाचारों के महत्व से उन्हें चुना जाता है । उसमें पक्षपात किया नहीं जाता ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Sir, the Minister has confirmed what I have said in my notice of Adjournment Motion. These poster were printed with reference to the rally of congress in Delhi. Sometime back a Jan Sangh rally was organised in Delhi. I would like to know whether such posters or folders were printed at that time ?

श्री आई० के० गुजराल : मैं वायदा करता हूं कि भविष्य में होने वाली जनसंघ की रैली के लिए ऐसे इश्तहार छापे जायेंगे ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: We don't want such propaganda literature.

अध्यक्ष महोदय : आपका यह कहना है कि इस रैली में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया । किन्तु मंत्री महोदय का कहना यह है कि ऐसे पर्चे सरकार की ओर से सामान्यत: छापे जाते रहते हैं ।

श्री मधु लिमये : आप अपने दल को अपने आप में राज्य समझ लिया है और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते ।

श्री आई० के० गुजराल : व्यक्तियों के प्रत्येक बड़े समूह के लिए ऐसे पर्चे छापे जाते हैं । इसमें कोई राजनीति नहीं है। ये पर्चे संसद सदस्यों, विधान मंडलों के सदस्यों, राजनीतिक दलों के प्रधानों आदि को भेजें जाते हैं । यह हमारा एक सामान्य कृत्य है ।

अध्यक्ष महोदय : यह आरोप लगाया गया है कि सत्तारूढ़ दल के यूथ विंग ने जो प्रदर्शन किया था उसमें सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया गया है ।

श्री आई० के० गुजराल : मैं इस आरोप का खण्डन करता हूं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अभी कुछ क्षण पूर्व आपने कहा था कि माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि .....

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें यह स्पष्ट किया था कि ऐसा सरकारी तौर पर था अथवा नहीं और उनका कहना है कि नहीं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आप ने यह समझा था कि माननीय मंत्री के विचार में यह प्रदर्शन सरकारी तौर से किया गया था । अतः यात्रा का खर्च और पर्चे आदि बांटने का कार्य भी सरकार का था । श्री बाजपेयी जी ने जो परिपत्र दिखाया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी खर्च सरकार बहन करेगी ।

अध्यक्ष महोदय : आप वह परिपत्र मुझे भेज सकते हैं । क्या श्री बाजपेयी यह आश्वासन देते हैं कि यह परिपत्र वास्तव में सरकार द्वारा ही जारी किया हुआ है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : जो इस प्रस्ताव को अनुमति दिये जाने के पक्ष में है वे 'हां' कहें ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: I may kindly be given an opportunity to refute what the hon. Minister has stated. The hon. Members must know the factual position.

अध्यक्ष महोदय : आप सभा के समक्ष अनुमति का प्रस्ताव रखें । माननीय मंत्री ने इस आरोप का स्पष्ट रुप से खण्डन किया है। जो सदस्य इस प्रस्ताव को अनुमति दिये जाने के पक्ष में है वे अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

श्री भगवत झा आजाद : यदि यह परिपत्र वास्तविक भी है तो भी किसी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किये गये परिपत्र के आधार पर माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव कैसे ला सकते हैं । इसके लिए केन्द्रीय सरकार किस प्रकार जिम्मेदार है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे अपनी अनुमति देता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : इस पपिपत्र में जिस अधिकारी का उल्लेख किया गया है वह पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग का अधिकारी है । यदि वे केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के अधीन कार्य कर रहे हैं तो यह वास्तव में ही एक गम्भीर मामला है ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : माननीय मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि शिक्षा मंत्रियों और भारत सरकार के मंत्रियों की एक बैठक हुई थी । उस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि ऐसी गतिविधियों में भाग लिया जाये । इस निर्णय के अनुसार ही पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग ने यह कार्य किया है ।

श्री आई० के० गुजराल : मैंने कहा था कि सूचना मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था । इसमें डी० एम० के० के मंत्री भी शामिल हुए थे ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता । आप दोनों अपनी-अपनी बात कह चुके हैं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : माननीय मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि उक्त सम्मेलन में कुछ निर्णय लिये गये थे । पंजाब सरकार का शिक्षा विभाग उसी निर्णय के अनुसार कार्य कर रहा है ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : क्या ऐसा कोई निर्णय लिया गया था जिसका डी० एम० के० के मंत्री ने भी समर्थन किया था । क्या उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि प्रदर्शनों में सरकारी साधनों का उपयोग किया जाये ? जिस परिपत्र का उल्लेख किया गया है वह पंजाब सरकार का है । इसका अर्थ यह है कि हम राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री के विरुद्ध यह प्रस्ताव ला रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैं कह रहा था कि इसका अर्थ राज्य सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव पास करना होगा । मैं चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री बतायें कि पंजाब सरकार को ऐसे कोई अनुदेश जारी किये गये थे । यदि वह इस बात को स्वीकार करते हैं तो यह प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध समझा जायेगा ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यह निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा लिया गया था । यह अब राज्य सरकार का मामला नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा परिपत्र केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के बिना जारी किया गया था तो इससे हमारा कोई संबंध नहीं है ।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं भारत सरकार की ओर से कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारों को ऐसे कोई निदेश जारी नहीं किये गये हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय औद्योगिक विकास मंत्री ने जो कुछ कहा वह सूचना मंत्री द्वारा कही गई बात से मेल नहीं खाता । दोनों ने परस्पर विरोधी बातें कही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप सभा की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं । इसलिए मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

Shri Shyamnandan Mishra: You want to rule with their help. They are doing all this on your instigation.

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह आप हाथ क्यों दिखा रहे हैं : मैं इसका विरोध करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे निरन्तर परेशान किया जा रहा है । मैं इसे सहन नहीं कर सकता ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri Mishra ji was speaking on a point of order. The Congress members are obstructing him. May I know whether the rules are not applicable to them? You should check them.

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : श्री मिश्र जी आप की अनुमति से व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहे थे । तभी कुछ कांग्रेसी सदस्यों ने उसमें बाधा डाली । आप किसी सदस्य को व्यवस्था का प्रश्न उठाने से मना नहीं कर सकते ।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक बात के लिए प्रक्रिया है । यदि आप यह समझते हैं कि कोई सदस्य प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है तो आप उस ओर मेरा ध्यान आकर्षित कर सकते हैं । यह बात मैं दोनों ओर के सदस्यों के लिए कह रहा हूं । मैंने भी मिश्र जी की ओर कहा था कि वह अपना वाक्य पूरा कर सकते हैं । परन्तु किसी भी सदस्य को अध्यक्षपीठ को धमकाना नहीं चाहिए । यह बात मैं सहन नहीं कर सकता ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं कह रहा था कि दोनों मंत्रियों के वक्तव्य परस्पर विरोधी हैं । माननीय सूचना मंत्री ने यह स्वीकार किया था कि केन्द्रीय स्तर पर एक सम्मेलन हुआ था और उसमें कुछ निर्णय लिये गये थे जिनमें एक निर्णय पर्चे बांटने के बारे में था । इसे बाद में किसी ने इन्कार नहीं किया । अतः यह परिपत्र उक्त निर्णय के अनुसार ही जारी किया गया है ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मंत्री को सुनने के पश्चात् आप स्वयं इस निश्चय पर पहुंचे थे कि ऐसा सरकारी तौर पर किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं । उन्होंने परिपत्र प्रस्तुत किया था ।

श्री पी० के० देव : मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण के पश्चात् ही श्री वाजपेयी ने यह पीपल प्रस्तुत किया है । आप ने इस पर मतदान के लिए भी कहा था । आप ने कहा था जो इसके पक्ष में हैं वह अपने स्थान पर खड़े हो जायें । अतः अब आप मतदान के लिए कहें ।

Shri Madhu Limaye (Banka): It is not clear from the statement that the Punjab State Government machinery has been misused at the instigation of the Centre. So I request you to admit the Adjournment motion.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मेरे माननीय साथी ने पर्चों के प्रकाशन के बारे में कहा था । वह एक दूसरा मामला है । दूसरी बात एक प्रिंसिपल द्वारा पंजाब के शिक्षा विभाग का हवाला देते हुए एक परिपत्र जारी किये जाने की है । क्या यह केन्द्र के किसी अनुदेश अथवा सुझाव पर किया गया है । मैं इस बारे में पहले ही कह चुका हूं कि केन्द्र की ओर से ऐसा कोई सुझाव अथवा निदेश नहीं दिया गया है । अतः हम दोनों मंत्रियों की बातों में कुछ भी परस्पर विरोधी बात नहीं हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने लिखित रूप में आपको एक नोटिस दिया है । अभी एक संसदीय समिति का गठन किया जाये जो कि इस मामले की जांच करे ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप एक अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने इस के लिए आपको लिखित रूप में एक सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय केवल स्थगन प्रस्ताव ही सभा के समक्ष हैं । आप से प्रस्ताव का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: I have stated in my motion that the Government machinery has been used to help to hold the rally of the Youth Congress. Moreover, the DAVP issued the folders relating to this rally. The hon. Minister of Information has admitted this thing. All India Radio is also helping the rally by defaming some organisations. The hon. Minister has devied that any instructions were issued to the State Governments in this regard. I may tell you Sir, that all those truck drivers in Haryana, who refused to carry the persons to Delhi for this rally have been challaned. The buses of the Madhya Pradesh Government have been used for the said purpose.

Mr. Speaker: You may prove that this has been done at the instance of the Centre.

Shri Atal Bihari Vajpayee: I repeat my allegation that instruction to use the Government machinery to make this rally success were issued by the Centre. The Delhi University has been closed for ten days so that maximum number of students may be able to take part in this rally. This is a Central University. May I know at whose instance this decision has been taken. I request you to allow me to move my motion.

श्री तुलसीदास दासप्पा (मैसूर) : यदि विरोधी दलों को तथ्य मालूम होते तो वे ऐसा नहीं करते । श्री सुब्रह्मण्यम ने इस बात से इन्कार किया है कि केन्द्र सरकार की ओर से किसी प्रकार के कोई निदेश राज्य सरकारों को दिये गये थे । इस प्रदर्शन का प्रबन्ध इण्डियन यूथ कांग्रेस द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य आज की चुनौतियों पर युवकों का ध्यान आकर्षण कराने का था। जहां तक प्रकाशित पर्चों का प्रश्न है वे सामान्य हितों के बारे में थे ।

अध्यक्ष महोदय : यह बातें माननीय मंत्री कह सकते हैं ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्री दासप्पा ने किसी प्रकार "बैज" लगा रखा है । दो वर्ष पूर्व आप ने 'बैज' लगाये जाने पर आपत्ति की थी, अब यह एक अन्य 'बैज' दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह चोर बाजार करने वालों के विरुद्ध है । क्या सभा में ऐसे 'बैज' लगा कर आने की अनुमति है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री द्वारा आरोप का खण्डन किया जा चुका है । अब इसमें कुछ नहीं है । श्री सेझियान और श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो दो मुद्दे उठाये हैं वे राज्यों से संबंधित हैं । श्री सुब्रह्मण्यम ने निदेशों के बारे में इन्कार किया है । मैं इस मामले में असमर्थ हूं । श्री ज्योतिर्मय बसु का दूसरा प्रस्ताव एक संसदीय समिति नियुक्त करने का है । जो उनका समर्थन करना चाहते हैं वे कृपया खड़े हो जाएं ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : आप अपने पहले वाले निर्णय से पीछे नहीं हट सकते ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : क्या मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं कि आप सभा के कार्य का मजाक न बनायें, आप पहले एक स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करा रहे थे परन्तु बीच में ही एक अन्य प्रस्ताव लाया गया । मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि जब एक स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तो बीच में ही यह प्रस्ताव क्यों स्वीकार किया गया ? आप यहां अनुशासन तभी बनाए रख सकते हैं जब आप अपने अधिकारों को अपने पास ही रखें । यदि आप दूसरों के दबाव के सामने झुक जाते हैं तो अनुशासन नहीं रखा जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : जब स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी तब उन्होंने मुझे यह प्रस्ताव भेजा था । मैं सभा से यह पूछ रहा हूं कि क्या इसको लिया जाना चाहिए या नहीं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : क्या कोई सदस्य चल रही कार्यवाही के दौरान खड़े होकर प्रस्ताव दे सकता है और आप उसके बारे में सभा से राय ले सकते हैं ? ऐसा किस नियम के अन्तर्गत किया जा सकता है ?

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मेरा यह कहना है कि प्रस्ताव को लेने या न लेने का निर्णय बहुमत अथवा अल्पसंख्यक मतों से नहीं किया जा सकता है,। प्रस्ताव पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिये और फिर इसे सभा में मतदान के लिए रखा जाना चाहिए। तब इस पर बहस की अनुमति दी जानी चाहिए और फिर बहस की समाप्ति पर इसे सभा में मतदान के लिए रखा जाना चाहिए। यही प्रक्रिया नियम है ।

Shri Madhu Limaye (Banka): I have a point of order. Just now you have asked that those Members may stand up who are in favour of Shri Bosu's resolution. It means that you have admitted his resolution. The majority cannot decide the admissibility of a motion. Under the rules, the mover has the right to speak on his motion. Then only voting can take place. May I know whether chance will be given to discuss the motion? You may please give your ruling on it.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : यदि आप सभा की कार्यवाही को केवल मजाक बनाकर ही नहीं रखना चाहते हैं तो आप को जो कुछ प्रस्तुत किया जाये, उसे गंभीरता से लें। शायद आपने श्री बाजपेयी का प्रस्ताव इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे प्रथम दृष्टया मामला नहीं बना सके हैं कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य को कोई निदेश दिया था । जब ऐसी बात है तो आपका यह निर्णय, कि इस प्रस्ताव पर सभा में मतदान किया जाये, गलत है ।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : जब आपने यह निर्णय दिया है कि श्री बाजपेयी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता है तो स्पष्टत : ही इस प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि इस मामले को छोड़ दिया जाये। ऐसे मामले की, जो अब विद्यमान नहीं है, जांच करने का प्रस्ताव निर्रथक है । अतएव इस मामले को समाप्त समझा जाना चाहिए और कार्यसूची में लिखित अगला कार्य लिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। वे बीच में ही अपना प्रस्ताव ले आये थे । जब इस पर बहस हो चुकी थी तब मैंने आप लोगों की राय जानने के लिये इस प्रस्ताव के बारे में पूछा था । मेरे विचार में सभी इस बात से सहमत हैं कि यह निरर्थक है । इसलिए अब हम कार्यसूची में लिखित अगला कार्य लेंगे ।

सदस्य की गिरफ्तारी

ARREST OF MEMBER

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्रीमती विभा घोष गोस्वामी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी, राणाघाट पुलिस स्टेशन से प्राप्त 3 मई, 1974 का तार 7 मई, 1974 को पढ़कर सुनाया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने यह बात उठाई थी कि श्रीमती विभा घोष गोस्वामी की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी अधूरी थी क्योंकि सदस्य की गिरफ्तारी का कारण नहीं दिया गया था। मैंने मामले की जांच करने का आश्वासन दिया था।

पश्चिम बंगाल सरकार ने जिला मजिस्ट्रेट, नादिया द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण की एक प्रति भेजी थी जिसमें बताया गया था कि किन कारणों से पूरी जानकारी नहीं भेजी गयी थी। उन्होंने इस भूल के लिए क्षमा मांगी थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी खेद प्रकट करते हुए कहा है कि उन्होंने भविष्य में ऐसा न होने देने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इन तथ्यों को देखते हुए मैं समझता हूं कि सभा इस बात पर सहमत है कि मामले को समाप्त समझा जाना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह घटना सिद्ध करती है कि पश्चिम बंगाल से जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ किस प्रकार का सलूक किया जाता है। मैं इस सुझाव का विरोध करता हूं कि इस मामले को समाप्त समझा जाना चाहिए। दोषी व्यक्तियों को इस सदन के कठघरे में लाया जाना चाहिए। यदि पुलिस अधिकारियों को इस प्रकार संसद् सदस्यों को बेइज्जत करने दिया गया तो यह देश लोकतंत्रीय देश के बजाय फासिस्ट देश कहलायेगा। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों को यहां बुलाया जाये। यह निर्णय करना आप पर है कि क्या संसद् सदस्यों को संसदीय तथा सांविधिक गतिविधियों के लिए संरक्षण मिलना चाहिए अथवा क्या उन्हें इस प्रकार पुलिस अधिकारियों के हाथों अपमानित होने देना चाहिए क्योंकि वे किसी खास राजनीतिक दल से सम्बन्धित हैं जो सत्तारूढ़ दल का विरोध करता है।

श्री दिनेन भट्टाचार्य (सरिमपुर) : उसी पुलिस अधिकारी ने 14 नवम्बर 1973 को उसी सदस्य को उसी स्थान राणाघाट पर रोका था और अध्यक्ष को कोई सूचना नहीं दी थी।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी (तवद्वीप) : 14 नवम्बर 1973 को खाद्य आंदोलन के दौरान मुझें उसी स्थान (राणाघाट) पर गिरफ्तार किया गया था और लोक सभा को कोई सूचना नहीं भेजी गई थी। मैंने उनसे कहा कि इस बार अध्यक्ष को सूचना दी जानी चाहिए। परन्तु इसके बावजूद भी ऐसी बात हुई।

Shri Ram Deo Singh (Maharajganj): This is happening everywhere. The same thing happened with me also.

अध्यक्ष महोदय : पुलिस अधिकारी और राज्य सरकार ने खेद प्रकट किया है अब इसको स्वीकार करना या न करना सदन का काम है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा निवेदन है कि मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : श्री धोते के मामले में भी मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया था। यह मामला भी विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मेरा श्री बसु को सुझाव है कि वह विशेषाधिकार प्रस्ताव लायें।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): There is no need of bringing a motion in this respect. On Submission is to refer this matter to Privileges Committee. They can look into this.

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में गिरफ्तारी की सूचना सभा में दी गई थी। उन्होंने इस बारे में आपत्ति उठाई। हमने और सूचना तथा जांच के लिए इस मामले को भेज दिया था। अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह स्वतंत्ररूप से किया गया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम इस मामले को विशेषाधिकार समिति को इसलिए सौंपना चाहते हैं क्योंकि उसी पुलिस अफसर ने दोनों बार ऐसा व्यवहार किया।

अध्यक्ष महोदय : इसको मैं विशेषाधिकार समिति को कैसे सौंप सकता हूं जबकि कोई प्रस्ताव नहीं है, पहले श्री बसु विधिवत प्रस्ताव भेजें तब फिर आगे की कार्यवाही की जा सकेगी।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

डाक घर बचत बैंक (आठवां संशोधन) नियम, 1974 और डाक घर बचत प्रमाण पत्र (दूसरा-संशोधन) नियम, 1974

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाक घर बचत बैंक (आठवां संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 791 में प्रकाशित हुए थे।

(2) सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाक घर बचत प्रमाण-पत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 792 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 8149/74]**।

रेल दुर्घटनाओं संबंधी सांविधिक जांच नियम, 1973

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : मैं निम्न नियमों की प्रति सभा पटल पर रखती हूं :—

भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 84 के अन्तर्गत रेल दुर्घटनाओं की सांविधिक जांच नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र दिनांक 2 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 587 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 8150/74]**

विस्कोस स्टेपल फाइबर वितरण (दूसरा संशोधन) नियंत्रण आदेश, 1973 और व्यापार विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत विस्कोस स्टेपल फाइबर वितरण (दूसरा संशोधन) नियंत्रण आदेश, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 16 फरवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 449 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 8151/74]**।

(2) व्यापार विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 8152/74]**।

विधेयक पर अनुमति
ASSENT TO BILL

महासचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किया गया तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त गुजरात विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1974 सभा पटल पर रखता हूं।

———

सभा के कार्य के बारे में
RE BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया जायेगा। श्री इन्द्रजीत गुप्त।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसको मध्याह्न भोजन के पश्चात् लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : महासचिव ने कहा है कि तीन बजे गैर सरकारी सदस्यों का कार्य लिया जाएगा यदि में इसे स्थगित करता हूं तो तीन बजे अन्य कार्य होगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मेरा सुझाव है कि मध्याह्न भोजन के पश्चात् तीन बजे हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा अन्य कार्य ले सकते हैं और गैर सरकारी सदस्यों का कार्य स्थगित किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : इस विश्वास के साथ कि गैर सरकारी सदस्यों का कार्य आरम्भ करने से पूर्व इसको समाप्त किया जायेगा, हम मध्याह्न भोजन के लिए सभा स्थगित करते हैं और यह 2.45 म०प० पर पुनः समवेत होगी।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर पैंतालीस मिन्ट म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch to forty-five minutes past foreteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बज कर 45 मिन्ट पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Forty-five minutes past Fourteen of the clock

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the Chair

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : बिहार राज्य भारत सेवक समाज के संयुक्त सचिव ने भारत सेवक समाज की गतिविधियों सम्बन्धी कपूर आयोग के प्रतिवेदन के बारे में पटना में एक दावा दायर किया है।

इस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सभा पटल पर भी रखी गयी है जिसका अर्थ यह है कि यह लोकसभा के विचाराधीन है। तो एक प्राईवेट व्यक्ति न्यायालय में कैसे जा सकता है? मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर कोई चर्चा नहीं होगी क्योंकि यह एजेंडे में नहीं है।

श्री श्यामनंदन मिश्र (बेगुसराय) : यह सदन की सम्पत्ति है। इसके द्वारा हम इस विषय पर चर्चा करने से नहीं रुक सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें सबसे पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करनी है। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री आगामी सप्ताह के कार्य के बारे में वक्तव्य देंगे जिस पर कुछ माननीय सदस्य अपने विचार भी रखेंगे। इस बारे में मैं सदन की राय जानना चाहता हूं। इन दो मदों के बाद गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को लिया जायेगा।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मद संख्या 9 को सोमवार को लिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे सोमवार को लिया जा सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

देश में कागज की भारी कमी तथा पाठ्यपुस्तकों और कापियों का उपलब्ध न होना

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोकमहत्व के निम्न विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"देश में कागज की भारी कमी, उसके ऊंचे मूल्यों तथा परिणामतः स्कूलों और कालेजों के छात्रों को पाठ्य पुस्तकों तथा कापियां उपलब्ध न होना"।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : अध्यक्ष महोदय, छपाई के सफेद कागज का उत्पादन जिसका उपयोग अभ्यास पुस्तिकाओं और पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करने के लिये किया जाता है, 1972 में हुए 1,22,036 मी० टन से घटकर 1973 में

97,501 मी० टन रह गया। जहां ऐसी बिजली में कटौती और यातायात सम्बन्धी कठिनाइयों जैसे अनेक कारणों से अधिक रूप से अधिष्ठापित क्षमता का पूर्ण उपयोग न हो सकने के कारण हुआ है, वही छपाई के सफेद कागज के स्थान पर कागज की और अधिक खर्चीली (और लाभप्रद) किस्मों का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। यद्यपि छपाई के सफेद कागज की मांग एक स्थिर दर से बढ़ती रही है, पिछले पांच वर्षों में उत्पादन में इसके अनुरुप वृद्धि नहीं हुई है। इसके विपरीत इसमें गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी है। समाचार पत्रों द्वारा जिनके अखबारी कागज के कोटे में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काफी परिमाण में अखबारी कागज उपलब्ध न होने के कारण 30 प्रतिशत की कमी कर दी गई थी, इस कागज की बड़े पैमाने पर खरीद के कारण छपाई के सफेद कागज की कमी की स्थिति और भी बिगड़ गई है।

सरकारी तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में कागज उद्योग की क्षमता बढ़ाने के कदम उठाने के अलावा सरकार ने विद्यमान क्षमता के अन्दर छपाई के सफेद कागज का उत्पादन बढ़ाने के लिये भी कई कदम उठाए हैं। सरकार के हस्तक्षेप पर कागज उद्योग के क्षेत्र तथा सरकार को वितरित किये जाने हेतु 2 लाख मीट्रिक टन छपाई का सफेद कागज बनाने के लिये सहमत हो गया है। इस कागज के वितरण हेतु केन्द्र में एक राष्ट्रीय समन्वय समिति बनायी गयी है जिसमें औद्योगिक विकास तथा शिक्षा मंत्रालय एवं अभ्यास पुस्तिका बनाने वालों के विभिन्न संघों, पुस्तक प्रकाशक तथा उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं। शिक्षा के क्षेत्र में राज्यवार आवंटन का निर्णय यही समिति करती है। राज्यों में राज्य स्तरीय समितियों का गठन कर दिया गया है। इन समितियों में राज्य सरकार तथा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि शामिल हैं। राज्य स्तर समिति को कागज का आवंटन किया जाता है जो राज्य में विभिन्न उपभोक्ताओं को कागज का वितरण करते हैं।

यह योजना लगभग 2 महीने से चल रही है तथा विभिन्न राज्यों को लगभग 30,000 मीट्रिक टन कागज का आवंटन पहले ही किया जा चुका है। उत्पादन के वांछित ढांचे को प्राप्त करने का सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन एक कागज उत्पादन पर नियंत्रण आदेश, 1974 हाल ही में जारी किया है जिसमें मिलों द्वारा बनाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के 'कल-चरल' कागज निम्नतम प्रतिशत निर्धारित कर दिया गया है। इस आदेश का उद्देश्य विद्यार्थी समुदाय के लिए छपाई का पर्याप्त सफेद कागज तथा आवश्यक कार्यों के लिये अन्य 'क्रिटिकल' किस्म का कागज उपलब्ध कराने का सुनिश्चय करना है।

सरकार ने अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन कागज का अनावश्यक उपयोग रोकने की दृष्टि से एक कागज (संरक्षण तथा उपयोग विनियमन) आदेश, 1974 जारी किया है। इस आदेश से कैलेण्डर, डायरियां, पोस्टर तथा बधाई नियंत्रण पत्रों के लिये कागज के उपयोग पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

शिक्षा तथा सरकार के उपयोग के लिए अपेक्षित कागज के सम्बन्ध में उद्योग ने 2,750 रु० प्रति मी० टन मूल्यों लेने की सहमति दे दी है। जहां तक कागज की अन्य किस्मों का सम्बन्ध है, कीमतें विनियमित नहीं हैं। इस समय कागज उद्योग की उत्पादन लागत का अध्ययन किया जा रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कागज भी अन्न और कपड़े की तरह एक अनिवार्य वस्तु है। पाठ्यपुस्तकों और कापियों की भारी कीमतें भी देश में विद्यार्थी असंतोष का एक कारण है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल आदि आदि राज्यों के स्कूलों, कालिजों और विश्वविद्यालयों में कापियां और पाठ्यपुस्तकें प्रथम तो मिलती ही नहीं और यदि मिलती भी हैं तो बहुत मंहगे दामों पर।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कागज उद्योग के मालिकों पर इस प्रकार का अंकुश नहीं रख सकती ताकि कागज की कीमतें न बढ़ सकें। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में योजना मंत्रालय और योजना आयोग क्या कर रहा है? चेतावनी मिलने के बावजूद भी सरकार ने इस विषय में पहले ही क्यों कोई कार्यवाही नहीं की?

कहा गया है कि कागज उद्योग दो लाख टन कागज बनायगा जिसमें से 80 हजार टन सरकार लेगी और 1.2 लाख टन शिक्षा क्षेत्र के लिये रह जायेगा। लेकिन इस बात की क्या गारन्टी है कि कागज उद्योग 2 लाख टन कागज अवश्य बनायेगा। मंत्री महोदय ने कागज की उत्पादन क्षमता के बारे अपने वक्तव्य में कुछ नहीं कहा है। संयुक्त क्षेत्र में कागज के उद्योग स्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिसके लिये वित्त की व्यवस्था सरकार करेगी और इनका प्रबन्ध गैर सरकारी हाथों में रहेगा। इस बारे में भी सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिये।

यदि सप्लाई काफी मात्रा में रहे तो मूल्य नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। सप्लाई कम होने के कारण ही मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा भी ज्ञात हुआ है कि उत्पादन क्षमता के केवल 35 प्रतिशत भाग का ही उपयोग किया जाता है जिसका कारण बिजली की कमी तथा परिवहन कठिनाईयां बताया जाता है। लेकिन उत्पादक ऐसा जानबूझ कर करते हैं।

तीन वर्ष पूर्व सफेद प्रिंटिंग पेपर का दर 1,600 रुपये प्रति टन था जो अब तक बढ़ कर 5,850 रुपये प्रति टन हो गया है और खुले बाजार में यह कागज 7,000 रुपये प्रति टन मिलता है। मंत्री महोदय ने कहा है कि शिक्षा क्षेत्र के लिये कागज 2,750 रुपये प्रति टन की दर से दिया जायेगा मेरे विचार में सरकार को मूल्य निश्चित करके यह काम स्वयं ही करना चाहिये अन्यथा शिक्षा संस्थाएं संकट में पड़ जायेंगी।

सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहीं कहा है कि समाचार पत्रों को उनके निश्चित कोटे के अतिरिक्त सफेद प्रिंटिंग पेपर दिया जायेगा। समाचार पत्र अपने विज्ञापन परिशिष्टों के लिये सफेद प्रिंटिंग पेपर का उपयोग कर रहे हैं और शिक्षा संस्थाओं को इस मामले में भुलाया जा रहा है।

मैं जानना चाहता हूं कि कागजों के मूल्य नियंत्रण को किस प्रकार लागू किया जायेगा और उत्पादन लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त करेंगे जिसके लिये उत्पादक सहमत हो गये हैं?

कागज का सरकारी दफ्तरों तथा एजेंसियों में दुरुपयोग होता है। इसकी ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

सरकार को यह स्पष्ट निर्णय करना चाहिये कि उसकी सहानुभूति कागज कारखानों के मालिकों के साथ है अथवा देश के बच्चों के साथ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम: कागज की कमी के बारे में अनेक प्रश्नों की चर्चा की गई है। सरकार इस समस्या से पूर्णतः अवगत है और इस दिशा में अनेक कदम भी उठाये गये हैं। वर्ष के प्रारम्भ में सम्पूर्ण स्थिति की समीक्षा करने पर विकास परिषद् में कागज निर्माताओं के साथ हमारा यह समझौता हुआ कि वे 1968-69 की 1,66,000 टन की उत्पादन क्षमता के अनुसार उत्पादन करेंगे। उससे उत्पादन घटकर 1,00,000 टन से भी कम रह गया। अतः पहला कदम जो हमने लिया वह यह है कि इस वर्ष विभिन्न फैक्टरियों में कम से कम 2,00,000 टन कागज का उत्पादन हो।

हम मूल्यों के बारे में भी काफी चिंतित रहे इसीलिए मूल्य 2,750 रुपये प्रति टन निश्चित किया गया।

हमने सबसे पहले राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तक प्रकाशनों को प्राथमिकता दी। दूसरी प्राथमिकता पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन को और तीसरी कापियों को दी है। इसके बाद हमने प्रकाशकों के सम्बन्ध में विचार किया। इस बात को मैं मानता हूं कि उत्पादन पूरी तरह केवल समझौतों पर ही आधारित नहीं होता। इसके लिये अधिक सुव्यवस्थित वितरण प्रणाली होनी चाहिये।

कागज उद्योग द्वारा पूरी क्षमता के उपयोग करने का जिक्र किया गया है। 1972 में स्थापित क्षमता 8,03,000 टन थी और 1973 में 7,96,000 टन। 1973-74 में हमें और अतिरिक्त एक लाख टन के उत्पादन की आशा थी। 1975-76 में एक सरकारी परियोजना स्थापित की जायेगी जो नागालैण्ड में होगी तथा वह 30,000 टन कागज का उत्पादन करेगी। इस वर्ष और अगले वर्ष 2,15,000 टन और कागज का उत्पादन होने लगेगा। सरकारी क्षेत्र में हमने कुछ परियोजनाओं को अपने हाथ में लिया है। इनमें से कुछ परियोजनाओं का उत्पादन 1977-78 और कुछ का 1978-79 में शुरू हो जायेगा। गैर सरकारी क्षेत्र में भी हमने 20 लाख टन तक के लाइसेंस दिए हैं। अब हम कागज की मशीन देश में ही बना रहे हैं। हमने उनके आयात पर रोक लगा दी है जिसके कि देश की निर्माण क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सके। माननीय सदस्य ने अनेक प्रकाशकों का उल्लेख किया है जिन्होंने कागज की कमी के कारण अपना व्यापार बन्द कर दिया है। मुझे भी इस सम्बन्ध में पर्याप्त अभ्यावेदन मिले हैं। मैं सभा को आश्वासन दिलना चाहता हूं कि स्कूल और कालेज खुलने पर छात्रों की तत्कालिक आवश्यकताएं पूरी करने के बाद हम उपलब्ध कागज में से कुछ कोटा विभिन्न प्रकाशकों को देंगे। हमने छपाई वाले कागज का निर्यात बन्द कर दिया है।

समाचार-पत्रों द्वारा सफ़ेद कागज का प्रयोग कम करने सम्बन्धी मामला भी विचाराधीन है। हम शीघ्र ही एक युक्तियुक्त वितरण व्यवस्था बनायेंगे जिसके माध्यम छपाई वाले सफ़ेद कागज का वितरण किया जायेगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यह स्पष्ट है कि सरकार ने यह स्थिति स्वयं पैदा की है। उत्पादकों और सरकार की सांठगांठ का ही यह परिणाम है। आज सूचना और प्रसारण मंत्री युवकों को मुद्रास्फीति, जमाखोरी आदि के बारे में शिक्षित करने की बात कह रहे थे और इसलिये उन्होंने 200,000 पर्चे (पेम्फलेट) छपवाये हैं। एक ओर इतनी बड़ी बड़ी संख्या में पेम्फलेट छापे जा रहे और दूसरी ओर हमारे बच्चों के पास पाठय पुस्तकें तथा कापियां भी उपलब्ध नहीं हैं। अनावश्यक कामों के लिये कागज का उपयोग किया जा रहा है। यदि सरकार महसूस करती है कि इस समस्या का प्रभाव 10 करोड़ से अधिक छात्रों पर पड़ रहा है तो इस मामले को उच्चतम राष्ट्रीय प्राथमिकता देने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

क्या सरकार ने कोई ऐसा सर्वेक्षण किया है कि कितने प्रतिशत बच्चों को पुस्तकें नहीं मिल रही हैं। और क्या दस प्रतिशत में प्रतिदिन वृद्धि हो रही हैं ? मैं भी जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र विशेष में मूल्यों को नियमित करने के लिये क्या सरकार ने कोई एजेंसी स्थापित की है ? फिर क्या सरकार ने सरकारी विभागों में कागज के अनावश्यक उपयोग पर कोई रोक लगाई है ? सरकार का कहना है कि इस आशय के आदेश जारी किये गये हैं कि कारखानें कागज के उत्पादन के स्थान पर किसी अन्य वस्तु का उत्पादन न करे। परन्तु क्या वह आदेश पर्याप्त है उसको लागू करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ? क्या समाचार-पत्रों को सफेद कागज का उपयोग

करने से रोकने में कोई कानूनी कठिनाइयां हैं तो उन पर कैसे काबू पाया जा सकता है? फिर मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या एकाधिकार आयोग ने उत्पादकों द्वारा कमी का अनुचित लाभ उठाये जाने के सम्बन्ध में कोई जांच की है और यदि हां, तो उस जांच के निष्कर्ष क्या हैं। अन्त में मैं पूछना चाहता हूं कि 30,000 टन का राज्यवार वितरण किस आधार पर किया जाना है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : जहां तक उत्पादन के ढांचे का सम्बन्ध है प्रत्येक कारखाने को तकनीकी विकास महानिदेशालय की उत्पादन की जानकारी देनी पड़ती है और उसकी जांच की जाती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन जारी किये गये आदेश के अनुसार छपाई वाले सफ़ेद कागज का उत्पादन होता है। राष्ट्रीय तथा राज्य समितियां ही इस कागज का नियतन कर सकती हैं। अतः इस किस्म का जितना कागज उपलब्ध होता है विभिन्न राज्यों को आवंटित कर दिया जाता है। सरकार भी यह कागज खरीदती है। राज्य एजेंसियां भी खरीदती हैं और उनको अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती हैं।

हमने कागज का दुरुपयोग रोकने के बारे में सभी मंत्रालयों को लिखा है और लेखन-सामग्री के लिए आवंटित राशि में वृद्धि करना बन्द कर दिया गया है। सरकार ने इस प्रयोजन के लिये कई उपाय किये हैं।

कानूनी कठिनाइयों पर भी काबू पाने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैं सभा को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जब वितरण व्यवस्था लागू हो जायेगी तब कागज का उपयोग अन्य अनावश्यक कार्यों के लिये नहीं किया जा सकेगा। यदि उत्पादन की स्थिति में सुधार हो जाता है, तो उसका उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिये भी किया जा सकता है। सर्वप्रथम शिक्षा क्षेत्र के लिये कागज़ उपलब्ध किया जायेगा।

कागज़ के मूल्य पर अब कोई नियंत्रण नहीं है। यह नियंत्रण वर्ष 1968 या 1969 में हटा लिया गया था। अख़बारी कागज़ की कमी के कारण यह स्थिति पैदा हुई है परन्तु हमने इस कठिन स्थिति का मुकाबला करने के लिये अनेक उपाय किये हैं। यह भी पूछा गया था कि क्या इस मामले को एकाधिकार आयोग को सौंपा गया था? इस मामले को एकाधिकार आयोग को नहीं सौंपा गया। समाचार-पत्रों को सफ़ेद कागज़ का उपयोग करने से मना करने का एक ही तरीका है कि उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये। परन्तु हमें विधि विभाग ने सलाह दी है कि इस प्रकार का आदेश नहीं दिया जा सकता। जहां तक कागज़ के वितरण का सम्बन्ध है जून और जुलाई में 30,629 टन कागज़ का वितरण हुआ है। अगस्त के लिये और कागज़ का नियतन किया जायेगा।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): This is an age of shortages, price rise and adulteration. The paper has also been affected. A beginning should be made right from Lok Sabha in the direction of economy in use of paper. We receive so many papers in our dak and I think it can be reduced to half if only essential papers are sent to us.

It has been admitted by the hon'ble Minister that production of paper in decreasing. It seems that Government was not vigilant. The Government should have gone into the question to know the reason for this fall in production. In this connection I would suggest that Government should take over sick paper mills such as Ashok Paper Mill and Samastipur Paper Mill in Bihar. They have necessary machinery and other things and Government can run them. The big industrialists have increased the price of paper 4-6 times but they are not inclined to increase the wages of bamboo cutters even by 5 paise. Government should look into this matter. I would like to know the names of the members

ot National Coordination Committee and details of distribution of paper to states, statewise, since its inception and whether any quota has been prescribed which will be given to schools for the use of students? In order to meet this difficult situation, Government should direct the paper mills not to make Card board and hard board etc.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य ने जिन मिलों का उल्लेख किया है, वे छोटी मिलें हैं और उनकी मशीनरी बेकार है। अतः उन में पूंजीनिवेश करने के बजाय सरकारी क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिये पूंजी लगाना अधिक अच्छा होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि विभिन्न राज्यों को गत दो महीने में 30,000 टन कागज़ आबंटित किया गया है। जहां तक क्षमता का सम्बन्ध है मेरे पास इस समय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। माननीय सदस्य ने पूछा है कि छापे मारे गये थे या नहीं। यह प्रश्न दूसरे मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये; मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता।

श्री वसंत साठे (अकोला) : सफेद कागज़ की कमी कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यदि समय पर कार्यवाही की गई होती तो आज इस संकट की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। यद्यपि सरकार ने देर से कार्यवाही की है फिर भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मुझे आशा है कि इन उपायों को ईमानदारी के साथ क्रियान्वित किया जायेगा। मेरे विचार में सभी स्तरों पर कागज़ के मूल्य निर्धारित किये जाने चाहिये। समन्वय समिति को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिये कि बच्चों को कितनी कापियों की आवश्यकता होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि अध्यापक वर्ग पुस्तकविक्रेताओं के साथ साठगांठ किये हुए हैं। इस बात की जांच की जानी चाहिये। पुस्तकों की कुछ कमी तो है परन्तु कुछ कृनिम भी हैं। यह देखा गया है कि बिचौलियों द्वारा अधिक लाभ कमाये जाने के लिये कापियों के मूल्य बढ़ा दिये जाते हैं। अतः इस व्यवस्था को बदला जाना चाहिये। हमारे क्षेत्र—चांदा—में बल्लारपुर पेपर मिल्स के थापर के पास, जो 16 बड़े निर्माताओं में से एक 3 करोड़ रुपये के मूल्य की कापियों का भंडार जमा है। उन्हें विश्वविद्यालयों और स्कूलों से इन्डेंट मिल जाता है और वे इनको ये कापियां सप्लाई कर देते हैं और सरकार द्वारा नियुक्त राज्य समितियों को पता भी नहीं चलता। फिर ये कापियां चोरबाचार में बिकती हैं। अतः सरकार को पेपर मिल्स से कहना चाहिये कि वह छात्रों को सीधे सप्लाई करने के लिये व्यवस्था करें। यदि विश्वविद्यालयों और स्कूलों से छात्रों को कापियां मिलें उनके मूल्य में 50 प्रतिशत कमी हो सकती है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि सरकार ने वर्ष 1971 में जो द्रुत कार्यक्रम आरम्भ किया था, उसका क्या हुआ है? मेरा तीसरा सुझाव यह है कि सरकार को पूरे पृष्ठ के विज्ञापन देने पर रोक लगानी चाहिये। समाचार-पत्र उद्योग को भी सफेद कागज़ के उपयोग में बचत करनी चाहिये।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जहां तक मूल्य निर्धारित करने का सम्बन्ध है हमने छपाई वाले कागज़ का मूल्य 2750 रु० प्रति टन निर्धारित किया है। जहां तक अन्य किस्मों का सम्बन्ध है औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो जांच कर रहा है। हम उसके बाद विचार करेंगे कि हमें समूचे नियन्त्रण लागू करना चाहिये या नहीं। नियन्त्रण लागू कर देना सरल है परन्तु उसके बाद उस व्यापार के लिये धन जुटाना कठिन हो जाता है।

माननीय सदस्य ने कापियों की आवश्यकता के बारे में जो कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक है। पहले चौथी या पांचवीं कक्षा तक स्लेटों पर लिखा जाता था और उससे सुलेख भी बनता था परन्तु इस मामले पर पृथक रूप से विचार करना होगा।

विश्वविद्यालय को एक संगठन बनाना चाहिये जो कापियां प्राप्त करे और उनका वितरण भी करें। यदि इस प्रयोजन के लिये कुछ सहकारी संस्थाएं बन जायें तो मुझे ऐसी व्यवस्था करने में बड़ी प्रसन्नता होगी। परन्तु प्रत्येक संस्था में ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। यही मेरी कठिनाई है।

जहां तक द्रुत कार्यक्रम का सम्बन्ध है वह मशीनरी बढ़ा कर क्षमता में कुछ वृद्धि करने के प्रयोजन से बनाया गया था। यह वर्ष 1971 में आरम्भ किया गया था। और उस आधार पर विभिन्न संयंत्रों की क्षमता में 50,000 टन की वृद्धि हुई है और उससे उत्पादन में वृद्धि हुई है। जहां तक विज्ञापनों का सम्बन्ध है हम सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के बारे में निदेश दिये हैं कि उन्हें पूरे पृष्ठ के विज्ञापन नहीं देने चाहियें। उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ हमें कागज के उपयोग में मितव्ययिता बरतनी चाहिये। यदि सारा समाज इस ओर ध्यान दे तो इसमें काफ़ी सफलता मिल सकती है।

याचिका समिति

Committee on Petitions

18वां प्रतिवेदन

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : मैं याचिका समिति का 18वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : महोदय मैं 12 अगस्त, 1974 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

(1) आज की कार्यसूची से शेष रहे सरकारी कार्य के किसी मद पर विचार करना।

(2) आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 1974 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1974, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, पर विचार तथा पास करना।

(3) उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 1974 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 1974 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, पर विचार तथा पास करना

(4) प्रैस परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1974 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और प्रैस परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1974, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

2. आपकी अनुमति से मैं सभा को यह भी सूचना देता हूं कि संविधान (34वां संशोधन) विधेयक, 1974, विचार तथा पास करने के लिये **सोमवार, 26 अगस्त, 1974** को लिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : सूची में 19 सदस्यों के नाम हैं। कृपया सदस्य समय का ध्यान रखें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या बैंकधारी आयोग के प्रतिवेदन पर भी चर्चा की जानी थी?

श्री के० रघुरमैया : उसका उल्लेख बुलैटिन-14वें में—किया जा चुका है। मैंने इसीलिये उसकी यहां घोषणा नहीं की।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Sir, the Minister of finance should make a statement on the victimisation of the employees of the various offices of the Comptroller and Auditor General.

The employees of the offices of Comptroller Auditor General went on strike for one day in support of Railway employees. The services of 546 employees have been terminated and 176 employees have been suspended. 20,000 employees have been awarded break in service. 56 employees have been suspended and the services of 24 employees have been terminated only in one office situated in Gwalior.

It is the most unfortunate that a show cause notice has been given the all India Federation of these employees proposing withdrawal of the recognition. I request that the hon. Minister should make a statement on this matter and a discussion should be allowed over this matter.

I want to raise another matter. The police misbehaved with a press reporter in Ahmedabad as a result of which Press reporters orgnaised a demonstration and they went to Raj Bhawan. But they were beaten by the police. I demand that the hon. Minister should make a statement on it.

श्री एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : मैंने गोरखपुर डिवीजन में भयानक बाढ़ के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था जिसे स्वीकार नहीं किया गया। मेरा सुझाव है अगले सप्ताह की कार्य सूची में इस विषय को सम्मिलित कर लिया जाये तथा वहाँ विद्यमान बाढ़ की भयानक स्थिति पर पूरी चर्चा की जाए। राप्ती नदी के पानी का सबसे ऊंचा स्तर 50 वर्ष पहले 1925 में 251.15 फुट हुआ था किन्तु अब उनका स्तर उससे भी 1 फुट 5 इंच अधिक हो गया है। इससे लगभग 3,000 गांवों के लगभग 20 लाख व्यक्ति क्षतिग्रस्त हुए हैं। यदि उनको सामयिक सहायता न दी गई तो वे मारे जायेंगे। यदि जलकुण्डी परियोजना क्रियान्वित की गई होती तो बाढ़ की समस्या हल हो सकती थी। आवश्यक मरम्मत कार्यों के अभाव में आठ बांध टूट गये हैं जिससे बस्ती, गोरखपुर और देवरिया जिलों में बाढ़ आ गई है। राज्य सरकार मरम्मत कार्यों पर दो करोड़ रुपये खर्च करने में असमर्थ है। अतः मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कार्य के लिये सहायता दी जानी चाहिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी जो नितांत असफल रही। सरकार प्रति सप्ताह नियम 184 अथवा नियम 193 के अन्तर्गत दो मामलों पर चर्चा किये जाने के पूर्व निर्णय को बदलना चाहती थी। सरकार का रवैया असंतोषजनक है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप किन मामलों को सम्मिलित कराना चाहते हैं?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने दो प्रस्ताव दिये हैं एक मारुति लि० के बारे में (व्यवधान) इस पर दिसम्बर, 1972 में चर्चा की गई थी तथा इस बीच स्थिति बहुत बदल गई है। अतः इस को सम्मिलत किया जाये।

मेरा दूसरा प्रस्ताव भारत सेवक समाज की गतिविधियों में श्री एल० एन० मिश्र के योगदान के बारे में है (**व्यवधान**) मेरे प्रस्ताव में सभा के एक वर्तमान सदस्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं। यदि मैं उन आरोपों को सिद्ध नहीं कर सका तो मैं अपने विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाए जाने के लिये तैयार हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यह गम्भीर समस्या इसलिये उत्पन्न हुई है कि सभा के काय के बारे में कार्यमंत्रणा समिति में एक मत से निर्णय नहीं किया जा सका। यदि भविष्य में भी सरकार का यही रवैया रहा तथा कार्य मंत्रणा समिति का सदुपयोग नहीं किया गया तो इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

दूसरा प्रश्न यह है कि अनियत दिन वाले प्रस्ताव का निर्धारण कौन करेगा, कार्य मंत्रणा समिति अथवा सरकार? सरकार समझती है कि यह उनके विवेक पर छोड़ दिया जाये। यदि सब बातों का निर्णय सरकार द्वारा ही किया जाना है तो निश्चय ही उन्हीं मामलों पर चर्चा की जा सकेगी जो सरकार के लिये सुविधाजनक हैं। इस प्रश्न पर गम्भीर रूप से विचार किया जाना चाहिये। क्योंकि सरकार का यह रवैया अत्यन्त आपत्तिजनक है। यह निर्णय किया जा चुका था कि अनियत दिन वाले दो प्रस्तावों पर प्रति सप्ताह चर्चा की जायेगी किन्तु सरकार ने केवल ऐसे एक ही प्रस्ताव का उल्लेख किया है। दूसरे प्रस्ताव के लिये कोई समय निर्धारित नहीं किया जा सका जिसका उत्तरदायित्व सरकार पर है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : महोदय ! आपको याद होगा एयर इण्डिया विमान चालकों द्वारा हड़ताल के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया था जिस पर चर्चा नहीं हुई थी, केवल मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया था। अब इससे सम्बन्धित स्थिति अधिक गम्भीर हो गई है। मुझे ज्ञात होता है कि मंत्री महोदय ने जो जानकारी दी थी वह प्रबन्धकों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित थी तथा सही नहीं थी। मेरा सुझाव है कि इस सम्बन्ध में लोक लेखा समिति अथवा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति द्वारा जांच कराई जाये। मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय इस बारे में एक वक्तव्य भी दें (**व्यवधान**)

इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहता हूँ कि 16 अगस्त के समाचारपत्रों में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है कि पश्चिम बंगाल में आयकर अधिकारी घर-घर जाकर काला धन एकत्र करेंगे । मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में भी एक वक्तव्य दें ।

अन्त में मैं मांग करता हूँ कि नकली ग्लूकोज काण्ड**

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। हमें ऐसी बातों पर यहां चर्चा नहीं करनी चाहिये।

श्री समर गुह (कंटाई) : मैं संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान एन० सी० ई० आर० टी० के बारे में अत्यन्त चिंताजनक समाचार की ओर दिलाना चाहता हूँ। वहाँ भाई-भतीजावाद का बोलबाला है जिससे वहाँ भारी असंतोष है। इतिहास, समाजशास्त्र आदि विषयों की पुस्तकों में सत्तारूढ़ दल के कुछ राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति कराई जा रही है। मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार केवल स्थानीय व्यक्तियों को ही रोजगार दिये जाने के बारे में राज्य सरकारों के रवैये को प्रोत्साहन दे रही है? तमिलनाडु सरकार ने यह आदेश जारी किये हैं कि सभी गैर-सरकारी कम्पनियों में 80 प्रतिशत स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार दिया जाये। मैं स्थानीय जनता को रोजगार की नीति के बारे में गत तीन सत्रों से प्रस्ताव देता आ रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय इस बारे में एक वक्तव्य दें।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) I support the demand made by Shri Vajpayee in the House. The matter of atrocites inflicted upon the Journalists by the police in Ahmedabad is of serious nature. I request that the Minister of Home Affairs should make a statement on it.

श्री दीनेश भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मेरी पहली मांग यह है कि पश्चिम बंगाल में बिजली की कमी के बारे में मंत्री महोदय वक्तव्य दें तथा उस प्रश्न पर चर्चा भी की जाये। दूसरा प्रश्न रेलवे में असुरक्षा के बारे में है (**व्यवधान**) सियालदह और हावड़ा के बीच 6 बजे के बाद यात्रियों को कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं है, समाचारपत्रों के अनुसार एक युवा इंजीनियर की गुंडों ने छुरा मार कर हत्या कर दी तथा उसे गाड़ी से बाहर फेंक दिया क्योंकि वह एक महिला की रक्षा करने का प्रयत्न कर रहा था। 6 दिन तक रेलवे अधिकारियों ने उसके शव के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय इस बारे में एक वक्तव्य दें तथा हमें उस मामले पर चर्चा करने का अवसर दिया जाये।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय! रेल मंत्री ने सभा में यह आश्वासन दिया था कि आल इण्डिया रेलवेमैन फैडरेशन को दी गई मान्यता जारी रहेगी। किन्तु फीरोजपुर के डीविजनल सुपरिंटेंडेंट द्वारा स्टेशन मास्टर को जारी किये गये निदेश में इस आश्वासन का उल्लंघन किया गया है। इन आदेशों के अनुसरण में स्टेशन मास्टर ने यह नोटिस दिया है कि एक अगस्त, 1974 को श्री जी० फरनांडीज की अध्यक्षता में होने वाली सभा में कोई रेल कर्मचारी भाग न ले अन्यथा उनकी अग्रिम वेतनवृद्धि आदि पर रोक लगा दी जाएगी। मेरी मांग है कि इस प्रकार के आदेशों को वापस में लिया जाये तथा संसदीय कार्य मंत्री अगले सप्ताह की कार्य-सूची में इस विषय पर चर्चा के लिये कोई समय निर्धारित करें जिससे रेल मंत्री इस बारे में एक वक्तव्य दे सकें।

नेपाल से केरल के लिये चावल लाने के लिये विभाग ने पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे उपलब्ध नहीं कराये। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में भी मंत्री महोदय एक वक्तव्य दें। अन्त में मेरा निवेदन है कि कृषि आयोग के प्रतिवेदन के बारे में नियम 193 के अन्तर्गत एक चर्चा होनी चाहिये जैसा कि कार्य मंत्रणा समिति में निर्णय किया गया था। चीनी उद्योग जांच आयोग के प्रतिवेदन पर भी सभा में चर्चा के लिये समय निर्धारित किया जाना चाहिये।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लिचेरी) : सभा में बहुत समय से अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर कोई चर्चा नहीं की गई। आज के समाचारपत्रों में राष्ट्रपति निक्सन के त्यागपत्र का समाचार प्रकाशित हुआ है। पुर्तगाल में तानाशाही समाप्त हुई है। साइप्रस और दक्षिण कोरिया में भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। अतः मेरी मांग है कि अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों पर सभा में चर्चा की जाये।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मेरे राज्य में गत 6 महीनों से राष्ट्रपति शासन लागू है तथा वहाँ इस अवधि में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं जिनपर सभा में कोई चर्चा नहीं की गई। अहमदाबाद स्थित पासपोर्ट कार्यालय में भारी अव्यवस्था है तथा विद्यार्थियों और अन्य व्यक्तियों को विदेश जाने के लिए महीनों तक पारपत्र नहीं दिये जाते। भविष्य निधि आयोग के कार्यालय में भी ब ी धांधली है।

गुजरात के सुरेन्द्रनगर तथा अहमदाबाद जिले में हरिजनों पर भारी अत्याचारों की सूचनाएं मिली हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि गुजरात में विद्यमान परिस्थितियों तथा समस्याओं पर चर्चा किये जाने के लिये समय निर्धारित किया जाये। जब गुजरात राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो उसकी विभिन्न समस्याओं पर सभा में चर्चा के लिये पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये।

यह भी समाचार है कि 'टाइम्स आफ इण्डिया' के एक पत्रकार के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है क्योंकि उसने कुछ लेख प्रकाशित कराये थे। इसी संदर्भ में 25 पत्रकारों की पिटाई की गई। 'जन्मभूमि' के एक संवाददाता को इतना पीटा गया कि वह अधमरा हो गया। इन सभी मामलों पर चर्चा के लिये समय निर्धारित किया जाये तथा गृह मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

Shri Madhu Limaye (Banka): Sir, on the 27th July, 1973 I had asked a question in the house about grant of Import Entitlements to share holders of Maruti Ltd.

श्री के० नारायण राव : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह असम्बद्ध मामला है। इस पर कार्य मन्त्रणा समिति में विचार किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे सुन कर समझ तो लेने दें कि वह क्या कहना चाहते हैं। यदि उनका कथन असम्बद्ध होगा तो उसके बारे में उचित कार्य किया जायेगा।

Shri Madhu Limaye: In reply to my above question it was stated by the hon. Minister that the information was being Collected and would be laid on the table of the House. I have been waiting for the reply for one year. Similarly I had asked another question about investigations about share holders of Maruti Ltd., by Revenue Intelli gence and Enforcement Directorate. In reply to this question also it was stated that the information was being collected. It is not a party question. There should not be no much lethargy about replies to Parliament questions. Parliament can not work in this manner. I therefore want your ruling in this regard and also want a statement by the Government.

Secondly, I want to say officers and workers of C.O.D. Kanpur have informed me that there was a theft of 550 Kg. brass on 20th March, 1974. It had been wrongly stated that this brass metal had been recovered. This should be enquired and statement may be made in this regard. In order to hide this theft a mentally deranged man of the city was called in to the depot and shot dead. It was then said that he belonged to the gang of matal lifters. I want to raise my voice against this. I want Government's statement on these two points.

Shri Janeshwar Mira (Allahabad). The President of the Delhi University Students Union has alleged that certain outside forces are interfering in the Student Union elections. He has also alleged that Prime Minister is addressing the rally of Youth Congress on the eve of the elections. This is being done to influence the elections. It becomes incident from the Radio propaganda and newspaper reports that Government Machinery is going to be used in these elections. I want a statement by the Minister of education in this regard.

I have given notice under 184 for the constitution of an all-party Parliamentary Committee to enquire into the Charges against Shri L.N. Mishra and Memorandas and letters submitted to the Prime Minister and the President in this regard. He should be cleared of these allegations. I want this motion to be take up next week.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes have not been discussed in the House for the last 2-3 years. I want this to be discussed next week. There have been floods in different parts of the Country and these have caused heavy losses. This should also be discussed.

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री कार्तिक उरांव (लोहार डगा) : मैं भी कुछ अनुरोध करना चाहता हूं मैंने इसकी लिखित सूचना भी दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : जिन्होंने अपने नाम दिये थे और जिन्हें अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमति दी गई है केवल उन्हीं को अवसर दिया जा रहा है।

श्री कार्तिक उरांव : कार्य मन्त्रणा समिति के सदस्यों को फिर से बोलने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिये। विपक्ष के साथ-साथ हमें भी बोलने का अवसर मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप बोलना चाहते थे तो आपको अपना नाम भेजना था।

श्री समर गुह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हर गुरुवार को हम कुछ मामले उठाते हैं उस समय कह दिया जाता है कि सम्बद्ध मंत्रियों को उनसे अवगत कर दिया जायेगा। मेरा कहना है कि कोई भी मामला उठाने की अनुमति देने की प्रथा समाप्त की जाये अन्यथा कोई ऐसा तरीका निकाला जाये जिससे कि हमें उस मामले के बारे में सरकारी प्रतिक्रिया का पता लग सके। इस प्रकार तो यह सब व्यर्थ है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्रवाई के लिए सुझाव है। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। सब लोग इकट्ठे बैठकर कोई हल निकाल सकते हैं।

श्री के० रघुरमैया : मैं इस अवसर पर ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता कि सदन में कोई उत्तेजना फैले और सदन का समय खराब हो। कार्य मन्त्रणा समिति में कुछ बुद्धिमान सदस्य हैं जो अपनी समस्याएं हल कर सकते हैं। समिति की कल की बैठक में श्री ज्योतिर्मय बसु ने एक सरकारी प्रवक्ता की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा था कि उस प्रवक्ता के कहने का आशय उन्हें किसी मामले को न उठाने के लिये मुझे प्रभावित करने का था। मैं इस बारे में इतना कह सकता हूं कि सरकारी प्रवक्ता ने उनसे केवल प्राथमिकता के बारे में कहा था। उससे इस प्रकार का अर्थ निकालना अनुचित है।

अन्य सुझाव मैं सम्बद्ध मंत्रियों को प्रेषित कर दूंगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यह निर्णय किया गया था कि प्रत्येक सप्ताह अनियत-दिन-वाले दो प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा। उसका क्या हुआ ?

श्री के० रघुरमैया : नियम 184 के अधीन अध्यक्ष महोदय को अनुमति देने की शक्ति प्राप्त है और फिर सदन के पास अन्य कार्य भी तो हैं। अगले सप्ताह में हमने उसके लिए 5 घंटे का समय नियत किया है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यह बात समझ ली जाये कि यदि सरकारी रवैया यही रहा तो आपको सहयोग नहीं रहेगा और संसदीय कार्य मंत्री के लिए काम करना मुश्किल हो जायेगा।

श्री मधु लिमये : मेरे प्रश्न के उत्तर में विलम्ब के बारे में आपका क्या निर्णय है।

श्री के० नारायण राव : मैं भी अपने व्यवस्था के प्रश्न पर आपका निर्णय चाहता हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : संसदीय कार्य मंत्री हमारे रास्ते में बाधाएं उपस्थित कर रहे हैं

श्री के० रघुरमैया : मैं रास्ते में बाधाएं उपस्थित नहीं कर रहा।

Shri Hukam Chand Kachwai: Sir. I raised a matter....

उपाध्यक्ष महोदय : आपने मामला उठा दिया है। सरकार उस ओर ध्यान देगी। (**अन्तर्बाधाएं**) उनका मामला दूसरा है। उनके प्रश्न के उत्तर में सरकार द्वारा कहा गया था कि विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा। श्री लिमये यह प्रश्न आश्वासन समिति में भी उठा सकते हैं।

श्री मधु लिमये : समिति की बात कोई नहीं सुनता।

विधेयक पुरःस्थापित
Bills Introduced

(एक) ग्राम सभाओं के माध्यम से विकास कार्यक्रमों का आयोजन और क्रियान्विति विधेयक
Planning and Implementation of Developmental Programmes through Gram Sabhas Bill

श्री रण बहादुर सिंह (सिधी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि ग्राम सभाओं के माध्यम से आयोजन और विकास तथा कल्याण संबंधी कार्यक्रमों की क्रियान्विति में जन सहयोग का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि ग्राम सभाओं के माध्यम से आयोजन और विकास तथा कल्याण संबंधी कार्यक्रमों की क्रियान्विति में जन सहयोग का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

श्री दया बहादुर सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

(दो) पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से विकास कार्यक्रमों का आयोजन और क्रियान्विति विधेयक
Planning and Implementation of Developmental Programmes through Panchayat Raj Institutions Bill

श्री रण बहादुर सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विकास तथा कल्याण संबंधी क्षेत्राधारित कार्यक्रमों के आयोजन और उनकी क्रियान्विति में पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से जन सहयोग का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विकास तथा कल्याण संबंधी क्षेत्राधारित कार्यक्रमों के आयोजन और उनकी क्रियान्विति में पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से जन सहयोग का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

श्री रण बहादुर सिंह: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक
Constitution (Amendment) Bill

(अनुच्छेद 324 का संशोधन)

श्री मुरासोली मारन (मद्रास दक्षिण) मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री मुरासोली मारन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

(चार) राज्यपालों की नियुक्ति विधेयक
Appointment of Governors Bill

श्री समर गुह (कन्टाई): मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यों के राज्यपालों के रूप में नियुक्ति करने हेतु उम्मीदवारों का एक पेनल गठित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्यों के राज्यपालों के रूप में नियुक्ति करने हेतु उम्मीदवारों का एक पेनल गठित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री समर गुह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

(पांच) भारत में विदेशी मिशनों द्वारा राजनीतिक साहित्य का प्रकाशन तथा आयात (विनियमन) विधेयक
Publication and Import of Political literature by Foreign Missions in India (Regulation) Bill

श्री समर गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत स्थित विदेशी मिशनों द्वारा राजनीतिक साहित्य का प्रकाशन तथा आयात विनियमन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत स्थित विदेशी मिशनों द्वारा राजनीतिक साहित्य का प्रकाशन तथा आयात विनियमन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री समर गुह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

(छः) संविधान (संशोधन) विधेयक

Constitution (Amendment) Bill

(अनुच्छेद 24, 84 आदि का संशोधन)

Shri Madhu Limaye (Banka) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Madhu Limaye: I introduce the Bill.

(सात) एकाधिकारी तथा निर्बंधनकारी व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक

Monopolies and Restrictive Trade Practices (Amendment) Bill

धारा 2,20 आदि का संशोधन

Shri Madhu Limaye: I beg to move that leave be granted to introduce a Bill to amend the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि एकाधिकारी तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

Shri Madhu Limaye: I introduce the Bill.

(आठ) बेरोजगार भत्ता विधेयक

Unemployment Allowance Bill

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में सभी बेरोजगार व्यक्तियों को भत्ते का अनिवार्य रूप से संदाय करने का उबन्ध करने वाले विधेयक को पुर : स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश में सभी बेरोजगार व्यक्तियों को भत्ते का अनिवार्य रूप ले संदाय करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री विक्रम महाजन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

(नौ) छात्रों को अनिवार्य तकनीकी प्रशिक्षण विधेयक
Compulsory Technical Training to Students Bill

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि उन सभी छात्रों को जो मिडिल स्तर की परीक्षा उतीर्ण करले, अनिवार्य रूप से तकनीकी प्रशिक्षण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उन सभी छात्रों को जो मिडिल स्तर की परीक्षा उतीर्ण करले, अनिवार्य रूप से तकनीक प्रशिक्षण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री विक्रम महाजन : मैं बिधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक
Constitution (Amendment) Bill.
(अनुच्छेद 19 और 326 का संशोधन)

Shri K. M. Madhukar (Kasaria): There is discontment amongst educated youth of the country for unemployment rising prices and non-availability of essential goods. In these circumstances the demand to lover the voting age to 18 years is justified specially when one is considered adult at the age of 18 years and even then he is denicd the right to franchise. These two things are self contractory. I therefore support this Bill and request that this should be accepted and constitution amended accordingly. Moreover this has become a national demand. All the Student Unions have supported this demand.

Everyone who has attained the age of 18 years should be given the right to vote. Government should have no difficulty in accepting this Bill. If Government has any difficulty in accepting it as this Bill has been brought forward by a private Member, they may accept it in principle and then they may bring forward a Bill to this effect later.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) मैं श्री पांडेय द्वारा पुरःस्थापित विधेयक का समर्थन करता हूं । यह बात नहीं है कि हमारे देश के युवक ही 18 वर्ष की आयु में मतदान करने के अधिकार की मांग कर रहे हैं । समूचे विश्व में यह मांग की जा रही है ।

हाल ही में विश्व की अनेक सरकारों ने इस मांग को स्वीकार किया है । अमरीका सरकार, ब्रिटेन सरकार और पिछले महीने फ्रांस सरकार ने इसे स्वीकार किया है ।

समाजवादी देशों ने तो यह अधिकार अपने युवकों को आरम्भ से ही दे रखा है ।

यदि हम अपने देश के चारों ओर देखें तो पता चलेगा कि श्रीलंका ने यह अधिकार दो वर्ष पहले दे दिया था और बंगला देश, जो केवल दो वर्ष पूर्व ही मुक्त हुआ है और जहां परिस्थितियां भी अभी इतनी अच्छी नहीं हैं ने भी 18 वर्ष की आयु वाले अपने युवकों को यह अधिकार दे दिया है । वहां कोई ऐसी बात नहीं हुई है जो भारत सरकार के लिये चिंता का विषय बन सकती है । चूंकि इसमें कोई बुराई नहीं है इसलिये इस बात का कोई कारण नहीं है कि भारत सरकार हमारे देश के युवकों को इस अधिकार से वंचित रखे।

वर्ष 1971 में इस प्रकार का वातावरण तैयार किया गया था कि देश के युवकों को 18 वर्ष की आयु में मत देने की अनुमति दी जायेगी । आश्वासन भंग करने का यह दूसरा उदाहरण है ।

पिछली बार आधे घंटे की चर्चा का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा था कि 18 वर्ष की आयु वाले युवकों को मताधिकार से वंचित रखने का कोई इरादा नहीं है परन्तु अब मुझे संदेह है कि आगामी चुनावों में युवकों को यह अधिकार देने का कोई इरादा नहीं है।

आज हमारे देश के युवक उन युवकों जैसे नहीं हैं जो दस वर्ष या इससे अधिक समय पहले थे। वे अधिक शिक्षित हैं । अब युवक अधिक समझदार हैं और वे नई-नई मान्यताओं की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं । इस स्थिति में 18 वर्ष की आयु में युवकों को मताधिकार की मांग उचित है और सरकार को उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं रखना चाहिये । आज देश का युवा वर्ग वर्तमान प्रणाली से संतुष्ट नहीं है । वह परिवर्तन चाहता है । वे सरकार की उन मूल नीतियों को बदलना चाहते है जिनसे बेरोजगारी और मंहगाई बढ़ती हैं । वे भ्रष्टाचार नहीं चाहते हैं । जो युवक सड़कों पर आ रहे हैं वे यह नहीं चाहते कि वे सड़कों पर आयें परन्तु उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति का कोई अन्य मार्ग नहीं है । वे देश के विकास और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विकास में अपना सक्रिय योगदान देना चाहते हैं। परन्तु सरकार की जो नीति है उससे कुछ नहीं होगा ।

सरकार को चाहिये कि वह इस मांग पर अपनी अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त करे । सरकार इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप सकती है या यह आश्वासन दे सकती हैं कि वह स्वयं ऐसा विधेयक लायेगी या इसे परिचालित करके जनमत ले सकती है।

सभा का कार्य
Business of the House

सभापति महोदय : 5-30 बजे हमें आधे घंटे की चर्चा करनी है । क्या हम इस विधेयक पर चर्चा जारी रखें और आधे घंटे की चर्चा स्थगित करें ? इस विधेयक के लिये केवल 45 मिनट रखे गए हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Please postpone it and Half-an-hour dicussion may be taken up now.

श्री राम रतन शर्मा (बांद): आधे घंटे की चर्चा आरम्भ की जाये। इसे अगले सप्ताह जारी रखा जा सकता है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं । इसे अगले सप्ताह तक स्थगित करते हैं और आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करते हैं ।

विश्वनाथ प्रताप सिंह

विदेशों में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों, टेक्नोलाजिस्टों और इंजीनियरों को आकर्षित करने की पैकेज योजना *

Package scheme to attract Indian scientists, technologists and engineers working abroad*

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फूलपुर): विश्व के धनी और निर्धन देशों के बीच प्रतिभा-पलायन चलता है ।

इससे पहले कि मैं इस समस्या के समाधान के बारे में कुछ कहूं, मैं आपके समक्ष इस समस्या का आकार रखना चाहता हूं जिसकी झलक हमें संयुक्त राष्ट्र-संघ के महासचिव के प्रतिवेदन से मिलती है । प्रतिवेदन में कहा गया है कि 'ब्रिटेन, अमरीका और कनाडा को विकासशील देशों से बहुत बड़ी संख्या में प्रशिक्षित व्यक्ति उपहार के रूप में मिल रहे हैं । जिनकी शिक्षा पर विकासशील देशों का व्यय हुआ . . .' चिकित्सा सेवाओं के बारे में जो सत्य है वही सत्य वरिष्ठ वैज्ञानिकों, टेक्नोलोजिस्टों और अन्य वैज्ञानिक कर्मचारियों के बारे में भी है । यह अनुमान लगाया गया है कि 1970 में सभी विकासशील देशों के लगभग 1236 वैज्ञानिक और डाक्टर अमरीका में बस गए, अकेले इस वर्ष में प्रतिभा-पलायन से अमरीका को 27,750 मिलियन रुपये की शुद्ध आय हुई जो वहां के कुल राष्ट्रीय उत्पाद का 0.3 प्रतिशत से अधिक है और जो कुछ वहां उच्च शिक्षा पर व्यय किया जाता उसका 39 प्रतिशत है । विडम्बना यह है कि इसमें अधिकतम योगदान उन देशों का है जो विकासशील देशों में सबसे अधिक गरीब हैं । जब कोई मेडिकल डाक्टर भारत छोड़कर अमरीका में बसता है तो उससे भारत को 3 लाख रुपये की हानि होती है और अमरीका को 50 लाख रुपये का लाभ होता है ।

इस समस्या के दो पहलू हैं । एक, विदेशों में रह रहे वैज्ञानिकों की सेवाओं का हम किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं और दो, तकनीकी और वैज्ञानिक व्यक्तियों को देश से बाहर जाने से कैसे रोक सकते हैं ।

मैं कुछ बातें सुझाना चाहता हूं । हमें अपनी राष्ट्रीय मांग के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्तियों के यहां आने और यहां से बाहर जाने को नियमित करना चाहिये । उदाहरण के लिए यदि हमें किसी को 'वेल्डिन्ग' के लिये बाहर भेजना है तो हमें उसे रूस भेजना चाहिये ।

जब हम विदेशों से सहयोग प्राप्त करते हैं तो हमें देखना चाहिये कि जो भारतीय विदेशों में बस गए हैं उन्हें टेक्नीशियनों के रूप में यहां बुलाया जाना चाहिये जो यहां हमारे उद्योगों में सहयोग दे सकें । साथ ही हमें दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते करने के बारे में सोचना चाहिये ताकि हरेक व्यक्ति के लिये विदेश जाकर लम्बे समय तक वहां रहना कठिन हो जाये । जब कोई व्यक्ति देश छोड़कर बाहर जाता है तो जब वह पार-पत्र के लिये अनुरोध करे तभी उससे क्यों नहीं पूछा जाना चाहिये कि वह कहां और कितनी अवधि तक विदेश जाना चाहता है ?

*आधे घंटे की चर्चा ।

*Half-an-hour Discussion.

हमें चाहिये कि हम आर० एन्ड डी० उपकर का आधार बढ़ा दें । मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि जिन्होंने कहा कि आर० एन्ड डी० के लिये उप-कर लगाया जायेगा । हमें वेतनों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाना चाहिये । हमें यह सुनिश्चित करना है कि सामाजिक व्यवस्था इस ढंग से व्यवस्थित की जाये कि राष्ट्रीय संपत्ति के वास्तविक योगदानकर्ताओं को उचित पारिश्रमिक मिले ।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : यह प्रसन्नता की बात है कि हमारी सरकार ने विदेशों में रह रहे माननीय वैज्ञानिकों और टेक्नोलोजिस्टों को आकर्षित करने के लिये प्रोत्साहन देने हेतु नई योजनाएं प्रस्तुत की हैं ।

मैं जानना चाहता हूं कि इन योजनाओं के क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

हमारे देश में आधारभूत ढांचे के विकास के लिये कुछ उद्योंगों की स्थापना करने हेतु वैज्ञानिकों और टेक्नोलोजिस्टों को आकर्षित करने की योजना है । क्या इस समय सरकार की उन वैज्ञानिकों के लिये कोई योजना है जो यहां केवल आजीविका कमाने के लिये वापस आना चाहते हैं ?

यह आम शिकायत है कि चूंकि हमारे देश में उनके लिये सामान्य पर्यावरण अनुकूल नहीं है इसलिये प्रतिभा-पलायन होता है ।

जो व्यक्ति देश में रहना चाहते हैं उन्हें सरकार कैसा प्रोत्साहन देना चाहती है जिससे भविष्य में प्रतिभा-पलायन न हों ?

मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह उपयुक्त योजना और उपयुक्त नीति तुरन्त लागू करें ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): There is no dispute over it that Government is not providing proper facilities to the scientists and intellectuals. The scheme evolved by Government is only on paper. Brain-drain is taking place on a large scale. An environment should be created to attract the scientists working abroad. It is an irreputable truth that the scientists working abroad get better emoluments and various amenities. A good number of Indian scientists working abroad may come back if Government makes an announcement that no duty-custom etc. will be imposed on the equipments the scientists bring from foreign countries.

Let the hon. Minister categorically explain as to what concrete steps he is going to take and how many scientists working abroad are coming back?

श्री के० गोपाल (करूर) : बैलट में मेरा नाम है । श्री समर गुह अनुपस्थित थे । मैं एक मिनट लूंगा ।

सभापति महोदय : यदि इस प्रथा को मैं अपवाद-स्वरूप समझूं तो मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे ।

श्री के० गोपाल : मुझे समय देने के लिये धन्यवाद। वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और टेक्नोलोजिस्टों को पेशकश किये गए सभी प्रोत्साहनों के बावजूद उनकी मुख्य कठिनाई उद्योग भवन द्वारा किया जाने वाला प्रक्रिया संबंधी विलम्ब है ।

जब ये वैज्ञानिक और इंजीनियर यहां उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो उन्हें जिस लाल-फीता शाही का सामना करना पड़ता है उससे वे परेशान हो जाते हैं ।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना हूं कि वह आवेदन-पत्रों को निपटाने की प्रक्रिया सरल बनाने के बारे में हमें बताएं।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): जिन माननीय सदस्यों ने यह चर्चा उठाई उन्होंने प्रतिभा-पलायन पर बल दिया।

प्रश्न उठता है कि क्या हमें उन वैज्ञानिकों की सेवाओं का उपयोग नहीं करना चाहिये जो विदेशों में रह रहे हैं, विशेषकर जबकि वे प्रतिभाशाली और अनुभवी हैं ? हम इस प्रयोजन हेतु विभिन्न प्रस्ताव तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उन्हें यहां आने के लिये आकर्षित किया जा सके।

जहां तक चिकित्सा क्षेत्र के व्यक्तियों का संबंध है, यहां उन्हें वे सभी अवसर प्रदान किये जाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। हमने ऐसे व्यक्तियों को उदारतापूर्वक विदेश जाने दिया। हम ऐसा फार्मूला बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे जो व्यक्ति प्रशिक्षण के लिये विदेश जायें उन्हें वहां एक निश्चित अवधि तक अध्ययन करने के बाद स्वदेश लौटने को बाध्य किया जा सके।

परन्तु जहां तक वैज्ञानिकों का विशेषकर वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में संबंध है, हमारे देश में इसका क्षेत्र सीमित है और इसीलिये विज्ञान का अध्ययन और अनुसंधान करने के लिये विदेश जाने वाले लोगों को अमरीका जैसे विकासित देशों में जो सुविधायें उपलब्ध होती हैं, वे यहां नहीं होती। अतः जब हम विदेश जाने वाले लोगों को बात करते हैं तो हमें थोड़ा भेदभाव बरताना होता है। हमारे देश में लाखों वैज्ञानिक, इंजीनियर और टेक्नोलोजिस्ट हैं जो तुलनात्मक दृष्टि से कम वेतन पर भी देश में ही अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं। उनका योगदान कम श्रेयस्कर नहीं है। केवल कुछ वैज्ञानिक ही विदेश जाने के इच्छुक हैं। यह सच है कि एक वैज्ञानिक को यहां 3000 रुपये या 3500 रुपये मिलते हैं जबकि विदेशों में उसे 30,000 या 40,000 या 50,000 रुपये तक दिये जाते हैं। परन्तु कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि हम अपने देश की सेवा ही करना चाहते हैं। हम ऐसे वैज्ञानिकों की प्रशंसा करते हैं। साथ ही हमें प्रयास करना है कि जो विदेशों में हैं वे भारत वापस लौट आयें। हमने एक ऐसा पैकेज कार्यक्रम बनाया है कि विदेशों से भारत लौटकर वैज्ञानिक यह अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर उद्योग स्थापित कर सकें। वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिये हमने अन्य उपाय भी किये हैं। 'वैज्ञानिक पूल' बनाया गया और उसमें बहुत से वैज्ञानिक रखे गये और दो या तीन वर्षों में उन्हें रोजगार दिया गया। नेशनल रजिस्टर और 'रोजगार ब्यूरो' की व्यवस्था भी की गई। यदि कोई वैज्ञानिक किसी क्षेत्र विशेष में योग्यता प्राप्त है तो उसके लिये नया पद भी बनाया जाता है और उसे उस पर नियुक्त किया जाता है। 'पैकेज डील' के अन्तर्गत वैज्ञानिकों को विदेशों में अर्जित धन को अपने साथ लाने की अनुमति प्राप्त है। वे उससे तीन वर्ष की अवधि के भीतर बाहर से मशीनरी आदि आयात कर सकते हैं। उद्योग के लिये लाइसेंस देने के अतिरिक्त उन्हें वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता भी दी जाती है।

यह शिकायत की गई है कि उद्योग भवन में प्रक्रिया पूरी होने में बहुत समय लगता है। हमने प्रक्रिया को नियमित कर दिया है और प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाने की व्यवस्था कर दी है। इसी उद्देश्य के लिये हमने एक निशेष समिति का डा० नयुदम्मा की अध्यक्षता में गठन किया है। इस समिति में औद्योगिक विकास विभाग, आर्थिक विभाग आदि सचिव हैं। हमने विदेशों में स्थित अपने दूतावासों आदि को यह अनुदेश दिये हैं कि वे सम्पर्क करने पर वैज्ञानिकों को पूरी जानकारी दें ताकि वे ठीक ढंग से आवेदन आदि कर सकें। उद्योग स्थापित करने के लिये दस प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं। जो स्थायी

आधार पर स्वदेश नहीं आना चाहते वे सीमित अवधि के लिये आकर अनुसंधान कार्य कर के पुनः विदेश जा सकते हैं । उनके लिये 'फैलोशिप' और 'विजिटिंग प्रोफेसर' देने की व्यवस्था भी हमने कर रखी है । मैं इस बात से सहमत हूं कि वैज्ञानिकों के प्रतिभा-पलायन को सीमित करने के लिये कुछ ठोस कार्यवाही करनी होगी । इसके लिये शैक्षिक स्वतन्त्रय और वैज्ञानिक वातावरण तैयार करना होगा । इसके लिये एक समिति नियुक्त की गई है और हम उसकी सिफारिशों के आधार पर इस दिशा में कार्यवाही करेंगे । चूंकि अब देश तकनीकी में जानकारी विदेशों से मंगाते हैं इसलिये वैज्ञानिकों के विदेश जाने की गुंजाइश अधिक है । अब हमने अपने ही देश में अनुसंधान और विकास पर बल दे रहे हैं। विदेशों से आयातित तकनीकी ज्ञान को भी अनुसंधान और विकास के आधार पर उसे भारतीय परिवेश के अनुकूल बनाने का कार्यक्रम बनाया है । मूल अनुसंधान कार्य करने की भी योजना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में यह योजना है और इसके अन्तर्गत बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकों को रोजगार मिलेगा ।

मैं यह नहीं मानता कि सभी वैज्ञानिक धन के लालच से विदेश जाते हैं । कुछ इसलिये जाते हैं कि हमारे यहां अनुसंधान और उच्च अध्ययन करने की सुविधाएं नहीं हैं। हम अपने यहां प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और अध्ययन का क्षेत्र व्यापक बना रहे हैं, वहां के वातावरण में स्वतंत्रता ला रहे हैं ताकि हमारे वैज्ञानिक वहां मुक्त वातावरण में काम कर सकें और भारत को उनकी प्रतिभा का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके । साथ ही हम वैज्ञानिकों के विदेश जाने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहते । वे विदेशों में नये अनुसंधान और विकास का ज्ञान प्राप्त करने यदा-कदा जायें, परन्तु वापस स्वदेश आ जायें । हमने वैज्ञानिकों को ऐसी सुविधाएं देनी शुरु कर दी हैं। आज देश के सामने गंभीर संकट है । हम चाहते हैं कि वैज्ञानिक समस्याओं का समाधान निकालें और हम प्रगति-पथ पर आगे बढ़ते जायें । मैं आशा करता हूं कि संसद सदस्य भी वैज्ञानिक विकास के प्रति रुचि प्रदर्शित करें और विज्ञान संस्थाओं में स्वयं जायें । जहां तक श्री कछवाय के सीमा शुल्क में वैज्ञानिकों को छूट देने का प्रश्न है हम इस पर विचार करेंगे और देखेंगे कि उन्हें कितनी छूट दी जा सकती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार 12 अगस्त 1974/21श्रावण 1895 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday August 12, 1974/ Sravana 12, 1896 (Saka).

MGIPRRND—Sec. I (NS)—29 LSS/74—480—15-10-74—490